


से जयता एक विश्वसनीय नाम
100
वर्ष

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)



35वा वार्षिक प्रतिवेदन
2015-2016

हमारे संस्थापक...हमारे प्रेरणास्त्रोत



आचार्य प्रफुल चन्द्र राय
(2 अगस्त 1861- 16 जून 1944)

प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक शिक्षाविद एवं बंगाल के प्रमुख उद्यमी थे। बीसीपीएल कंपनी, जो भारत की पहली फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, वे इसके संस्थापक थे। (स्थापना-1901)। वर्तमान समय में बीसीपीएल, घरेलू उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स एवं केमिकल्स के क्षेत्र में एक विश्वस्त नाम है, जो 100 साल की समृद्धि के विरासत से परिपूर्ण है।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



35वें वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16 की विषय वस्तु

सामग्री	पृष्ठ सं.
निदेशक मंडल	1
विजन, मिशन और उद्देश्य तथा गुणवत्तानीति	2
हमारे लेखा परीक्षकों और बैंकर्स	3
अध्यक्ष महोदय के संबोधन	4-7
35 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	8-16
वित्तीय विशिष्टताएं	17
वित्तीय चार्ट	18-21
रिपोर्ट:	
निदेशकों की रिपोर्ट	22-39
प्रबंधन चर्चा और विश्वेषण रिपोर्ट	40-50
निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट	51-70
एमजीटी-9, विवरण का निष्कर्ष	71-75
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट:	
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	76
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	77-92
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का उत्तर	93-96
वित्तीय विवरण:	
तुलन पत्र	97
लाभ हानि खाते का विवरण	98
नकदी प्रवाह विवरण	99-100
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (नोट 1. 0 से 1. 23 तक)	101-112
वित्तीय स्टेटमेंट्स के लिए नोट्स (नोट 2. 1 से 2. 26 (सी) तक)	113-135



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता



(भारत सरकार का उपक्रम)

निदेशक मंडल

(11 जुलाई 2016 को आयोजित 35वीं वार्षिक आम बैठक के दिन)



पीएम चंद्रया

**प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार),
निदेशक (वित्त) & सीएफओ**



जितेन्द्र त्रिवेदी
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
(सरकारी नामित निदेशक)



अनिल गुप्ता
बीआईएफआर नामित निदेशक



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



दूरदृष्टि, मिशन और कंपनी के उद्देश्य:

दूरदृष्टि

सभी उपभोक्ताओं की जरूरतानुसार कम कीमतों पर गुणवत्ता चिकित्सा, जीवन रक्षक दवाओं, रसायन और घर के उत्पादों के लिए सामग्री तैयार कर एक विश्व स्तरीय सम्मानित संगठन बनना।

मिशन

- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन विनिर्माण हेतु सुविधाएं प्राप्त करना।
- उत्पादों की गुणवत्ता, आर एण्ड डी अनुक्रमणशीलता में विश्व मानदण्डों के अनुसार सुधार करके क्रेताओं की संतुष्टि को समृद्ध करना।
- सतत विकास के संवर्धन के लिए पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण और ग्रीन पहल के लिए प्रतिबद्ध है।
- चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद प्रेरित और प्रतिभाशाली मानव संसाधन विकसित करना।
- संस्थान निगमित प्रशासन और सामाजिक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी सामाजिक रूप से उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- निवल मूल्य में सुधार लाने के लिए लागत क्षमता को कम रखने की कोशिश।

उद्देश्य

संस्थान अपने दृष्टि/नियोग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्य करेगी:

- ✓ मुख्य उत्पाद श्रेणियों में उत्पादों की उच्च गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व के साथ तेजी से विकास करना।
- ✓ अनुसंधान एवं विकास और ग्राहक देखभाल के क्षेत्र में निरंतर नवाचार की एक संस्कृति पैदा करना।
- ✓ पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों पर जोर देना जिससे कि संसाधन और अपशिष्ट प्रबंधन के संरक्षण के सतत विकास में अग्रणी होगा।
- ✓ आधुनिक मानव संसाधन प्रबंधन के तरीकों को अपनाकर कर्मचारी संतुष्टि के स्तर में सुधार।

गुणवत्ता नीति:

- ❖ निर्धारित मानकों के अनुरूप दवाईयों का उत्पादन करना।
- ❖ उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण के संचालन के सभी चरणों में गुणवत्ता का रखरखाव।
- ❖ उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ावा देना।
- ❖ सभी कर्मचारियों की भागीदारी के साथ, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता में लगातार सुधार करना।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



वैधानिक लेखा परीक्षक
भट्टाचार्य दास एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
कोलकाता

लेखा परीक्षक, मुंबई शाखा
मैसर्स, ब्रह्महेच मोदी एंड कं.

बैंकर
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन बैंक

पंजीकृत कार्यालय
6 गणेश चन्द्र एवेन्यू,
कोलकाता 700013
ईमेल:

secretariat@bengalchemicals.co.in

वेबसाइट: www.bengalchemicals.co.in



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



अध्यक्ष महोदय का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

1. बोर्ड के निदेशकों की तरफ से और अपनी तरफ से, हमारी संस्थान की 35वीं वार्षिक आम बैठक में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।
2. **वार्षिक वित्तीय विवरण:** मैं वर्ष 2015-16 हेतु बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में हर्ष महसूस करता हूँ। निदेशक रिपोर्ट जिसमें प्रबंधन विचार विमर्श व विश्लेषण तथा नैगम शासन पर रिपोर्ट साथ ही 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी का वित्तीय विवरण शामिल है जो कि सभी शेयरधारकों को पहले ही प्रदान किया जा चुका है। यहां उपस्थित सभी शेयरधारकों की अनुमति से पढ़ा विचारित करूँगा। विगत वर्ष से निदेशक रिपोर्ट बहुत ही व्यापक रहा है और कंपनी की कार्य प्रणाली का स्पष्ट और विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है जिसमें शामिल है हमारा उद्देश्य, हमारा देश तथा बाधाएं एवं अवसर जो हम महसूस करते हैं। मैं आप सबके समक्ष संक्षेप में कुछ प्रासंगिक और प्रमुख विषय आप सबके समक्ष रखेंगा।
3. **प्रचालनगत कार्य प्रदर्शन:** 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु समझौता ज्ञापन में लक्षित उत्पादन तथा सकल व्यापार क्रमशः 80000 और 70000 लाख रूपए पार करने के लिए मैं कंपनी के सभी लोगों को एवं हमसे जुड़े हुए लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। 2015-16 वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन पर आप सबको रिपोर्ट करते हुए मुझे काफी खुशी प्रदान करता है। यह उत्पादन पिछले वर्ष 2014-15 के दौरान के 6411 लाख रूपए के उत्पादन के प्रति 10670 लाख रूपए है जो पिछले वर्ष की तुलना में 66 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016 तक की अवधि के दौरान आपकी कंपनी ने 906 लाख रूपए का उत्पादन किया है। पिछले वर्ष की अवधि के दौरान यह 1424 लाख रूपए था जो 36 प्रतिशत का घाटा दर्ज करता है।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



- 4. वित्तीय कार्य प्रदर्शन:** वर्ष 2015 16 के दौरान, आपकी कंपनी का सकल व्यापार वर्ष 2014 15 में प्राप्त 4584 लाख रुपए के प्रति 8819 लाख रुपए रहा। उसी प्रकार, कंपनी का घाटा विगत वर्ष 2014 15 में 1732 लाख रुपए की तुलना में 2015 16 में घटकर 913 लाख रुपया हो गया। फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद कंपनी के सकल व्यापार में उच्चतम अवदान प्रदान करते हैं और इसने विगत वर्ष 2013 14 में 32 प्रतिशत और 2014 15 में 60 प्रतिशत की तुलना में 2015 16 के दौरान कुल सकल व्यापार 64 प्रतिशत प्रदान किया। द्वितीय सबसे बड़ा उत्पाद कॉस्मेटिक एवं गृह उत्पाद जिसमें पिछले वर्ष के दौरान 2013 14 में 59 प्रतिशत और 2014 15 में 33 प्रतिशत की तुलना में 2015 16 के दौरान सकल कारोबार में 30 प्रतिशत अवदान प्रदान किया। 1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016 तक की समनुरूप अवधि के दौरान प्राप्त 1072 लाख रुपए के प्रति 872 लाख रुपए का सकल कारोबार प्राप्त किया, जो 19 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।
- 5. एमओयू रेटिंग:** आपकी कंपनी का मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन हुआ था जिसमें 7000 लाख रुपए तथा उत्पादन लक्ष्य 8000 लाख रुपए उत्कृष्ट रेटिंग हेतु निश्चित निश्चित किया गया, जबकि आपकी कंपनी को 8819 लाख रुपए का सकल कारोबार तथा 10670 लाख रुपए का कुल उत्पादन हुआ। अंकेक्षित वित्तीय विवरण के मुताबिक स्वमूल्यांकन आधार पर आपके संस्थान को वर्ष 2015 16 के लिए उत्कृष्ट रेटिंग हेतु मिलने की संभावना है। इसके अलावा वर्ष 2014 15 में सार्वजनिक उपक्रम विभाग(डीपीई) ने आपकी कंपनी का मूल्यांकन किया था, जिसमें उत्तम रेटिंग प्राप्त हुआ था।
- 6. अनुसंधान एवं विकास प्रौद्यौगिकी तथा परियोजना कार्यान्वयन:** विभिन्न प्रकार के टैबलेट, कैप्सूल और मलहम प्राइमेरी एवं सेकेंडरी पैकेजिंग स्तर पर उत्पादन हो रहे हैं तथा व्यवसायिक निर्माण हेतु रूपांतरित किए जा रहे हैं, जो पहले आउटसोर्सिंग आधार पर तैयार किए जाते थे। इसके अलावा औषधि नियंत्रण प्राधिकरण पश्चिम बंगाल ने 26 मई, 2016 को बेटालॉक्टम के ओ एस डी सेक्सन में बेटालॉक्टम टैबलेट, कैप्सूल उत्पादन हेतु लाइसेंस जारी किया है।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



7. **नैगम प्रचालन:** आपकी कंपनी दृढ़ विश्वास रखती है कि अच्छे नैगम प्रशासन दीर्घ विकास की ओर कंपनी और उसके शेयरधारकों को ले जाता है और इस अच्छे नैगम प्रशासन के स्तर को जारी रखा है। आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट प्रशासन गाइडलाइंस, जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है - का अनुसरण कर रही है। आपकी कंपनी को वर्ष 2015-16 हेतु उत्कृष्ट ग्रेड मिलने की संभावना है, जबकि कंपनी को विगत वर्ष 2014-15 में फेयर ग्रेड उपलब्ध हुआ था। आपकी कंपनी इसे बरकरार रखने और इसमें बेहतर प्रदर्शन करने हेतु वचनबद्ध है।
8. **नैगम सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) एवं धार्यता:** चूंकि बीसीपीएल एक घाटेवाली बीआईएफआर कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार और डीपीईद्वारा जारी निदेशों के अनुसार किसी सीएसआर कार्य तथा क्रिया कलापों का करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि कंपनी ने बोर्ड स्तर पर सीएसआर एवं धारिता समिति का गठन किया है और कंपनी के पास सीएसआर एवं धारिता नीति भी है। इसके अलावा आपकी कंपनी वर्ष 2016-17 में सेवैच्छिक रूप से कुछ राशि व्यय कर वर्ष 2016-17 में सीएसआर गतिविधियां संचालित करने की योजना बना रही है।
9. **मानव संसाधन:** आपकी कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा नए युवा प्रतिभाओं को प्ररित करने की प्रक्रिया में है जो इस पहल से आगामी वर्षों में सक्षम कार्यबल वृद्धि करने में सफल होगी। आपकी कंपनी के पास 31 मार्च 2016 तक 370 कर्मचारियों का एक मजबूत कार्यदल है तथा 2015-16 के दौरान 102 मैन डेज हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया।
10. **स्वीकृति:** अंत में, मैं प्रशासनिक मंत्रालय, औषध विभाग भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के अन्य विभिन्न विभागों और विशेषकर लोक उद्यम विभाग, पश्चिम बंगाल की कंपनियों के रजिस्टर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का आभार प्रकट करता हूं जिनके सतत मार्गदर्शन ने आपकी कंपनी को एक समुन्नत कार्य प्रदर्शन योग्य बनाया है। मैं अपने मूल्यवान क्रेता और आपूर्तिकारों का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने कंपनी के व्यापार में विश्वास रखा है।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



मैं अपने कर्तव्यों में असफल रहूँगा यदि मैं कंपनी के निदेशकों को और उनके बहुमूल्य समर्थन और कंपनी की प्रगति हेतु शानदार प्रदर्शन को प्राप्त करने में धन्यवाद प्रकट नहीं करता हूँ। अंत में मैं आपकी कंपनी की परिसंपत्ति यानि कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ।

हस्ता /
(अनिल गुप्ता)
अध्यक्ष

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 11 जुलाई 2016

--



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



सूचना

एतद्वारा बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कंपनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार 11 जुलाई, 2016 को कंपनी के पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय, 6 गणेश चन्द्र एवेन्यू, (प्रथम तल) पर, कोलकाता 700013 को अपराह्न 12:30 बजे से निम्नलिखित कार्य करने के आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यापार

1. 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय विवरण जिसमें कि 31 मार्च 2016 तक की तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के वक्तव्य तथा निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट भी शामिल है उस पर विचार कर उसको अपनाया जाएगा।
2. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी की सांविधिक लेखा परीक्षक जो कि वित्त वर्ष 2016 17 के लिए कंपनी के खातों की लेखा परीक्षा की जांच करेंगे उनके पारिश्रमिक तय करने हेतु संशोधन के साथ या संशोधन के बिना निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल अधिकृत किए जाएंगे:

वित्त वर्ष 2016 17 के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी की शाखा लेखा परीक्षकों की पारिश्रमिक तय करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार, निदेशक मंडल को अधिकृत किया जाता है।

विशेष व्यापार:

3. वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2017 पर और इस संबंध में समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुमोदन करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए और अगर सटीक पाया गया तो एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए:



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी (ऑडिट एवं ऑडिटर्स) नियम 2014 (कोई वैधनिक संशोधनों और पुनःसंशोधनों) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखाकार, श्री एस. के. चक्रवर्ती को वित्तीय वर्ष 2016 17 में कंपनी में लागत लेखा परीक्षा करने के लिए कुल 55000/- रूपए की फीस जमा लागू सेवा कर, टीए/डीए और जेब से किए गए खर्चों का पुष्टि की जाती है।

आगे संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए और इसके द्वारा सभी कृत्यों और ऐसे सभी कदम उठाने के रूप में आवश्यक उचित या समीचीन के लिए संस्थान के निदेशक मंडल अधिकृत है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

हस्ता/-
(पीएम चंद्रघण्ठा)
निदेशक (वित्त)

दिनांक : 15 जून 2016

स्थान : कोलकाता



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



नोट्स:

1. कंपनी में भाग लेने और सालाना आम बैठक में मतदान करने के लिए कंपनी का एक सदस्य लेखन में अपने स्थान पर एक प्रॉक्सी विधिवत् उसके द्वारा हस्ताक्षर किए कागजात के तहत भाग ले सकता है और प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। प्रॉक्सी की नियुक्ति के कागजात कंपनी का पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए बैठक से कम से कम अङ्गतालीस घंटे पहले। (धारा 105 कंपनी अधिनियम, 2013)
2. दो प्रतियों में प्रॉक्सी फार्म इसके साथ जुड़ा हुआ है। यह अनुरोध किया जाता है कि कंपनी के सभी सदस्य भरा हुआ, हस्ताक्षर किए और मुद्रांकित फार्म को वापस करें। (धारा 113 कंपनी अधिनियम, 2013)।
3. कंपनी अधिनियम 2013 प्रावधानों के अनुसार एक व्यक्ति 50 से कम और जो सदस्य कुल पूँजी के 10 प्रतिशत से कम कंपनी की शेयर पूँजी रखते हैं, के रूप में प्रॉक्सी हो सकता है। कंपनी के कुल शेयर पूँजी का 10 प्रतिशत से अधिक धारण करने वाला कोई सदस्य एकल व्यक्ति को प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा शेयर धारक के लिए कार्य नहीं करेगा (कंपनी अधिनियम 2013 में धारा 105) (आम बैठक पर सचिवीय मानक)।
4. हर सदस्य जो बैठक में और वहां कोई प्रस्ताव के ऊपर वोट करने के लिए अधिकृत है। मीटिंग शुरू होने से चौबीस घंटे पहले से बैठक के निष्कर्ष तक, जमा की गई प्रॉक्सियों को कंपनी के कार्यालय समय के भीतर निरीक्षण करने हेतु अधिकृत है। हालांकि यह निरीक्षण करने का इरादा कंपनी को लिखित रूप में कम से कम तीन दिन पहले सूचित करना होगा।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



5. सदस्य जो अभी तक अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराए है एवं अपना ई मेल आईडी बदलवाना चाहते हैं तो कंपनी से संपर्क करे ताकि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उन्हें वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस आदि समय समय पर कंपनी द्वारा भेजे गए सभी संदेश प्राप्त हो सके।
6. शेयरधारक कृपया किसी भी प्रश्न / शिकायत / सुझाव के लिए df@bengalchemicals.co.in या cs@bengalchemicals.co.in ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं।
7. एजीएम स्थल सूचना का नक्शा नोटिस के अंत में दिया गया है।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



वक्तव्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसरण

सूचना में उल्लेखित विशेष व्यापार से संबंधित सारे तथ्य निम्नलिखित बयान में दर्ज है :

सामग्री सं. 3

बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर, लेखा परीक्षकों के नियुक्ति और लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक को मंजूरी दी है ताकि 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की लागत अभिलेखों का ऑडिट हो सके:

लागत लेखा परीक्षक का नाम	लेखा परीक्षा शुल्क (रुपए में)
श्री एस. के. चक्रवर्ती	55,000/-

अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम 2014 के साथ लेखा परीक्षकों की देय पारिश्रमिक का लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर और निदेशक बोर्ड की मंजूरी से कंपनी के सदस्यों द्वारा पुष्टि किया जाना चाहिए।

तदनुसार, सदस्यों की सहमति से एक साधारण संकल्प करने की मांग की जाती है जो कि नोटिस की सूचना सं. 3 में भी है ताकि लेखा परीक्षकों की पारिश्रमिक लागत 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष में सहमति मिले। नोटिस में सूचना सं. 3 के प्रस्ताव के तहत कोई भी निदेशक/ संस्थान के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिस्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा संबंधित तथा रुचि नहीं रखते। बोर्ड नोटिस में सूचना सं. 3 के प्रस्ताव में साधारण संकल्प पर सभी सदस्यों से अपना अनुमोदन देने का मांग करता हूँ।

सेवा में,

बीसीपीएल के सभी शेयरधारक

1. भारत के राष्ट्रपति

सचिव के कार्यालय के माध्यम से,

औषध विभाग,

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

शास्त्री भवन नई दिल्ली 110001



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



2. श्री आर. के. मग्गू
निदेशक, औषध विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
शास्त्री भवन नई दिल्ली 110001

3. श्री अलोक कुमार कर्ण
अपर सचिव, औषध विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
शास्त्री भवन नई दिल्ली 110001

प्रतिलिपि :

- क. बीसीपीएल के सभी निदेशक
- ख. भारत सरकार के सचिव
औषध विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
शास्त्री भवन नई दिल्ली 110001
- ग. मेसर्स भट्टाचार्य दास एंड कंपनी, सांविधिक लेखा परीक्षक

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

हस्ता/
(पीएम चन्द्रया)
निदेशक (वित्त)

दिनांक : 15 जून, 2016

स्थान : कोलकाता

---- -



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



फार्म नं एमजीटी 11

प्राक्सी प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) के अनुसरण और कंपनियों के नियम 19 (3) (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के तहत]

सीआईएन:

U24299WB1981GOI033489

संस्थान का नाम :

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

सदस्यों के नाम :

पंजीकृत पता :

ई मेल आईडी:

फोलियो सं/ग्राहक आईडी :

डीपी आईडी:

मैं/हम उपरोक्त कंपनी के शेयरधारक होने के नाते, निम्न व्यक्ति को नियुक्त करते हैं।

1. नाम :

पता :

ई मेल आईडी :

हस्ताक्षर :, उनके अनुपस्थित रहने पर

2. नाम :

पता :

ई मेल आईडी :

हस्ताक्षर :, उनके अनुपस्थित रहने पर



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



प्रॉक्सी के रूप में जनरल मीटिंग में उपस्थित तथा वोट देने हेतु 11 जुलाई 2016 को 12:30 बजे 6 गणेश चंद्र एवेन्यू, 700013 को निर्धारित एवं किसी भी स्थगन – निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए नियुक्त करते हैं।

संकल्पः

साधारण व्यापार

1. वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2016 को समाप्त कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरण, 31 मार्च 2016 का तुलन पत्र तथा उस तारीख का वार्षिक लाभ हानि विवरण एवं निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को प्राप्त करना, विचार विमर्श एवं अपनाना।
2. सांविधिक लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक तय करना।

विशेष व्यापार

3. 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए संस्थान की लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को अधिकृत करना।

..... इस दिवस पर हस्ताक्षर किए गए।

शेयरधाक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर


नोट : आदेश में प्रॉक्सी का यह फार्म प्रभावी होने हेतु विधिवत पूरा किया जाना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में मीटिंग शुरू होने से 48 घंटे पहले जमा करा दिया जाए।



बंगाल केमिकल्सर एवं फार्मास्यू टिकल्स लिमिटेड कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



35 वीं वार्षिक आम बैठक के स्थल के लिए मार्ग नक्शा



बंगाल केमिकल्सट एवं
फार्मास्यूक्टिकल्सस
लिमिटेड,
6, जे. सी. एवेन्यू
कोलकाता - 700013



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकारका उपक्रम)



दस वर्षीय वित्तीय विशिष्टताएः


विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	(लाख रुपये में)
आपरेशनल प्रदर्शनः											
उत्पादन	7,089	5,569	8,963	8,324	8,049	5,922	3,633	1,970	6,410	10,670	
वित्तीय प्रदर्शनः											
कुल विक्री	4,867	4,643	7,347	6,065	5,867	5,176	3,003	1,904	4,959	9,623	
कम: एक्साइज ड्यूटी	723	651	522	332	382	351	266	197	375	804	
शुद्ध विक्री	4,144	3,992	6,825	5,733	5,485	4,825	2,737	1,706	4,584	8,819	
अन्य आय	789	2,849	1,344	1,340	1,311	2,539	1,907	1,957	1,970	2,457	
कुल आय	4,933	6,841	8,169	7,073	6,796	7,364	4,644	3,663	6,554	11,276	
प्रत्यक्ष लागत	3,312	2,550	4,761	3,719	3,737	4,128	2,661	1,454	3,024	5,630	
कर्मचारी लाभ खर्च	1,156	1,135	1,518	1,821	1,828	2,212	2,567	2,609	2,857	2,352	
अन्य खर्च	1,882	1,367	1,728	1,822	1,788	1,316	1,705	1,636	1,583	2,170	
कुल खर्च	6,350	5,052	8,007	7,362	7,353	7,656	6,933	5,699	7,464	10,152	
सकल माजिन (पीवीडीआईटी)	(1,415)	(276)	(186)	(1,126)	(239)	(292)	(2,290)	(2,036)	165	1,124	
मूल्यहास	157	153	148	151	222	212	309	334	361	395	
व्याज और कर (पीवीडीआईटी) से पहले लाभ	(1,572)	(429)	(334)	(1,277)	(460)	(505)	(2,599)	(2,370)	(196)	729	
वित्तीय लागत	423	541	912	662	610	1,319	1,469	1,285	1,536	1,642	
ट्रैस (पीवीडीटी) से पहले लाभ	(1,995)	(970)	(1,246)	(1,939)	(1,070)	(1,823)	(4,069)	(3,655)	(1,732)	(913)	
परिसंपत्तियाँ और देयताएँ											
देनदारी											
शेयर पूँजी	2,196	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	
संचय (लाभ हासित खाते का डेबिट शेयर)	(9,933)	(10,913)	(12,169)	(14,108)	(15,178)	(17,002)	(21,070)	(24,725)	(25,243)	(26,156)	
कुल मूल्य	(7,737)	(3,217)	(4,473)	(6,412)	(7,482)	(9,306)	(13,374)	(17,029)	(17,547)	(18,460)	
पूँजी भैंडार	7,172	7,171	7,171	7,171	7,799	7,799	7,799	7,799	7,799	7,799	
लॉन्ग टर्म उधार	5,041	13,788	18,705	21,055	26,855	15,021	18,426	19,256	21,145	21,740	
नियोजित पूँजी	(2,696)	10,571	14,232	14,643	19,373	5,715	5,053	2,227	3,598	3,280	
अन्य छालूँ देनदारियाँ	3,000	8,859	18,973	7,531	5,547	12,408	7,868	8,534	9,283	9,317	
प्रावधान	1,103	1,208	1,349	1,661	1,483	1,523	1,724	1,711	1,922	1,973	
कुल देयताएँ	8,579	27,809	41,725	31,006	34,202	27,445	22,444	20,271	22,602	22,369	
संपत्ति:											
अचल संपत्ति (सकल छालूँ)	3,351	3,427	3,459	4,630	4,634	4,744	5,901	6,519	6,686	12,501	
संग्रहित अवमूल्य	1,484	1,614	1,763	1,913	2,135	2,348	2,758	3,225	2,370	2,765	
अचल संपत्ति का नेट छालूँ	1,867	1,813	1,696	2,717	2,499	2,396	3,143	3,294	4,316	9,736	
कार्बस्टल पूँजी	92	108	1,768	3,880	7,025	11,418	11,092	10,973	10,923	5,718	
इन्वेटरी	1,568	1,368	2,077	2,233	1,777	1,515	1,046	811	1,428	1,463	
पाने लायक कारोबार	1,689	1,905	2,538	2,803	2,985	2,833	1,100	743	1,441	2,633	
नकदी और बैंक बैलेंस	1,819	18,802	29,935	16,127	672	395	4,234	3,009	3,698	1,865	
ऋण और अग्रिम	1,544	1,813	3,711	3,246	18,535	8,094	994	1,140	564	504	
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ	-	2,000	-	-	709	793	835	301	231	448	
कुल संपत्ति	8,579	27,809	41,725	31,006	34,202	27,445	22,444	20,271	22,602	22,369	
अन्यः											
कर्मचारियों की संख्या	802	767	748	719	689	629	573	481	405	370	
शेयर की संख्या	219,604	769,604	769,604	769,604	769,604	769,604	769,604	769,604	769,604	769,604	
अनुपातः											
प्रति कर्मचारी कारोबार रुपये लाख में	5.17	5.20	9.12	7.97	7.96	7.67	4.78	3.55	11.32	23.84	
प्रति शेयर कमाई	₹.	(908.45)	(126.04)	(161.90)	(251.95)	(139.05)	(236.90)	(528.66)	(474.94)	(225.06)	(118.65)
प्रशासनिक खर्च/कुल खर्च %	43.84%	43.54%	35.80%	44.56%	44.18%	38.41%	49.04%	58.01%	47.43%	37.10%	
वित्त लागत / कुल व्यय	%	6.10%	9.42%	10.06%	8.10%	7.45%	14.35%	16.86%	17.56%	16.41%	13.47%
प्रत्यक्ष लागत / सकल विक्री	%	68.05%	54.92%	64.80%	61.32%	63.70%	79.75%	88.61%	76.38%	60.99%	58.50%




बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



शुद्ध बिक्री



सकल मार्जिन






बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता




(भारत सरकार का उपक्रम)

दीर्घावधि ऋण



	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
■ Long Term Borrowings	5,041	13,788	18,705	21,055	26,855	15,021	18,426	19,256	21,145	21,740

वित्तीय लागत







बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



प्रति कर्मचारी आवर्त



कुल खर्च पर प्रसासनिक खर्च की प्रतिशत







बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



सकल बिक्री पर प्रत्यक्ष खर्च की प्रतिशत



कर्मचारियों की संख्या





बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



निदेशक रिपोर्ट

प्रिय सदस्य,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की 35वीं लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण पेश करते हुए आनंद हो रहा है।

1. वित्तीय विशिष्टताएं

वर्ष 2015-16 के दौरान, संस्थान ने 8819 लाख रूपये का कारोबार हासिल किया जो कि 2014-15 में 4584 लाख रूपये थी, गत वर्ष के मुकाबले 92 प्रतिशत ज्यादा। इसी तरह घाटे को 913 लाख रूपये तक कम किया गया जा कि गत वर्ष 2014-15 के दौरान 1732 लाख रूपये था।

वर्ष 2015-16 के दौरान संस्थान के वित्तीय विशिष्टताएं पिछले वर्ष के आंकड़ों के साथ:साथ इस प्रकार हैं

(रूपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16
1	परिचालन आय (कारोबार)	4583	8819
2	कुल आय	6553	11276
3	लाभ/ (हानि) टैक्स के पूर्व	(1732)	(913)
4	मूल्यहास	360	395
5	वित्तीय लागत	1537	1642
6	सकल मार्जिन	165	1124
7	चुकता शेयर पूँजी	7696	7696

2. पूँजी संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूँजी 800000 लाख रूपये हैं (प्रत्येक 1000/ रूपये के हिसाब से 80000 सामान्य शेयर में विभाजित) और कंपनी की चुकता शेयर पूँजी 7696 लाख रूपये हैं। (प्रत्येक 1000/ रूपये के हिसाब से 769604 सामान्य शेयर में विभाजित)



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



3. लाभांश और संचय

वर्षों से जारी हानि को देखते हुए निदेशक वर्ष 2015-16 के लिए न किसी भी लाभांश के भुगतान की सिफारिश की और न ही कंपनी के सामान्य संचय के लिए किसी भी राशि का हस्तांतरण करते हैं।

4. उत्पादन

वर्ष 2015-16 के दौरान, संस्थान ने **10670** लाख रूपये का उत्पादन हासिल किया गत वर्ष 2014-15 में 6410 लाख रूपये का उत्पादन हुआ था जिसमें गत वर्ष के मुकाबले 66 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।

5. संचालन:

5.1 औद्योगिक रसायन: आपके संस्थान के औद्योगिक रसायन प्रभाग ने वर्ष 2015-16 में 570 लाख रूपये की आवर्त हासिल की है जो कि 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 338 लाख रूपये थी, गत वर्ष के मुकाबले 69 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।

5.2 फार्मास्यूटिकल्स प्रभाग: बीसीपीएल की फार्मास्यूटिकल्स प्रभाग ने वर्ष 2015-16 में 5613 लाख रूपये की आवर्त घोषित की है जो कि गत वर्ष 2014-15 में 2751 लाख रूपये थी अर्थात पिछले वर्ष के मुकाबले 104 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। यह बढ़ोत्तरी मानिकतल्ला फैक्टरी में बीटालैक्टम एवं सीफालोसपोरियन ब्लाक के आयोग से हुई है।

5.3 घरेलू पदार्थ: संस्थान की घरेलू उत्पाद प्रभाग ने वर्ष 2015-16 में 2636 लाख रूपये की आवर्त हासिल की है जो कि 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 1494 लाख रूपये थी, गत वर्ष के मुकाबले 76 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।

6. बीआईएफआर स्थिति:

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर)ने 2004 जनवरी 28को अपने पत्र में जनवरी 14 की सुनवाई 2004एसआईसीए की के संदर्भ में 19 की धारा 1985 मंजूरी योजना भेजी। कंपनी के खाते की पुस्तक में भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार एवं अन्य स्वीकृत पुनर्निवेशन योजना के अनुसार राहतें और रियायतें के अधिकांश प्रभाव को दर्शया गया है।

7. सहमति ज्ञापन के अंतर्गत रेटिंग प्रदर्शन

आपकी कंपनी ने वर्ष 2015-16 के लिए रसायन और उर्वक मंत्रालय, औषध विभाग के साथ समझौता ज्ञापन किया जहां कि 7000 लाख रूपये का कारोबार लक्ष्य तय किया गया।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी संस्थान ने 8819 लाख रूपये की आवर्त हासिल की है। कंपनी के अंकेक्षित परिणामों के आधार पर, बीसीपीएल को वर्ष 2015-16 के लिए "उत्कृष्ट" एमओयू रेटिंग प्राप्त होने की संभावना है। इसके अलावा, कंपनी के इतिहास में पहली बार आपकी कंपनी को वर्ष 2014-15 के एमओयू में सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा "अच्छा" दर्जा दिया गया। बीसीपीएल अपने खराब प्रदर्शन और निर्धारित समय के भीतर वार्षिक खातों के गैर अंतिम रूप दिए जाने के कारण पहले के वर्षों में डीपीई द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाता था।

8. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

सीपीएसई के लिए निगम प्रशासन के दिशा निर्देशों के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट संलग्नित । में संलग्न किया गया है।

9. निगम प्रशासन

बीसीपीएल एक कानूनी, नैतिक और पारदर्शी तरीके से व्यापार के संचालन में अच्छा कॉरपोरेट गवर्नेंस का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी का मानना है कि लंबे समय में अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने सभी हितधारकों के लिए धन के सृजन की ओर जाता है। बीसीपीएल डीपीई द्वारा जारी किए गए निगमित प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करता है और फार्मास्यूटिकल विभाग को तिमाही /वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट लगातार प्रस्तुत करता है। वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी सीपीएसई के लिए डीपीई द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश के अनुपालन के आत्म मूल्यांकन में 'उत्कृष्ट' दर्जा मिला। प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से अनुपालन प्रमाण पत्र के साथ साथ कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट अनुबंध ॥ में रखा गया है।

10. वार्षिक विवरण के सार

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के अंतर्गत आपकी कंपनी की वार्षिक विवरण का सार फार्म एमजीटी-9 संलग्नित ॥ में संलग्न है।

11. सतर्कता गतिविधियां

सतर्कता विभाग सतर्कता से संबंधित मामलों में शीर्ष प्रबंधन के लिए एक सलाहकारी की भूमिका निभाता है। यह एक अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी और एक अंशकालिक सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में है। सतर्कता विभाग की गतिविधियों को सन् 2000 के बाद से सुव्यवस्थित किया गया है।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



विभाग निवारक जांच के माध्यम से निर्धारित दिशा निर्देशों / प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है जैसे कि (i) पारदर्शिता की त्रैमासिक सूचना (ii) निविदाओं और अनुबंधों के लिए वेबसाइट का उपयोग। वर्ष 2015-16 के दौरान आठ आकस्मिक निरीक्षण विभाग द्वारा किए गए थे। तिमाही रिटर्न वार्षिक कार्य और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों, और सीवीओ की मासिक रिपोर्ट निर्धारित समय में सीवीसी के लिए भेजी गई।

12. मानव संसाधन

कंपनी उत्पादन में वृद्धि के महेनजर अपनी जनशक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ध्यान अपेक्षित विशेष कौशल के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा नियुक्त करने पर ध्यान अपेक्षित है। वर्ष 2015-16 के दौरान, कोई स्थायी कर्मचारी भर्ती नहीं किए गए। 31 मार्च, 2016 तक 370 कर्मचारी थे, जिसमें से 86 कर्मचारी तकनीकी रूप से या व्यावसायिक रूप से योग्य हैं। कंपनी के पास 52 महिला कर्मचारी हैं। भविष्य निधि, ग्रेचुटी और समूह दुर्घटना बीमा योजना की तरह विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं उपलब्ध हैं।

12.1 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग:

31 मार्च 2016 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की संख्या 37, 1 और 11 क्रमशः है, जो कुल संख्या का 14.02%, 0.27% एवं 2.97% है। राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग पर क्रमशः 15%, 7.5% एवं 27% अपेक्षित है। चूंकि बीसीपीएल सालों से एक रुण पीएसयू है (बीआईएफआर सूचीबद्ध) और कर्मचारियों की भर्ती, केवल सांविधिक और कार्यात्मक क्षेत्रों पर ही हो रहा है इसी कारणवश इन जातियों पर आरक्षण राष्ट्रपति के निर्देशानुसार पूर्ण रूप से संकलित नहीं किया जा सकता। लेकिन आवश्यक संख्या को शामिल करने की प्रक्रिया कंपनी के प्रदर्शन में सुधार के साथ साथ किया जाएगा।

12.2 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति :

31 मार्च 2016 तक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या 9 है जो कुल संख्या का 2.43% है। राष्ट्रपति के निर्देशानुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण पर कुल संख्या 3 प्रतिशत तक होना चाहिए। शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को उनके शारीरिक क्षमता के अनुरूप हल्के काम में लगाया गया है।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता



(भारत सरकार का उपक्रम)

12.3 जनशक्ति स्थिति :

क. 31 मार्च 2016 तक कुल कर्मचारी: 370

ग्रूप	स्थायी कर्मचारी		कुल कर्मचारी
	पुरुष	महिला	
क	77	9	86
ख	89	6	95
ग	116	15	131
घ	36	22	58
कुल	318	52	370
प्रतिशत	85.94%	14.06%	100%

ख. 31 मार्च 2016 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का प्रस्तुतीकरण :

ग्रूप	रोल पर कर्मचारी	एससी	एसटी	ओबीसी	विकलांग	अलप्संख्यक
		सं.	सं.	सं.	सं.	सं
क	86	8	0	5	0	1
ख	95	5	0	2	0	0
ग	131	18	1	3	9	4
घ	58	6	0	1	0	1
कुल	370	37	1	11	9	6
प्रतिशत		10%	0.27%	2.97%	2.43%	1.62%

ग. वर्ष 2015-16 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का पदोन्नति :

ग्रूप	कुल कर्मचारी पदोन्नति	एससी	एसटी	ओबीसी	विकलांग
क	15	0	1		0
ख	7	1	1		0
ग	18	5	0		9
घ	9	0	0	2	0
कुल	49	6	2	2	9
प्रतिशत	100%	12.24%	4.08%	8.16%	18.37%

* क IX से XIX स्तर तक दर्शाता है, ख IX से XIX स्तर तक दर्शाता है, ग IV स्तर तक दर्शाता है, घ I, II, III स्तर तक दर्शाता है।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



12.4 कर्मचारियों और वरिष्ठ प्रबंधनों का प्रशिक्षण

कंपनी प्रशिक्षण के माध्यम से भी अपने कर्मचारियों के निहित शक्ति का दोहन करने के लिए पहल किया है। कंपनी कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाओं, आदि उनके तकनीकी, संचार, व्यक्तिगत कौशल को बढ़ाने के लिए प्रयोजित कर रही हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान, 102 मैन डे प्रशिक्षण 89 कर्मचारियों को दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित एमओयू में 100 मैन डे ज का लक्ष्य दिया था।

क. आंतरिक प्रशिक्षण: वर्ष 2015-16 के दौरान, संस्थान ने आंतरिक प्रशिक्षण के तहत “मानव मूल्यों के माध्यम से समग्र प्रभावशीलता और व्यावसायिक उत्कृष्टता (मार्जुल !)” पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 मार्च 2016 को अपने कोलकाता कार्यालय में आयोजित किया जिसमें सभी यूनियनों के 20 प्रतिनिधियों ने (प्रत्येक संघ से 5) भाग लिया। “मानवीय मूल्यों के लिए रवींद्रनाथ टैगोर केंद्र” उक्त कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वयक थे।

ख. बाहरी प्रशिक्षण: वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी प्रतिष्ठिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण / पाठ्यक्रमों के लिए कई अधिकारियों को नामित किया। विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम का व्यौरा नीचे दिए गए हैं :

क्र. सं	दिनांक	विषय	प्रशिक्षक का नाम	भाग लिए कर्मचारियों की संख्या	कुल मैनडे
1	28/08/2015	गुणवत्ता प्रबंधन मानक एवं गुणवत्ता प्रौद्योगिकी उपकरण (क्यूएमएस/ क्यूटीटी)	बीएनसीसीआई, कोलकाता	2	2
2	08/09/2015	कंपनी (लागत अभिलेखा एवं लेखा परीक्षा) नियम 2014	आईसीएमए, कोलकाता	2	2
3	16/09/2015 to 17/09/2015	प्रभावी शापफ्लोर प्रबंधन	पश्चिम बंगाल राज्य उत्पादकता परिषद	2	4
4	01/10/2015	नॉर्थ इस्ट बाजार संबंधों और विक्रेता विकास प्रोग्राम	एनएफडीएफआई, गुवाहाटी	1	1
5	08/10/2015	सर्विस टैक्स 2015 में महत्वपूर्ण मुद्दों	5 नॉलेज एकेडेमी	3	3
6	26/11/2015 to 27/11/2015	पर्यवेक्षी कौशल विकास	पश्चिम बंगाल राज्य उत्पादकता परिषद	2	4



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता



(भारत सरकार का उपक्रम)

7	09/12/2015 to 10/12/2015	कराधान के प्रबंधन सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, विदेश व्यापार नीति (कानून एवं प्रक्रिया)	पश्चिम बंगाल राज्य उत्पादकता परिषद	1	2
8	09/01/2016	जीवन शैली रोग उन्मुख उनसे रोकथाम - इलाज से बेहतर नहीं है	पुष्पांजलि हाई टेक पुनर्वसन केन्द्र	26	26
9	15/01/2016	क्यूसीआई डी एल शाह गुणवत्ता पुरस्कार के बारे में संगठन के भीतर जागरूकता पैदा करने के लिए - संगठन को आवेदन करने और एक केस अध्ययन पर परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मदद करना।	बीएनसीसीआई, कोलकाता	2	2
10	16/01/2016	स्टार्ट अप भारत आंदोलन बीओपीटी की बैठक	बीओपीटी - ईआर कोलकाता	24	24
11	05/02/2016 to 07/02/2016	एआईएमए के 6वें वारिष्ठ नेतृत्व रिट्रीट “नेतृत्व को पकड़ने से लेकर: भारतीय दृष्टिकोण और रणनीति बदलना”	ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए)	1	3
12	17/02/2016 to 18/02/2016	कार्यस्थल पर महिला सशक्तिकरण एवं उत्पीड़न	पश्चिम बंगाल राज्य उत्पादकता परिषद	2	4
13	18/02/2016 to 22/02/2016	सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व और प्रदर्शन प्रबंधन	प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज हैदराबाद	1	5
14	12/03/2016	समग्र प्रभावशीलता और व्यावसायिक उत्कृष्टता मानव मूल्यों के माध्यम से (मॉइयूल-1)	मानवीय मूल्यों के लिए रवींद्रनाथ टैगोर केन्द्र	20	20
14		कुल		89	102



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



13. राजभाषा का प्रचार प्रसार

बीसीपीएल अपने कार्पोरेट कार्यालय, सभी कारखानों और सभी शाखा कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के / कार्यान्वयन पर सभी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करता है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत कंपनी में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के उपयोग की अनिवार्यता पर जोर देती है। संसदीय राजभाषा समिति समय समय पर हमारे संगठन का दौरा करती है और हिंदी में हुई प्रगति की समीक्षा करती है। कंपनी द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयासों का जायजा लिया गया। कंपनी ने हिंदी सलाहकार समिति की बैठक, जहां कंपनी में हिन्दी के प्रयोग पर प्रगति की भी समीक्षा होती है में भाग लिया था। दैनिक कार्यालीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु हिंदी टिप्पणियां, आदेश आदि तथा लेखन सामग्री द्विभाषी रूप में ज्ञापोण लेवल्स, कार्टून्स और दवाओं के पैकिंग द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी में) रूप में जाएगा आदि का भी जायजा लिया। कर्मचारियों की सेवा फाइल भी द्विभाषी रूप में मुद्रित कर ली गई है।

हिंदी पुस्तकों कंपनी के पुस्तकालय के लिए नियमित रूप से खरीदी जा रही हैं। एक द्विभाषी शब्द दैनिक आधार पर कंपनी के नोटिस बोर्ड पर लिखे जाते हैं। कर्मचारी जो सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रबोध, प्रवीण व प्रज्ञा परीक्षा पास कर लेते हैं उन्हें नकद पुरस्कार दिए जा रहे हैं। कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए हिंदी अखबारें और पत्रिकाएं लेती है। कंपनी की वेबसाइट का हिंदी संस्करण अपलोड किया गया है। कंपनी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी कामकाज में इसकी वृद्धि आवेदन के लिए हिंदी कार्यशालाएं, सेमिनार और प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था के लिए अपने प्रयास को जारी रखा है।

14. प्रशासनिक व्यय में अर्थव्यवस्था

सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2015-16 के दौरान बीसीपीएल में प्रशासनिक व्यय में कमी करने के लिए प्रयास जारी रखा है। वर्ष 2015-16 के दौरान, प्रशासनिक/अन्य व्यय शुद्ध बिक्री में 24.60 प्रतिशत है जो कि गत वर्ष 2014-15 में 34.54 प्रतिशत था।

15. कार्यस्थल पर महिलाओं की रक्षोपय

एक अधिनियम 2013 के तहत "महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण)



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता



(भारत सरकार का उपक्रम)

कार्यस्थल” 9 दिसंबर 2013 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के नियमों की अधिसूचना के साथ अस्तित्व में आ गया है जिससे कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने के लिए, रोकथाम के लिए और यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण और उससे संबंधित मामले या उससे संबंधित आनुषंगिक हल होते हैं। अधिनियम और उस पर नियमों के प्रावधानों के साथ कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार, आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2015 16 के दौरान, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एक कार्यशाला / यौन उत्पीड़न पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत वर्ष 2015 16 के दौरान प्राप्त नहीं हुई। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर “कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013,” शामिल है।

16 निदेशक मंडल

क. वर्तमान में बीसीपीएल की बोर्ड में निम्नलिखित लोग शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम	से प्रभावी
1.	श्री ई.ए. सुब्रमण्यम प्रबंध निदेशक	5 फरवरी 2014
2.	श्री पी.एम. चंद्रश्या निदेशक (वेत्त)	25 नवंबर 2014
3.	श्री आर. के. मग्गो अंशकालिक निदेशक (सरकारी)	9 जून 2015*
4.	श्री अनिल गुप्ता बीआईएफआर नामित निदेशक	18 जुलाई 2011

* 29 फरवरी 2016 तक

ख. वर्ष 2015 16 के दौरान निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों में नियुक्ति या इस्तीफा का ब्यौरा और निदेशक कुंजी प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारी से संबंधित नीति इस रिपोर्ट से जुड़ी शासन पर रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

17. निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सेक्सन 134 (3) (सी) और 134 (5) के तहत आपके निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं:



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता



(भारत सरकार का उपक्रम)

- i) वार्षिक लेखा की तैयारी में लागू लेखा मानक उचित स्पष्टीकरण सामग्री प्रस्थान से संबंधित के साथ पालन किया गया है;
- ii) निर्देशकों ने ऐसे लेखांकन नीतियों कि चयनित किया है और उन्हें लगातार आवेदन किया है कि 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के कंपनी के मामलों पर एक सच्चे और निष्पक्ष विचार रखें जिसमें कि उस अधिकारी के दौरान के कंपनी की लाभ और हानि भी शामिल है।
- iii) उचित और पर्याप्त देखभाल कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम 2103 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त अभिलेखों के रखरखव के लिए और रोकने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए लिया गया है।
- iv) वार्षिक लेखा खातों को सतत प्रक्रिया के अनुसार बनाया गया है;
- v) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए एक उचित सिस्टम की व्यवस्था की है।

18. लागत लेखा परीक्षा

अधिनियम 2013 कंपनियों की धारा 148 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2015 16 के लिए श्री एस. के. चक्रवर्ती, लागत लेखाकार को लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 2015 16 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट निर्धारित समय के अंदर केंद्र सरकार को दी जाएगी। वर्ष 2014 15 की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट 25 अगस्त 2015 को आयोजित 170वें बोर्ड बैठक में अनुमोदित की गई थी, और वैधानिक समय सीमा के भीतर कारपोरेट मामलों के मंत्रालय को भेजी गई।

19. लेखा परीक्षक

वर्ष 2015 16 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा (सी एंड एजी) द्वारा नियुक्त कंपनी के वैधानिक और शाखा लेखा परीक्षकों की सूचि।

क्र. सं.	संस्थान का नाम	क्षेत्र
1.	मेसर्स भट्टाचार्य दास एंड कंपनी कोलकाता, वैधानिक लेखा परीक्षक और पूर्ण भारत समेकन)	सांविधिक लेखा परीक्षक (कारपोरेट कार्यालय की लेखा परीक्षा, मुख्यालय, मानिकतला, पानीहाटि, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, पटना, कटक और पूरे भारत समेकन)
2.	मेसर्स ब्रह्मेच्छा मोदी एंड कंपनी, मुंबई, शाखा लेखा परीक्षक	मुंबई फैक्टरी



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



20. प्रकटीकरण के विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनियों (लेखा) नियम 2014 भी पढ़ें, ऊर्जा के संरक्षण की जानकारी, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के तहत के रूप में जानकारी विस्तृत रूप से पेश किए गए हैं।

20.1 ऊर्जा दक्षता और इसका संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण हर क्षेत्र की सर्वोच्च प्राथमिकता की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को संकीर्ण और भारत में ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण मुख्य रूप से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्रिस्प का मुकाबला करने के लिए है।

बीसीपीएल निम्न तरीकों से इस संबंध में योगदान दे रहा है -

क. ऊर्जा संरक्षण के लिए गए उपाय: ऊर्जा की बढ़ती लागत को देखते हुए कंपनी ऊर्जा के संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है और एक ऊर्जा कुशल इकाई होना कंपनी की प्रतिबद्धता है। प्रति उत्पादन की इकाई विशिष्ट ऊर्जा खपत सभी विनिर्माण संयंत्रों में नियमित रूप से नजर रखा जाता है और सुधारात्मक कार्रवाई आवश्यकतानुसार की जाती है।

ऊर्जा संरक्षण पर कंपनी द्वारा उठाए गए कदम पर उनके प्रभाव::

- ऊर्जा लेखा परीक्षा टैबलेट उत्पादन क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है और एनर्जी ऑडिट फर्म द्वारा की गयी पेशकश सुझावों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
- एलईडी/सीएफएल से सामान्य रोशनी को बदलने का प्रयास किया गया है। 100/200 वाट लैम्प्स को 40 वाट घूब लाइट एवं 23 वाट सीएफएल लैम्प से बदल दिए गए ताकि ऊर्जा की खपत कम हो। इन प्रयासों के कारण ऊर्जा की खपत लगभग 60 प्रतिशत हो गई है।
- कार्यालय में ऊर्जा के कम से कम उपयोग के लिए सभी सावधानियां बरतीं जा रही हैं जैसे कि जब भी कर्मचारी अपने कक्ष में नहीं होते तो लाइट/फैन/एयर कंडीशनर बंद कर दिए जाते हैं।
- कुछ पुराने विंडो एयर कंडीशनर नया स्प्लिट एयर कंडीशनर से बदले गए हैं ताकि ऊर्जा की खपत कम हो।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम:

- आपकी कंपनी ने ग्रिड सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल ग्रीन ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (पश्चिम बंगाल सरकार का उपक्रम) से पहले ही संपर्क कर लिया है। उन्होंने बीसीपीएल को सुनिश्चित किया कि शुरू में वे प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे (अर्थात् मानिकतला फैक्टरी) तथा इस प्रस्ताव पर एक रिपोर्ट बनाएंगे।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



20.2 तकनीकी समावेश

क. अनुसंधान एवं विकास

वाणिज्यिक उत्पादन के लिए अनुकूलित निम्नलिखित उत्पादों के प्राथमिक और माध्यमिक पैकेजिंग आंतरिक किए जाने लगे जो कि पहले ऋण लाइसेंस के माध्यम से आउटसोर्स किए जाते थे।

टैब्लेट्स :

1. नोरफ्लोक्सासिन और टिनडाजोल गोलियाँ (फिक्स्ड खुराक संयोजन)
2. इबुप्रोफेन 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम की गोलियाँ
3. टिनडाजोल 500 मिलीग्राम की गोलियाँ
4. क्लोरोक्विन फास्फेट 250 मिलीग्राम की गोलियाँ
5. नोरफ्लोक्सासिन 400 मिलीग्राम की गोलियाँ
6. निमेसुलीड 100 मिलीग्राम की गोलियाँ
7. विटामिन डी3 टैब्लेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट (रायकल डी एस)
8. मेट्रोनाइडाजोल 200 मिलीग्राम की गोलियाँ

कैप्सूल:

1. एमोक्सीसाईक्लिन और क्लोक्सासिलीन कैप्सूल
2. एम्पीसिलीन 500 मिलीग्राम कैप्सूल
3. एम्पीसिलीन 250 मिलीग्राम कैप्सूल

मलहम:

1. डाईक्लोफेनाक जेल – 30 ग्राम (बेनफ्लाम)

ख. तकनीकी समावेश

तकनीकी समावेश की दिशा में किए गए प्रयासः फिनोल, नेफ्थलीन और फिटकिरी (एलम) उत्पादन के लिए नए उपकरण पानिहाटि फैक्टरी में स्थापित किए गए। कंपनी ब्हाइट टाइगर, क्लीन टॉयलेट आदि के उत्पादन के लिए भी अन्य नए उपकरणों को स्थापित करने की योजना बना रही है।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



उत्पाद विकास, लागत में कमी, उत्पाद सुधार आयात प्रतिस्थापन से हुए लाभः कारखाने में नए उपकरणों की स्थापना के परिणामस्वरूप परिसर उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार आया और लागत भी कम हो गई।

आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्त वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित): कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों में किसी भी प्रौद्योगिकी की आयात नहीं की गई है।

21 विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने विदेशी मुद्रा में कोई लेनदेन नहीं किया। हालांकि, विदेशी बाजारों में प्रवेश करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कंपनी आगामी वर्षों में विदेशी मुद्रा से कुछ कमा सके।

22. गुणवत्ता प्रबंधन : आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित एवं जीएमपी प्रमाणित

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रमाणित संस्थान एक आईएसओ 9001:2008 संगठन है, जो कि 02.07.2014 से 01.07.2017 तक मान्य है। हमारे कर्मियों द्वारा गुणवत्ता प्रणाली के लिए बनाई आंतरिक ऑडिट की योजना के अलावा समय समय पर बीआईएस निगरानी लेखा परीक्षा का आयोजन करता रहता है। 14 एवं 15 अक्टूबर 2015 को निगरानी लेखा परीक्षा आयोजित की गई थी। वे हमारे प्रमाण पत्र को जारी रखने की सिफारिश करके गए हैं क्योंकि वे आईएसओ आवश्यकतानुसार हमारे गुणवत्ता प्रणाली के प्रदर्शन से संतुष्ट थे।

आपकी कंपनी ने बेटालैक्टम कैप्सूल, नान बेटालैक्टम टैबलेट और मरहम विभाग के लिए जीएमपी प्रमाणपत्र का नवीकरण भी प्राप्त किया है जो कि 31 दिसंबर 2016 तक मान्य है।

23. परियोजना कार्यान्वयन

भारत सरकार ने मानिकतल्ला एवं कानपुर फैक्टरी में उन्नयन और जीएमपी शिकायत उत्पादन सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी और पानिहाटि में रासायनिक संयंत्र के आधुनिकरण के लिए सीएपीईएक्स के साथ 145 करोड़ रूपये का नगर विनिर्माण पूरा हो गया है एवं नगर विनिर्माण मानिकतला एवं कानपुर में कार्य प्रगति पर है। फंड में कमी के कारण कानपुर में नगर विनिर्माण का कार्य रुका हुआ है। कार्य भारत सरकार के उपक्रम एनबीसीसी को दे दिया गया है।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता



(भारत सरकार का उपक्रम)

एनएनई फार्माप्लान एवं मेसर्स जेन मार्केटिंग टेक्नोलाजिज को फार्मा एवं रासायनिक संयंत्र के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

की गई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की परिकल्पना इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	स्थान	परियोजना	क्रियान्वयन की स्थिति
1	मानिकतल्ला	मरहम विभाग और बाहरी तैयारी केंद्रीय भंडार, सड़कें, नालियों, ईटीपी विजलीघर, अन्य सेवाएं आदि के संयंत्र की क्षमता विस्तार।	परियोजनाएं संपूर्ण
2	मानिकतल्ला	ओरल लिक्विड विभाग की स्थापना	परियोजना प्रारंभिक चरण में मुकद्दमेबाजी की वजह से अटक गया था। परंतु बाद में पूँजी में कमी के कारण प्रोजेक्ट बंद हो गया। भारत सरकार से इस प्रोजेक्ट को फिर से चालू करने के लिए बजटीय समर्थन की आवश्यकता है।
3	मानिकतल्ला	टैबलेट, कैप्सूल, शुष्क पाउडर, इंजेक्शन और ड्राई सिरप के निर्माण के लिए एकीकृत सुविधाओं के साथ सीफालोस्पोरिन और बीटा लैक्टम ब्लॉकों की स्थापना करना।	स्थानपना का कार्य पूरा हो चूका है। सीफालोस्पोरिन और बीटा लैक्टोम ब्लॉकों में मान्यकरण और कमीशनिंग कार्य प्रगति में है।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता



(भारत सरकार का उपक्रम)

4	मानिकतल्ला	<p>एंटी स्नेक वेनम सीरम की स्थापना (एएसभीएस) विनिर्माण सुविधाओं, पशु हाउस के उन्नयन आदि</p>	<p>परियोजना प्रारंभिक चरण में मुकद्दमेबाजी की वजह से अटक गया था। परंतु बाद में पूँजी में कमी के कारण प्रोजेक्ट बंद हो गया। भारत सरकार से इस प्रोजेक्ट को फिर से चालू करने के लिए बजटीय समर्थन की आवश्यकता है।</p>
5	कानपुर	<p>टेबलेट्स, ओआरएस, और स्टेराइल उत्पादों के विनिर्माण की सुविधा। क्यू सी ब्लॉक, क्वारंटाइन ब्लॉक, स्टोर। प्रशासनिक कार्यालय। ईटीपी, साइट के विकास, पावर हाउस, सेवा आदि।</p>	<p>परियोजना केवल 50 प्रतिशत संपूर्ण हुआ है। माड्यूलर कार्य, एचभीएसी अभी करना बाकी है। भारत सरकार से इस प्रोजेक्ट को फिर से चालू करने के लिए बजटीय समर्थन की आवश्यकता है।</p>
6	पानिहाटी	<p>फिनोल की विनिर्माण के लिए सुविधाएं स्थापित करना। व्हाइट क्लीनिंग लीक्विड (व्हाइट टाइगर), टॉयलेट क्लीनर (क्लीन टायलेट), नेफ्रथलीन बॉल्स आदि के निर्माण के लिए समग्र ब्लॉक की स्थापना। आलम प्लांट की क्षमता के विस्तार के लिए उन्नयन और आधुनिकीकरण। सड़क, नालियां, साइट के विकास, ईटीपी, बिजलीघर, प्रशासनिक भवन एवं अन्य सेवाएं।</p>	<p>परियोजनाएं संपूर्ण</p>



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



24. कंपनी नियम 2014 (नियुक्ति और प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक) 5 (2) के अनुसार कर्मचारियों के लिए वैधानिक सूचना नियम के संबंध में

वर्ष 2015 16 के दौरान कंपनी का कोई भी कर्मचारी भारत में अथवा विदेश में पारिश्रमिक तौर पर 5,00,000 रूपये प्रति माह एवं सालाना 60,00,000 रूपये नहीं प्राप्त किए हैं।

25. कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) और स्थिरता

बीसीपीएल एक रुग्ण कंपनी होने के नाते वर्तमान में किसी भी सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों का संचालन नहीं कर रही है। हालांकि, संस्थान बदलाव के कगार पर है और आपकी कंपनी ने वर्ष 2015 16 के दौरान 1124 लाख रूपये की सकारात्मक सकल मार्जिन दर्ज किया है जो कि गत वर्ष 2014 15 में केवल 165 लाख रूपये की ही थी। इसके अलावा, कंपनी की कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति है। साथ ही वर्ष 2015 16 के लिए संस्थान ने सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों के लिए स्वेच्छापूर्वक 2 लाख रूपये प्रावधान के रूप में रखा है।

26. “स्वच्छ भारत अभियान” के तहत पहल

विभिन्न कीटाणुनाशक और साफ सफाई उत्पादें जैसे ब्लीचिंग पाउडर, फिनोल, नैथ्रालीन बाल्स, क्लीन टायलेट आदि आपकी कंपनी अपने ‘घरेलू पदार्थ प्रभाग’ में बनाती है अथवा इन उत्पादों को सरकारी संगठनों और विभिन्न अस्पतालों में देती है और ‘स्वच्छ भारत अभियान’ में योगदान दे रही है।

27. कानून का अनुपालन

आपकी कंपनी सभी लागू कानूनों के अनुरूप है। सभी विभागाध्यक्षों से सभी कानूनों के अनुपालन का एक प्रमाण पत्र तिमाही आधार पर लिया जाता है और कंपनी के लिए लागू कानूनों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट तिमाही आधार पर बोर्ड की बैठक में रखी जाती है।

28. सरकार के दिशा निर्देशों और नीतियों का अनुपालन

समय समय पर सार्वजनिक उपक्रम और औषध प्रभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश और नीतियां जहां तक संभव हो सका पालन किया गया।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



29. ऋण, गारंटी या निवेश के विवरण

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अंतर्गत किसी भी तरह का ऋण /किसी भी तरह का गारंटी एवं सुरक्षा / कोई निवेश नहीं किया।

30. डिपोजिट

कंपनी ने अपने अंतरिम किसी भी तरह का डिपोजिट नहीं लिया है, जोकि कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय 5 के अनुपालन में नहीं है।

31. संबंधित पार्टी के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 (1) को ध्यान में रखते हुए कंपनी संबंधित पार्टी के साथ किसी भी तरह का अनुबंध या व्यवस्था नहीं किया है।

32. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम

लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के तहत, वित्तीय वर्ष 2015 16 के दौरान आपकी संस्थान ने लघु एवं मध्यम उपक्रम से 810.88 लाख रूपये का माल लिया, जिसमें कि कुल खरीद 5647.91 लाख रूपये की थी, जो कि कार्यालय की कुल खपत का 14.36 प्रतिशत है, हालांकि वित्तीय वर्ष के समाप्त तक 91.57 लाख रूपये आपूर्तिकर्ताओं का बकाया रह गया। चूंकि आपकी कंपनी एक घाटे वाली कंपनी है, एमएसएमई के दिशा निर्देशों के अधिकतम पालन करती है और ये आश्वस्त दिलाती है कि आगामी वर्षों में एमएसएमई का पूर्ण रूप से पालन करेगी।

33. जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन कंपनी की रणनीतिक योजना का एक अभिन्न हिस्सा है। कंपनी में पर्यास आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। निदेशक बोर्ड के विधिवत मंजूरी के उपरांत ही आपकी कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है। छह सदस्यों से मिलकर एक जोखिम प्रबंधन समिति भी गठित की गई है। इस नीति के कार्यान्वयन की स्थिति लेखा परीक्षा समिति की बैठक और तिमाही आधार पर बोर्ड की बैठक में जाता है।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



34. प्रचार एवं जनसंपर्क

आपकी कंपनी को निम्न विधियों के माध्यम से विशाल सार्वजनिक दृश्यता और ब्रांड को बढ़ावा देने में फायदा हुआ है:

विधि	विवरण
प्रिंट मीडिया	दैनिक में प्रदर्शन, पत्रिकाओं, और प्रमुख समाचार पत्रों जैसे टाइम्स आफ इंडिया / ई समय/ आजकल / सौनंदा / आनंदलोक इत्यादि
प्रदर्शनी	स्थानीय प्रदर्शनी: पानीहाटी उत्सव/फ्यूसन, पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय प्रदर्शनी : भारतीय फार्मा, (बैंगलुरु), एएफएमएसडी कांफ्रेंस आदि
इलेक्ट्रोनिक मीडिया	एक सीमित अवधि के लिए ईटीवी बांग्ला में टीवीसी
फ़िल्ड टीम	बुकलेट/डैंगलर के माध्यम से प्रचार

पावती

वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक संस्थान के सभी सदस्यों के मूल्य समर्थन के लिए सभी की सराहना करते हैं। आपके निदेशक ईमानदारी से भारत सरकार विशेष रूप से रसायन और उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, और विभिन्न राज्य सरकारों, विनियामक और सांविधिक अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों का उनके सहायता, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम अपने सभी बैंकर्स, हितधारक, ग्राहक, सलाहकार, ठेकेदार और विक्रेताओं का भी संस्थान में उनका समर्थन जारी रखने अथवा आत्मविश्वास कायम रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशक संस्थान के सभी कर्मचारियों के मूल्य समर्थन के लिए उनको धन्यवाद ज्ञाप्त करना चाहेंगे।

बोर्ड की तरफ से

ह/-

(पीएम चंद्रय्या)

निदेशक (वित्त)

डीआईएन: 06970910

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 27 मई 2016

ह/-

(इ. ए. सुब्रमनियन)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 06818313



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



अनुबंध-I

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

आपके निदेशक सभी शेयरधारकों को यह बता चुके हैं कि कंपनी की अपनी निर्माण सुविधा कोलकाता (मानिकतल्ला एवं पानिहाटी) में है, मुंबई और कानपुर ड्रग्स और फार्मूलेशन, औद्योगिक रसायन और प्रसाधन सामग्री के निर्माण के लिए हैं। कंपनी के उत्पादों तीन विभागों में वर्गीकृत किए गए हैं जैसे विभाग I, औद्योगिक रसायन विभाग II, और ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स और घरेलू उत्पाद विभाग III। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण यहाँ के तहत दिया जाता है:

1.0 वैश्विक फार्मास्यूटिकल उद्योग

भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग पिछले कुछ वर्षों में मजबूती से विकास कर रही है जैसे कि 1990 में कुल आवर्त यूएस \$ 1 बिलियन की थी वो अब 2015 में यूएस \$ 15 बिलियन की हो गई है, जिसमें की निर्यात आवर्त ही \$ 15 बिलियन की है। देश अब विश्व स्तर पर उत्पादन की मात्रा में तीसरे पायदान पर है एवं मूल्यों के हिसाब से चौदहवें, जिसमें विश्व की 10 प्रतिशत की उत्पादन एवं मूल्यों के हिसाब से 1.5 प्रतिशत है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामान्य उत्पादन में चौथे पायदान पर है एवं बल्क एक्टिव एंड डोसेज फॉर्म्स के निर्यात मूल्य के संदर्भ में सतरहवें। भारत विश्वीय स्तर पर 200 से अधिक देशों में निर्यात करता है जिसमें यूएस, पश्चिम यूरोप, जापान और आस्ट्रेलिया के अत्यधिक विनियमित बाजार भी शामिल हैं। इसने बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी आधार के निर्माण और उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में अविश्वसनीय प्रगति दिखाई है। फार्मास्यूटिकल उद्योग अब आवश्यकतानुसार सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों से संबंधित बल्क दवाओं का उत्पादन करती है।

2017 तक 3.6 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के हिसाब से वैश्विक दवा उद्योग का व्यापार यूएस ट्रिलियन \$ 1.2 तक बढ़ने की उम्मीद है और उभरते बाजार इसके मुख्य विकास होने के कारण होंगे। आर्थिक विकास, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, सामुदायिक स्वास्थ्य और नीति प्रतिक्रियाओं में संक्रमण की तरह कई कारकों और स्वास्थ्य के वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित दवा बाजार में दो अंकों की वृद्धि करने के लिए नेतृत्व करने की उम्मीद कर रहे हैं।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



मानव स्वास्थ्य के कल्याण से सीधे जुड़े होने के कारण दवा उद्योग स्वस्थ और उत्पादक राष्ट्र के विकास के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। आज, दवा उद्योग विश्व के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ रही वैश्विक उद्योगों में से एक माना जाता है। यह दुनिया भर के कई देशों के लिए रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा आय का एक प्रमुख स्रोत है।

1.1 दवा और रसायन उद्योग का विकास

भारत में दवा उद्योग के विकास के प्रभावित कारक

- भारत विश्वीय स्तर पर 200 से अधिक देशों में \$15 बिलियन का निर्यात करता है जिसमें यूएस, पश्चिम यूरोप, जापान और आस्ट्रेलिया के अत्यधिक विनियमित बाजार भी शामिल हैं।
- बड़ी घरेलू दवा कंपनियां विकसित हो रही हैं, भारत बहुत जल्द कई चिकित्सा और भारतीय बाजार में खंडों में नेतृत्व की स्थिति संभालने के साथ ही एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय निर्यातक बन जाएगा।
- भारतीय उद्योगकर्ताओं ने भी महत्वपूर्ण बायोलॉजिक्स क्षमताओं में विशेषज्ञता विकसित की है।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में काफी निवेश कर रही हैं और उनकी मौजूदगी भारतीय फार्मास्यूटिकल्स बाजार के सब क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है। टियर II शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंपनियों ने ज्यादा निवेश करके अपनी मौजूदगी दायर करनी शुरू कर दी है और भारत की आबादी के एक बहुत बड़े वर्ग के लिए चिकित्सा देखभाल और अधिक सुलभ बनाई है।
- अनुसंधान एवं विकास लागत के साथ कम लागत में उत्पादन
- अभिनव और वैज्ञानिक जनशक्ति
- विश्व स्तरीय राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों के विकास में विशेषज्ञता प्रयोगशाला
- दवा के क्षेत्र में व्यापार संतुलन बढ़ाना
- जेनेरिक दवाओं की खरीद के लिए एक कुशल और लागत प्रभावी स्रोत

सरकार की पहल: विकास के लिए क्षमता को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने भारतीय दवा क्षेत्र के विकास की पहल के मद्देनजर जुलाई 2008 में एक अलग विभाग बनाया (अर्थात् फार्मास्यूटिकल विभाग)



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



विभाग को फार्मास्यूटिकल उद्योग की नीति, योजना, विकास की जिम्मेदारी और विनियमन सौंपा गया है। भारतीय दवा उद्योग की ताकत का एक आकलन निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं से पता चलता है:

- बड़ी घरेलू फार्मा कंपनियों का विकास जारी रखा गया, कई चिकित्सा और भारतीय बाजार में खंडों में नेतृत्व की स्थिति संभालने के साथ ही एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय निर्यात रीढ़ की हड्डी का निर्माण।
- नए और अभिनव व्यापार मॉड्यूल के साथ दूसरी श्रेणी में भारतीय कंपनियों की संख्या के उद्धव के साथ प्रतिस्पर्धी बाजार।
- भारतीय उद्योगकर्ताओं ने भी महत्वपूर्ण बायोलॉजिक्स क्षमताओं में विशेषज्ञता विकसित की है।
- जीवविज्ञान विभाग जो कि अभी भारत में आरांभ हुआ उसे भविष्य के मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में काफी निवेश कर रही हैं और उनकी मौजूदगी भारतीय फार्मास्यूटिकल्स बाजार के सब क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है। टियर II शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंपनियों ने ज्यादा निवेश करके अपनी मौजूदगी दायर करनी शुरू कर दी है और भारत की आबादी के एक बहुत बड़े वर्ग के लिए चिकित्सा देखभाल और अधिक सुलभ बनाई है।
- उत्पादन की कम लागत
- कम अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) की लागत
- नवीन वैज्ञानिक जनशक्ति।
- विश्व स्तरीय राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों के विकास में विशेषज्ञता प्रयोगशाला
- फार्मा सेक्टर में व्यापार संतुलन को बढ़ावा दिया
- जेनेरिक दवाओं की खरीद के लिए एक कुशल और लागत प्रभावी स्रोत, विशेष रूप से दवाएं जो अगले कुछ वर्ष में बंद हो जाएंगे।
- जनसंख्या में विविधता की दृष्टि से चिकित्सीय परीक्षण के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र।

औषध विभाग को निम्नलिखित जिम्मेदारिया सौंपी गयी है:



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



- ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, विशेष रूप से अन्य विभागों को आवंटित को छोड़कर।
- चिकित्सा उपकरण – संवर्धन, उत्पादन और निर्माण से संबंधित उद्योग के मुद्दे: विशेष रूप से अन्य विभागों को आवंटित को छोड़कर।
- दवा क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों से संबंधित संवर्धन एवं बुनियादी और अन्य अनुसंधान के लिए संबंधित समन्वय लागू किए।
- बुनियादी ढांचे, मानव शक्ति और दवा क्षेत्र और संबंधित जानकारी के प्रबंधन के लिए कौशल का विकास।
- दवा के क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों के बारे में जानकारी और तकनीकी मार्गदर्शन के साथ भारत और विदेशों में शिक्षा और उच्च अंत अनुसंधान और फैलोशिप का अनुदान, आदान प्रदान सहित प्रशिक्षण।
- पब्लिक प्राइवेट दवा से संबंधित क्षेत्रों में भागीदारी का संवर्धन।
- भारत और विदेशों में संबंधित क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ दवा अनुसंधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

- अन्तर-क्षेत्रीय समन्वय और संस्थानों के बीच समन्वय संगठनों सहित केन्द्रीय और राज्य सरकारों से संबंधित क्षेत्रों का विकास फार्मास्यूटिकल्स विभाग को सौंपा गया।
- दवा क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए तकनीकी सहायता।
- राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित सभी मामलों में मूल्य नियंत्रण।
- नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर फार्मेसी एजुकेशन एंड रिसर्च से संबंधित मामले
- विभाग द्वारा संचालित सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता प्रदान करना।

रसायन उद्योग

देश की स्थापना की पारंपरिक क्षेत्रों के बीच भारतीय रसायन उद्योग देश के आर्थिक विकास में एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं। यह क्षेत्र बुनियादी वस्तुओं के उद्योग का एक हिस्सा और औद्योगिक तथा कृषि विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है।

भारतीय रसायन उद्योग भारत में सबसे पुराने उद्योगों में से एक है और औद्योगिक और कृषि विकास में इसका अपार योगदान है।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता

(भारत सरकार का उपक्रम)



इसमें दोनों बड़े और छोटे पैमाने पर इकाइया सम्मिलित हैं। वित्त वर्ष 1980 के मध्य में छोटे पैमाने पर इकाइयों को दी गई राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण इस क्षेत्र में एमएसएमई के विकास पर जोर दिया गया। रसायन उद्योग वस्त्र, चमड़ा, प्लास्टिक, कागज, मुद्रण स्थाही और खाद्य पदार्थों, तथा अन्य क्षेत्रों की जरूरतों में कार्य करता है।

रसायन उद्योग सबसे विविध औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है और बुनियादी रसायन और उसके उत्पादों, पेट्रोरसायन, उर्वरक, पेंट, गैस, फार्मास्यूटिकल्स, रंग, आदि को भी शामिल करता है। क्षेत्र के 70,000 से अधिक वाणिज्यिक उत्पादों का आवरण है और इस तरह दवाओं के अंतिम चरण, रंजक, कागज, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, पेंट, कीटनाशक, उर्वरक और डिटर्जेंट के रूप में कई डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए फीडस्टॉक प्रदान करता है। इन वर्षों में, उद्योग उत्पाद नवीनता, ब्रांड निर्माण और पर्यावरण मित्रता की दिशा में एक बदलाव के साथ विकसित किया गया है। इसके अलावा, ग्राहक पर केंद्रण उद्योग में महत्वता प्राप्त कर रहा है।

भारत में रासायनिक उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.11 प्रतिशत का लेखांकन इसी से होता है। उत्पादन की मात्रा के संदर्भ में, भारतीय रसायन उद्योग एशिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में छठे स्थान पर है।

भारत सरकार इस क्षेत्र में अपना 100 प्रतिशत समर्थन प्रदान करती है। भारतीय रसायन क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति है, जबकि अधिकांश रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण लाइसेंस मुक्त है। सरकार इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को भी प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, सरकार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सुरक्षित रासायनिक वस्तुओं के उत्पादन की सूची में लगातार में कमी कर रही है, जिससे प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण में अधिक से अधिक निवेश हो सके।

सरकार ने ड्राफ्ट राष्ट्रीय केमिकल नीति को शुरू किया है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में रासायनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयोजन है।

वृद्धि के कारक

आपकी कंपनी विस्तार और बहु उत्पादों में विविधता के साथ तीन विभाग में बंटी है। विभाग I में एल्यूमिनियम सल्फेट (एलम), विभाग II ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसेकि अनालगेसिक्स & एन्टीप्यरेतिक्स, एन्टीतुस्सिवे, एक्स्प्रेक्टोरंट्स, एन्ज्यमेस, & हेपतोबिलिअरी प्रेपरसन, डिउरेतिक्स, टोपिकल एंटी इन्फेक्शिव & एन्टीफंगल्स, नॉन - स्टेरोइडल, एन्टी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, मसल रिलैक्सेशन, एंटीबायोटिक्स & एन्टी बक्टेरिअल, एन्ट थ्यूबकुलर ड्रग्स, एन्टीमलारियल ड्रग्स, विटामिन,



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



ओरल इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटियास्थमेटिक प्रेपरसन, एंटी वेनम सीरम और डिवीजन तृतीय में शामिल हैं सौंदर्य प्रसाधन और घरेलू उत्पादों, नामतः कैंथरीडीन हेयर ऑयल, डिस इन्फेक्टेंट (लैंप ब्रांड फिनायल), मोथ रेपेल्लांत, नेफथलीन बाल्स, अंगुरु (इत्र), फ्लोर क्लीनसर (न्हाइट टाइगर) और टॉयलेट क्लीनर (क्लीन टॉयलेट)। इन उत्पादों के उत्पादन दवा और रसायन क्षेत्र में अवसरों के नए रास्ते खुलेंगे। आपकी कंपनी अपने सभी उत्पादों की आपूर्ति/वितरण देश भर में कर रही है। गुणवत्ता नियंत्रण के कड़े मानक, उपभोक्ताओं के लिए अचूक प्रतिबद्धता ने आपकी कंपनी को डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्रमाण पत्र, डीजीक्यूए प्रमाण पत्र और आईएसओ 9001 लाइसेंस लेने में सक्षम बनाया।

आगे, भारत सरकार ने मानिकतल्ला और कानपुर में उन्नयन और जीएमपी शिकायत उत्पादन सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है और साथ में पानिहाटी में रासायनिक संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए 14500 लाख रूपये की पूंजीगत व्यय भी दिया। पानिहाटी में परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है और वाणिज्यिक उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान ऑफिटमेंट सेक्शन और एक्सटर्नल प्रेपरसन, केंद्रीय भंडार, सड़कें, नालियों, ईटीपी, बिजलीघर, अन्य सेवाएं आदि के संयंत्र की क्षमता विस्तार की परियोजनाओं को पूरा किया गया।

2.0 स्वोट विश्लेषण

ताकत

- बीसीपीएल भारत की प्रसिद्ध पीएसयू एवं सबसे पहली फार्मा और घरेलू उत्पाद कंपनी है, जो कि भारतीय रसायन विज्ञान के जनक, महान आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा स्थापित की गयी थी।
- कैंथाराइडीन हेयर ऑयल, फिनोल, एक्स्ट्राईकोटिस, नेफथलीन आदि के जैसे हमारे बहुत पुराने स्थापित ब्रांडों में से कुछ के साथ विविध उत्पाद श्रेणी हैं।
- विरासत, प्रेरणा और विचारधारा
- मजबूत और गहरा स्थापित ब्रांड
- मजबूत विपणन और बिक्री क्षमता
- अनुसूची एम अनुपालित कंपनी
- बड़े और अनुभवी बिक्री बल
- शुद्धता के उच्च मानक
- कोलकाता और मुंबई में भूमि एवं वाणिज्यिक संपत्तियों का मालिक



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



- कारखाने अच्छा क्षेत्रों में स्थित हैं जैसे मानिकतल्ला, पानीहाटि, कानपुर और मुंबई।
- रणनीतिक उत्पाद विकास
- गुणवत्ता के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता
- लचीली विनिर्माण रणनीति
- एक प्रसिद्ध "ब्रांड नाम" के साथ नए बाजार क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए सक्षम
- सकारात्मक यूनियन का समर्थन

(ii) कमजोरी/जोखिम/चिंता

- कम महत्वपूर्ण संवर्धन
- वितरण प्रवाह
- हमारे ग्राहकों तक पहुंच
- एपीआई / प्राप्तकर्ताओं के अधिकांश स्रोत दक्षिण/उत्तर है, जो आपूर्ति नेतृत्व समय को बढ़ाती है।
- सीएसटी और ईटी की वजह से अंतरराज्यीय खरीद वृद्धि उत्तरा लागत बढ़ जाती है, जो अन्य राज्यों से बोली लगाने वालों की भागीदारी को कम करता है।
- वर्तमान में बीसीपीएल कुछ इंजेक्शन और ओरल लिक्रिड पीपीपी आदेश के लिए ऋण लाइसेंस पर निर्भर है।
- व्यापार विपणन के लिए कोई नया उत्पाद नहीं किया गया।
- कानपुर फैक्टरी में खराब बिजली की आपूर्ति
- पुरानी मशीन और उपकरण
- परिचालन क्षमता हमारे प्रतियोगियों के मुकाबले योग्य नहीं है।
- सर्वश्रेष्ठ पेशेवर को आकर्षित करने और बनाए रखने में समस्या
- एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में संचालित
- रणनीतिक योजना का अभाव
- सरकारी संस्थानों के लिए विक्री पर निर्भर
- अनुसंधान एवं विकास निवेश कम
- संस्थानों और उद्योग के बीच सहयोग का अभाव

(iii) अवसर

- जीवन शैली और साफ सफाई
- स्वच्छ भारत अभियान
- पीपीपी व्यापार मॉडल में हमेशा बढ़ता फार्मा बाजार
- एपीआई सेगमेंट में नई विक्रेता / निर्माता विकास



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



- जीएसटी के कार्यान्वयन
- शुष्क पाउडर इंजेक्शन के आंतरिक उत्पादन की प्रतिस्थापना और सत्यापन किया जा रहा है।
- व्यापर विपणन
- उत्पादन विविधीकरण
- लाइसोल और कीटाणुनाशक की बढ़ती मांग
- जीवन शैली की बीमारियों के लिए नई पीड़ी के योगों का विकास। व्यापर विपणन
- एएसभीएस परियोजना का कार्यान्वयन
- डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तैयारी और मानिकतल्ला पर परियोजनाओं को लागू करने से क्षमताओं में विस्तार।
- प्रयोज्य आय और शहरी मध्यम वर्ग के परिवारों की उच्च संख्या के दोहरीकरण
- चिकित्सा के बुनियादी ढांचे के विस्तार
- स्वास्थ्य बीमा के अधिक से अधिक पैठ
- क्रोनिक डिजीज की बढ़ती प्रासंगिकता
- भारत या विदेश में अनुकूल बाजार की स्थिति

(iv) चुनौतियां

- कई स्थानीय कंपनी तीव्र प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं
- प्रमुख प्रतिस्पर्धी ब्रांडों की मजबूती का स्तर हमारे विशिष्टता लुप्त कर रही है
- जनशक्ति / क्षेत्र बल विज्ञ एक विज्ञ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए
- बीआईएफआर की स्थिति और उनके पिछले अनुभव के कारण कई अग्रणी आपूर्तिकर्ताओं निविदाओं में भाग नहीं ले रहे
- बीसीपीएल में एपीआई / अपवाद निर्माता की दिलचस्पी कम है।
- पुराने अनसुलझे मुद्दों के कारण विक्रेताओं से खराब प्राप्त समर्थन
- ब्लैक फेनोएल और एलम की खपत में कमी।
- बाजार में नकली उत्पाद (बीसीपीएल मुद्रांकित)
- बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतियोगिता
- पुरानी बिक्री और विपणन तरीके
- मूल्य निर्धारण की नीतियां
- निर्माण की उच्च लागत



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



3.0 विभाग अनुसार और उत्पाद अनुसार कार्य

औषधि उत्पाद खंड कंपनी के कारोबार में उच्चतम योगदान देता है और इस खंड ने 2015-16 के दौरान कुल कारोबार में 64% योगदान दिया है जो पिछले वर्ष 2014-15 की तुलना में 60% और 2013-14 में 32% था। दूसरा सबसे बड़ा खंड सौंदर्य प्रसाधन और घरेलु उत्पाद विभाग है जो वर्ष 2015-16 के दौरान संस्थान के कुल कारोबार में 30% का योगदान किया है जो पिछले वर्ष 2014-15 में 33% और वर्ष 2013-14 में 59% था। विभाग अनुसार कंपनी के कार्य की जांच इस प्रकार है:

(रूपये लाख में)

क्र. सं.	उत्पाद खंड	2013-14		2014-15		2015-16	
		आवर्त	%	आवर्त	%	आवर्त	%
1	रसायन	160.64	9%	338.18	7%	570.38	6%
2	औषधीय	548.77	32%	2751.09	60%	5612.79	64%
3	सौंदर्य प्रसाधन & घरेलु उत्पाद	996.78	59%	1494.23	33%	2636.00	30%
	कुल	1706.19	100%	4583.50	100%	8819.17	100

4.0 दृष्टिकोण

आपकी कंपनी जल्दी ही सेरा/ सांप के विष की दवा का उत्पादन शुरू करेगी। इसके उत्पादन, अपना सामाजिक महत्व है, के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी उत्पादन फिलहाल रोक दी गई है। यह हृदय संबंधी दवाएं, हाइपोलीडेमिक ड्रग्स, कैंसर रोधी दवा, नए सिफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक दवाओं के क्षेत्रों में फार्मा उत्पादों को बढ़ाने की योजना है।

5.0 आंतरिक नियंत्रण पद्धति और उसकी पर्याप्तता

कंपनी के आपरेशन के अपने आकार के अनुरूप कंपनी का अपना एक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है। इसका आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग मुख्य कार्यालय, मानिकतल्ला, कोलकाता में स्थित है। नियमित आडिट, प्रणाली की समीक्षा और कंपनी के कानूनी अनुपालन पर आश्वासन, विनियामक और आंतरिक नीतियों प्रदान के माध्यम से आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग पर्याप्तता और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता की जांच करता है।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



साथ ही, आंतरिक जांच की टीम व्यवस्था की पर्याप्तता, नियंत्रण और प्रतिफल पर अपना कार्य जारी रखती है, जो कि जांच कमिटी के समयकालीन जांच के अंतर्गत होता है। कंपनी आंतरिक जांच व्यवस्था को उन्नत करने की पूरी कोशिश कर रही है।

6.0 परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

वर्ष 2015-16 के दौरान, आपकी कंपनी ने 8819 लाख रुपये का कारोबार हासिल किया है, पिछले वर्ष की तुलना में यह कारोबार 4584 लाख रुपए की हुई थी, और घाटे में 913 लाख रुपए कम किये हैं वर्ष 2014-15 के मुकाबले जो 1732 लाख रुपए थी।

7.0 मानव संसाधन में भौतिक विकास, औद्योगिक संबंधित क्षेत्र, और जुड़े कार्यरत लोगों की संख्या

कंपनी विकास को ध्यान में रखते हुए कंपनी सबसे उपयुक्त प्रतिभा को नियुक्त करती है जिससे कि उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि भी हो।

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण और अनुकूल रहे। कर्मचारी विकसित और संगठन में एक अनुकूल प्रदर्शन संस्कृति को बनाए रखने में प्रबंधन के प्रयासों के पूरक हैं। कर्मचारियों के विचार भी समय समय पर कंपनी की विभिन्न नीतियों को अंतिम रूप देने में ध्यान में रखा जाता है।

8.0 पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण

(i) पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण: पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत का पालन करने के लिए, फैक्टरी परिसर के आसपास पौधे लगाने को महत्व दिया गया, पर्यावरण के अनुकूल कच्चे माल का उपयोग, ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था की स्थापना, प्राकृतिक प्रकाश के उपयोग।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम)



जीरो डिस्चार्ज ईटीपी पौधे बीसीपीएल की मानिकतल्ला, पानिहाटी और कानपुर कारखानों में निर्माणाधीन हैं। कर्मचारी ऊर्जा खपत में कमी को लेकर संवेदनशील हैं जैसे कि वे निरंतर लाइट, फैन, कंप्यूटर को बंद कर देते हैं जब भी वे इस्तेमाल में न हों।

- प्रौद्योगिकी संरक्षण:** तकनीकी संरक्षण के एक भाग के रूप में, बीसीपीएल ने कुछ गैर बीटा लैक्टम टैबलेट उत्पादों में जलीय कोटिंग लागू किए हैं। इस प्रौद्योगिकी का मुख्य लाभ उत्पादन की लागत में कमी है और यह प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल भी है।
- विदेशी मुद्रा संरक्षण:** वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने विदेशी मुद्रा में कोई भी लेनदेन नहीं किया है। हालांकि, नेपाल जैसे विदेशी बाजार में प्रवेश करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कंपनी आगामी वर्षों में कुछ विदेशी मुद्रा कमा सकें।

सजग वक्तव्य

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए बयान, कंपनी के उद्देश्य, प्रक्षेपण और उम्मीदों का वर्णन, आगे लगे कानून और नियंत्रण का बयान देख सकते हैं। असली परिणाम, दिये गये परिणामों से थोड़ा बहुत अलग या भिन्न रूप से व्यक्त या लागू हो सकता है। मुख्य कारक कंपनी के कार्यों में निहित वैश्विक और भारतीय मांग पूर्ति के शर्तों और तैयार माल की कीमतों, कंपनी के प्रधान बाजारमें प्रतियोगी कीमतों, सरकारी नियमों में परिवर्तन, कर नियम, भारत की आर्थिक अवस्था में थोड़ा फर्क दिखा सकती है।

बोर्ड की निदेशकों के तरफ से और उनके लिए

हस्ता/-

(पी.एम. चंद्रय्या)

निदेशक (वित्त)

डीआइएन: 06970910

हस्ता/-

(इ.ए. सुब्रमनियन)

प्रबंध निदेशक

डीआइएन: 06818313

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 27 मई 2016



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



अनुबंध-II

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी की दार्शनिकता

कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि उचित कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के सभी हितधारकों के लिए लाभजन होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथमतः महत्वपूर्ण तथ्यों के संपूर्ण प्रकटीकरण, बोर्ड की स्वतंत्रता और हितधारकों के प्रति ईमानदारी से जुड़ा होता है। कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों में निहित सभी नियमों और अन्य कंपनी से जुड़े कानूनों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशासूचक नियम, जो कि सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए प्रकाशित किये गए हैं, नियमों के लिए वचनबद्ध है।

1. निदेशक मंडल

1.1 बोर्ड की संरचना

बीसीपीएल के सभी निदेशक प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं (अर्थात् रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग)। वर्तमान में चार निर्देशक कार्यरत हैं नामतः प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), एक अंशकालिक सरकारी निदेशक [सरकारी नामांकित व्यक्ति] और एक बीआईएफआर नामांकित निदेशक। दो स्वावलंबी निदेशकों के पद खाली पड़ी हैं।

1.2 निदेशक मंडल की संरचना के विवरण, निदेशकों की श्रेणी, बोर्ड की बैठक में उपस्थिति, और वार्षिक आम बैठक (एजीएम), और वर्ष 2015-16 के दौरान अन्य डायरेक्टरशिप नीचे दिए गए हैं:



बीसीप्लगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



निदेशकों के नाम	श्रेणी	बोर्ड बैठक में सम्मलित	34 वें वार्षिक आम बैठक में सम्मलित		कार्यकाल
(i) फ्रुल टाइम / कार्यात्मक निदेशक					
श्री इ.ए. सुब्रमण्यम डीआइएन: 06818313	प्रबंध निदेशक	5/5	हां	शून्य	05/02/2014 से प्रभावी
श्री पीएम चंद्रया डीआइएन: 06970910	निदेशक (वित्त)	5/5	हां	शून्य	25/11/2014 से प्रभावी
(ii) सरकारी नामित/अंशकालिक सरकारी निदेशक					
सुश्री मोनिका वर्मा निदेशक, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग डीआइएन: 06522079	निदेशक	0/1	नहीं	5 (एचएएल, आरडीपीएल, आइडीपीएल, केसपीसल) **	08/01/2013 से 09/06/2015 तक प्रभावी
श्री अवधेश कुमार चौधरी निदेशक (पीएसयू), रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग डीआइएन: 06942194	निदेशक	0/1	नहीं	शून्य	23/06/2014 से 09/06/2015 तक प्रभावी
श्री आर. के. मग्गो, निदेशक (पीएसयू), रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग डीआइएन No.:07225615	निदेशक	4/4	नहीं	शून्य	09/06/2015 से 29/02/2016 तक प्रभावी (ए/एन)
(iii) बीआइएफआर नामांकित निदेशक					
श्री अनिल गुप्ता बीआइएफआर नामांकित निदेशक डीआइएन: 00283431	निदेशक	5/5	हां	4 (पीसीसीएसएल, एनईपीए लिमिटेड, जेकेसीएल) **	18/07/2011 से प्रभावी



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)

** इस्तेमाल किए गए संकेताधार:

एचएएल हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
आरडीपीएल-राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
आईडीपीएल इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
केएफीएल-कनाटक एंटीबायोटिक्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
पीसीसीएसएल-पी सी कॉस्मा लिमिटेड
जेकेएल-जे.के. कॉटन लिमिटेड

टिप्पणी:

वर्ष 2015 16 के दौरान निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति या पद से इस्तीफ और उसके बाद अब तक की तारीख तक इस रिपोर्ट में नीचे उल्लेख किया गया है:

नियुक्ति:

- श्री आर. के. मग्गो
अंशकालिक सरकारी निदेशक
भारत सरकार नामित
डीआइएन: 07225615

श्री आर. के. मग्गो, 59 वर्षीय, जो कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग के साथ कार्य कर रहे हैं उन्हें आदेश सं. एफ. सं. 25012/3/2010 -पीएसयू दिनांक 9 जून 2015 के अंतर्गत अंशकालिक सरकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया। वह रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग के साथ पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रहे हैं एवं औषध उत्पाद के मूल्यांकन का कार्य देखते हैं। वह भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में पिछले 40 वर्षों से कार्य कर रहे हैं।

विराम:

- (a) श्री अवधेश कुमार चौधरी
अंशकालिक भारत सरकार के नामित
आधिकारिक निदेशक डीआइएन: 06942194
- श्री अवधेश कुमार चौधरी, निदेशक (पीएसयू), औषध विभाग, को रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग के तरफ से आदेश पत्र सं. 25012/3/2010-पीएसयू दिनांक 23 जून 2014 को कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।



बंगल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



श्री ए.के. चौधरी का नामांकन औषध विभाग के पत्र सं 'एफ.सं. 25018/1/2015-पीएसयू' दिनांक 15 जून 2015 द्वारा वापस ले लिया गया, और वह 9 जून 2015 से बीसीपीएल के निदेशक नहीं रहे।

ख. सुश्री मोनिका वर्मा

अंशकालिक आधिकारिक निदेशक भारत
सरकार नामित
डीआइएन : 06522079

सुश्री मोनिका वर्मा, निदेशक, औषध विभाग, को कंपनी के निदेशक मंडल में 8 जनवरी 2013 से अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, 9 जून 2015 को भारत सरकार नामित श्री आर. के मग्गो के कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्ति के बाद वो कंपनी की निदेशक नहीं रही।

ग. श्री आर. के मग्गो

अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
भारत सरकार नामित
डीआइएन: 07225615

श्री आर. के मग्गो, निदेशक, औषध विभाग, को कंपनी के निदेशक मंडल में 9 जून 2015 से अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, 29 फरवरी 2016 से भारत सरकार से पद त्यागने के उपरांत वह निदेशक नहीं रहे।

1.3 बोर्ड प्रक्रिया

कंपनी की क्रियाशीलता और अच्छे नियंत्रण में निदेशक मंडल एक अच्छी भूमिका अदा कर रही है। बोर्ड की बैठकें सामान्य रूप से कोलकाता में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। बोर्ड नियमित अंतराल पर कंपनी के भौतिक और वित्तीय प्रगति पर चर्चा करती है। बैठक में एजेंडा नोट सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है और हस्ताक्षर किया जाता है एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित करने के बाद ही सारे निदेशकों को भेजी जाती है।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



फैसला विचार विमर्श के बाद निदेशक मंडल द्वारा लिया जाता है। पिछले बोर्ड की बैठक के निर्णयों पर एक "कार्रवाई रिपोर्ट" निदेशक मंडल की हर बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

1.4 बोर्ड मीटिंग की संख्या:

वर्ष 2015-16 के दौरान, निदेशक मंडल की पांच (5) बैठक आयोजित की गई, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	बैठक की तारीख	बोर्ड क्रियाशीलता	उपस्थित निदेशक की संख्या
1.	14 मई 2015	5	3
2.	26 जून 2015	4	4
3.	25 अगस्त 2015	4	4
4.	20 नवंबर 2015	4	4
5.	17 फरवरी 2016	4	4

1.5 निदेशकों की नियुक्ति

अंशकालिक निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है अर्थात् रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग। आगे, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं.

'जी.एस.आर., 163 (ई)' दिनांक 5 जून 2015 के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 (6) उन सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होता जिनकी शेयर पूँजी की चुकता केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या एक से अधिक केंद्र सरकार या एक से अधिक राज्य सरकार हो।

जैसे कि, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की पूरी शेयर पूँजी भारत के राष्ट्रपति के पास है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग के जरिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 (6) (रोटेशन से निदेशक की सेवानिवृत्ति) बीसीपीएल पर लागू नहीं होती।

2.0 निदेशक मंडल की समिति

2.1 लेखा परीक्षा समिति

कंपनी की लेखा जांच समिति बोर्ड के द्वारा गठित की जाती है,



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



इसमें इन्हें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और डीपीई के कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों के अनुसार शक्ति और कार्य प्रदान किया जाता है। निदेशकों को बदलकर लेखा जांच समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान, समिति के पांच बैठक हुए 14 मई 2015, 26 जून 2015, 25 अगस्त 2015, 20 नवंबर 2015 एवं 17 फरवरी 2016.

(i) उपस्थिति विवरण नीचे दिए गए हैं-

सदस्य	संबंधित समयकाल में आयोजित बैठक	मीटिंग में उपस्थिति
सुश्री मोनिका वर्मा अंशकालिक अधिकारिक निदेशक	1	0
श्री आर. के. मग्गो अंशकालिक अधिकारिक निदेशक	4	4
श्री अनिल गुप्ता बीआईएफआर नामित निदेशक	5	5
श्री ई.ए. सुब्रमण्यम प्रबंध निदेशक	5	5

(ii) लेखा परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है:

1	श्री अनिल गुप्ता	बीआईएफआर नामित निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री आर. के. मग्गो *	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य
3	श्री ई.ए. सुब्रमण्यम	प्रबंध निदेशक	सदस्य

* जैसे कि, श्री आर. के. मग्गो 29 फरवरी 2016 (ए / एन) से भारत सरकार की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए हैं। अतः उनका बीसीपीएल में अंशकालिक अधिकारिक निदेशक का पद भी खाली हो गया है। अब तक, मंत्रालय ने अन्य किसी निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। लेखा परीक्षा समिति कंपनी में अंशकालिक सरकारी निदेशक की नियुक्ति पर पुनर्गठन किया जाएगा।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



(iii) लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत लेखा परीक्षा जांच समिति की संदर्भ की शर्तें और सामूहिक संचालन पर निहित नियमावली निम्न है :

1. कंपनी के लेखा परीक्षक के नियुक्ति की सिफारिश, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तें।
2. लेखा परीक्षा कार्य में परीक्षक की कार्य क्षमता, निर्भरता और क्रियाशीलता की जांच और नियमन करना।
3. वित्त संबंधी रिपोर्ट और उस पर निर्भर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना।
4. संबंधित पार्टियों के कंपनी से लेन देन के बाद की संशोधन व सहमति।
5. इंटर कॉरपोरेट ऋण और निवेश की संवीक्षा।
6. जरूरत अनुसार सम्पत्ति और उपक्रमों का मूल्यांकन।
7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन।
8. जरूरत अनुसार सार्वजनिक अधिकारियों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाई गई रकम के उपयोग पर निगरानी रखी जाती है।
9. लेखा जांच समिति अपना रिपोर्ट बोर्ड को जमा करने से पहले लेखा जांच परीक्षकों को बुलाकर आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था, लेखा जांच के उद्देश्य और उनका अध्ययन, वित्त विवरण की जांच आदि पर, परीक्षकों के विचार जान सकती है। साथ ही आंतरिक और संवैधानिक परीक्षकों और कंपनी के प्रबंधन पर भी चर्चा कर सकती है।
10. कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 177 (4) में वर्णित विषयों में किसी भी मामले को बोर्ड को सौंपे जाने का और किसी भी विषय में लेखा जांच समिति को जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार है, और इसके लिए उन्हें बाहरी पेशेवरों से सलाह लेने का अधिकार है और वे कंपनी रिकार्ड में निहित सभी सूचनाओं पर पूरी तरह से कार्यवाही कर सकते हैं।
11. कंपनी की लेखा जांच समिति या बोर्ड आंतरिक लेखा परीक्षण को संचालित करने के लिये भीतरी लेखा जांच परीक्षक, लक्ष्यका कार्यान्वयन, क्रियाशीलता, तकालिक और क्रय प्रक्रिया देख सकती है।
12. कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और उसके वित्तीय जानकारी का खुलासा करने के लिए सुनिश्चित करें कि पर्याप्त वित्तीय विवरण सही और विश्वसनीय हैं।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



13. सांविधिक लेखा परीक्षकों की अन्य सेवाओं के लिए भुगतान मिलने की स्वीकृति ।
14. निदेशक मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्त विवरण की जांच विशेष संदर्भ के साथ:

 - कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 134 के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में निदेशक दायित्व विवरण में विषय जुड़ा होना चाहिए ।
 - बोर्ड रिपोर्ट में निदेशक दायित्व विवरण में विषय जुड़ा होना चाहिए ।
 - लेखांकन नीतियों और उसकी प्रथाओं में अगर कोई बदलाव हो तो वह क्या है एवं उसके कारण ।
 - प्रमुख लेखांकन अनुमान से जुड़े प्रविष्टियों प्रबंधन द्वारा न्याय के निर्णय पर आधारित।
 - महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष से उत्पन्न वित्तीय बयान में किए गए समायोजन;
 - वित्तीय वक्तव्यों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं के साथ अनुपालन;
 - किसी भी संबंधित पक्ष के लेनदेन की समीक्षा/ प्रकटीकरण;
 - ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में शर्तें.

15. निदेशक मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय बयान की जांच ।
16. आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की जांच प्रबंधन के साथ।
17. आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की पर्याप्तता की समीक्षा, यदि कोई हों तो, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना सहित, स्टाफ और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति
18. आंतरिक लेखा जांच परीक्षक या किसी मुख्य तरीके से मिले लेखा जांच परीक्षक के साथ चर्चा और उसका पालन ।
19. लेखा जांच शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा जांच परीक्षकों से, लेखा जांच के उद्देश्य और प्रकृति और साथ ही साथ जांच के बाद के चर्चे के विषयों में क्षेत्र का निर्णय करना ।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



20. लेखा जांच शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा जांच परीक्षकों से, लेखा जांच के उद्देश्य और साथ ही साथ जांच के बाद के चर्चे के विषयों में क्षेत्र का निर्णय करना।
21. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने के मामले में) और लेनदारों के भुगतान के पर्याप्त चूक के कारणों को देखना।
22. ध्यानाकर्षक / निगरानी तंत्र के कामकाज की समीक्षा।
23. कैग की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
24. संसद के अनुवर्ती कार्रवाई सरकारी उपक्रम (COPU) पर समिति की सिफारिशों की समीक्षा।
25. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करना।
26. लेखा जांच परीक्षक के साथ मिलकर, लेखा जांच के कोशिशों के ताल मेल की जांच करना ताकि क्षेत्र की पूर्णता, अनावश्यक कार्यों की कमी और सभी लेखा जांच के संसाधनों के सही उपयोग पर ध्यान दिया जा सके।
27. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श करना:
 - कंप्यूटर सूचना व्यवस्था नियंत्रण और सुरक्षा के आंतरिक नियंत्रण की स्पष्टता की जांच करना, और
 - स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक की सिफारिशों और संबंधित निष्कर्षों पर चर्चा प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ।
28. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श करना।
 - पूर्व लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति के साथ वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष।
 - लेखा परीक्षा कार्य के दौरान किसी भी कठिनाइयों या आवश्यक जानकारी के लिए गतिविधियों का दायरा या उपयोग पर कोई प्रतिबंध का सामना करना पड़ा हो।
29. लेखा परीक्षा समिति के पास ये भी अधिकार होगा:
 - संदर्भ की अपनी शर्तों के दौरान गतिविधि की जांच करना।
 - एक कर्मचारी से उसके बारे में या किसी और के बारे में जानकारी प्राप्त करना।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



- निदेशक मंडल की अनुमति के अधीन, ब्राह्म: कानूनी या अन्य पेशेवरी सलाह ज्ञात करना।
- अगर यह आवश्यक हो तो प्रासंगिक विशेषज्ञता के साथ बाहरी लोगों की सहायता।
- हिंसल्ब्लोअर की रक्षा करना

30. लेखा परीक्षा समिति निम्नलिखित जानकारियों की समीक्षा करेगी:

- वित्तीय स्थिति और कार्यों के परिणामों पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण
- प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्ष के लेनदेन का विवरण
- सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र / आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र।
- आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;
- लेखा परीक्षा समिति के समक्ष मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और एवं उसको हटाना। और
- मुख्य कार्यकारी / मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय बयान की घोषणा/ प्रमाणीकरण।

31. कंपनी अधिनियम 2013 में वर्णित अन्य कोई कार्य और उसके बने नियम, और डीपीई की गाइडलाइन्स

जांच समिति परीक्षकों को आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था, लेखा जांच के उद्देश्य, परीक्षकों की देखरेख और बोर्ड की वित्तीय विवरण जमा करने के पहले उसकी जांच पर अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार रखती है, और आंतरिक लेखा जांच परीक्षक, सांविधि परीक्षक और कंपनी के प्रबंध के साथ संबंधिक विषयों पर चर्चा कर सकती है। लेखा जांच समिति के सब सेक्षन (4) में निहित विशेष विषय से संबंधित या बोर्ड द्वारा दिए गए विषय पर जांच पड़ताल करने का पूरा अधिकार रखती है, और उसके लिये समिति बाहर से पेशेवर सलाहकार बुलाने का पूरा अधिकार रखती है, और कंपनी के स्ट्रिकार्ड में निहित सभी जानकारी पर कार्य करने का अधिकार भी रखती है।

कंपनी के लेखा जांच परीक्षक और मुख्य प्रबंधन अधिकारियों को लेखा जांच समिति में हुए लेखा जांच परीक्षकों के रिपोर्ट से संबंधित किसी भी मीटिंग के बारे में जानने का अधिकार है, परंतु वे मतदान नहीं कर सकते।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



सेक्शन 134 के सब सेक्शन (3) में निहित बोर्ड रिपोर्ट में लेखा जांच समिति के गठन का प्रकटीकरण करना होगा और जहां लेखा जांच समिति के किसी सिफारिश को बोर्ड ने नहीं माना हो, तो उसको कारण बताते हुए रिपोर्ट में दिखाना होगा।

2.2 □□□□□□□□□□ □□□□

निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशा निर्देश के तहत वार्षिक बोनस / वैरियेबल पेय पूल और अधिकारियों एवं गैर यूनियन पर्यवेक्षकों भर में इसके वितरण के नीति तय करने के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।

11 जून 2015 को समिति निम्नलिखित सदस्यों के साथ फिर से संगठित की गई।

1	श्री अनिल गुप्ता	बीआइएफआर नामित निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री आर. के. मग्गो*	सरकार नामित निदेशक	सदस्य
3	श्री ई. ए. सुब्रमण्यम	प्रबंध निदेशक	सदस्य

** जैसे कि, श्री आर. के. मग्गो 29 फरवरी 2016 (ए / एन) से भारत सरकार की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए हैं। अतः उनका बीसीपीएल में अंशकालिक अधिकारिक निदेशक का पद भी खाली हो गया। अब तक, मंत्रालय ने अन्य किसी निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। लेखा परीक्षा समिति कंपनी में अंशकालिक सरकारी निदेशक की नियुक्ति पर पुनर्गठन किया जाएगा।

2.3 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थाई समिति

10 दिसंबर 2013 को कंपनी ने बोर्ड ने निचले स्तर पर निगमित सामाजिक दायित्व और स्थाई समिति का गठन किया है। बीसीपीएल एक रूण कंपनी है और वर्तमान में किसी भी सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों का संचालन नहीं कर रही है। तथापि, कंपनी बदलाव के कगार पर है और आने वाले वर्षों में 'स्वच्छ भारत' का हिस्से के रूप में कुछ सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने की योजना बना रही है। आगे, वर्ष 2016-17 के बजट में कंपनी ने 2,00,000 रुपये का स्वैच्छिक प्रावधान बनाया है। 27 मई 2016 को कंपनी ने निम्नलिखित सदस्यों के साथ बोर्ड स्तर सीएसआर एवं स्थाई समिति की बैठक का आयोजन किया।

1	श्री अनिल गुप्ता	बीआइएफआर नामित निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री पी एम चंद्रघ्या	निदेशक(वित्त)	सदस्य

3.0 हिस्सेदारी व्यवस्था

31 मार्च 2016 तक हिस्सेदारी व्यवस्था इस प्रकार थी :



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



क्र. सं.	शेयरधारक के नाम	शेयर की संख्या (प्रत्येक की कीमत 1000 रु.)
1	भारत के राष्ट्रपति	769601
2	श्री आर. के. मग्गो	2
3	श्री अलोक कुमार कर्ण	1
	कुल	769604

4.0 बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण पर नीति

बीसीपीएल ने व्यापार और उद्योग की समझ की सुविधा के लिए बोर्ड के सदस्यों की ट्रेनिंग पर नीति तैयार की है जिसमें कंपनी के कारोबार से जोखिम प्रोफाइल सहित, कंपनी के शासन में उनकी भूमिका, जिम्मेदारियां, कर्तव्यों और कार्यों के साथ सभी नए निदेशक परिचित करने एवं निदेशकों निगमित प्रशासन, व्यापार नीतिशास्त्र, आचार संहिता के बारे में जागरूक बनाना आदि उनका पालन करना आवश्यक है।

5.0 प्रकटीकरण

5.1 वर्ष 2015 16 के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान एवं स्वतंत्र निदेशकों के भुगतान की फीस का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

i) कार्य/पूर्ण समय निदेशक/ केएमपी:

(रुपये लाख में)

केएमपी के नाम	वेतन	लाभ	कुल
श्री ई. ए. सुब्रमण्यम, प्रबंध निदेशक	13.15	1.55	14.70
श्री पीएम चंद्रश्या निदेशक(वित्त)	11.99	1.48	13.47
श्री सतीश कुमार, कंपनी सचिव	3.05	-	3.05



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



ii) बीआईएफआर नामित निदेशक:

(रुपयों में)

निदेशक के नाम	बैठक फीस		कुल
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
श्री अनिल गुप्ता	22500	22500	45000

बीआईएफआर नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों को उनके द्वारा बोर्ड की बैठक और बोर्ड स्तर समिति की बैठक में उपस्थिति के 5000 रूपये की बैठक फीस के लिए अधिकृत हैं।

5.2 सभी निदेशक तय वेतनमान में भारत सरकार, रसायन मंत्रालय और उर्वरक, औषध विभाग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनके अन्य कार्यकारी नियम और नियुक्ति की शर्तें भी औषध विभाग द्वारा तय किए जाते हैं।

5.3 निदेशकों को उनकी नियुक्ति के शर्तों के अनुसार भुगतान राशि के अलावा बीआईएफआर मनोनीत निदेशकों को बैठने की फीस मिलती है, किसी भी निदेशक का कंपनी के किसी विषय से जुड़े या कोई आर्थिक संबंध नहीं होना चाहिए ताकि कंपनी से जुड़े स्वतंत्र फैसले प्रभावित न हो।

5.4 वर्ष के दौरान, संबंधित पक्ष से कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ जिससे कंपनी बड़े पैमाने पर प्रभावित हो। अकाउण्टिंग स्टैण्ड 18 के अनुसार संबंधित पार्टी से जुड़े लेन देन का विवरण नोट्स ऑफ अकाउंट्स में दिया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में फॉर्म एओसी2 अनुबंध के रूप में जुड़ा है।

5.5 यहाँ किसी भी सांविधिक निकाय द्वारा कोई भी दंड या प्रतिबंध नहीं लगाए गए।

5.6 कंपनी डीपीई के द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सभी नियमों का पालन करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ बोर्ड और उसकी समिति का गठन, चूँकि कॉर्पोरेट मंत्रालय, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से जुड़े कार्य कार्यरत हैं।

5.7 कंपनी समय समय पर कंद्र सरकार द्वारा जारी सभी राष्ट्रपति निर्देशों का अनुपालन करती है।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



5.8 वर्ष के दौरान, बही खातों में ऐसा कोई भी खर्च डेबिट नहीं किया गया जो कि व्यापार के उद्देश्य से न जुड़ा हो एवं उच्च प्रबंधन और निदेशक मंडल के किसी भी निजी खर्च को इसमें शामिल नहीं किया गया हो।

5.9 प्रशासनिक खर्च 2015 16 में कुल खर्चों के मुकाबले 37.10 प्रतिशत है जो कि वर्ष 2014 15 की तुलना में 47.43 प्रतिशत थी। वित्तीय खर्च 2015 16 में कुल खर्चों के मुकाबले 13.47 प्रतिशत है जो कि वर्ष 2014 15 की तुलना में 16.41 प्रतिशत थी।

5.10 कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.bengalchemicals.gov.in (1 जून 2016 के बाद www.bengalchemicals.co.in) कंपनी की आधिकारिक समाचार को प्रदर्शित करता है जैसे वार्षिक प्रतिवेदन, टेंडर एवं करियर के अवसर आदि।

6.0 सामान्य सभा:

6.1 कंपनी के अंतिम तीव्र वार्षिक बैठक (एजीएम) का विवरण नीचे दिया गया है।

एजीएम	वित्तीय वर्ष	एजीएम की तिथि और समय	स्थगित एजीएम का समय और तिथि
34वां	2014-15	25 अगस्त 2015 को अपराह्न 12:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में	NA
33वां	2013-14	24 सितंबर 2014 को पूर्वाह्न 11:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में	4 th मई 2015 को पूर्वाह्न 12 बजे
32वां	2012-13	9 th सितंबर 2013 को अपराह्न 1:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में	27 th मार्च 2015 को पूर्वाह्न 10:30 बजे

वित्त वर्ष 2015 16 के 35वें आम बैठक की सूचना दिन, समय, दिनांक, स्थान नोटिस में निहित है।

6.2 पिछले तीन आम बैठक में पारित विशेष संकल्प का विवरण

एजीएम	वित्तीय वर्ष	पारित विशेष संकल्प का विवरण
34 वां	2014-15	शून्य
33वां	2013-14	शून्य
32 वां	2012-13	शून्य



7.0 सूचना का अधिकार (आरटीआई)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित सभी प्रावधानों का पालन किया गया है। कंपनी ने अपने सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर आरटीआई अधिनियम के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित आरटीआई आवेदन के विवरण प्राप्त किए और निपटाए गए।

1	1 अप्रैल, 2015 पर लंबित आरटीआई आवेदन की संख्या	शून्य
2	वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदन की संख्या	12
3	वर्ष 2015-16 के दौरान निपटाए गए आरटीआई आवेदन की संख्या	12
4	31 मार्च, 2016 पर लंबित आरटीआई आवेदन की संख्या	शून्य
5	वर्ष 2015-16 के दौरान अपीलीय प्राधिकारी को भेजे आरटीआई आवेदन की संख्या	शून्य

8.0 शेयरधारकों के साथ संचार के साधन

कंपनी की वेबसाइट पर द्विभाषी (अंग्रेजी व हिंदी) वार्षिक प्रतिवेदन अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ अपलोड किए जाते हैं। वार्षिक प्रतिवेदन लिखित रूप में भी शेयरधारकों को भेजी जाती है।

9.0 लेखा जांच विभाग

सांविधिक लेखा जांच परीक्षक के अध्ययन का जवाब/आकउंट्स की विचार, और भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां निदेशक रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में संलग्न हैं।

10.0 आचार संहिता

बोर्ड ने बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचरण और आचार संहिता निर्धारित की है।



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



11.0 अनुपालन प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट सीपीएसईएस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है और अनुबंध VII के नियमों में बताए गए सभी विषयों को सम्मिलित करती है। डीपीई के द्वारा बतलाए हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रावेद्धानों के अनुपालन की रिपोर्ट भी नियंत्रण मंत्रालय को भेजी जाती है। सीपीएसईएस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए नियमों के पालन हेतु प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट में संलग्न है।

बोर्ड के लिए और बोर्ड की तरफ से

हस्ता/-

(पीएम चंद्रश्या)

निदेशक (वित्त)

डीआइएन: 06970910

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 27 मई 2016

हस्ता/-

(ई. ए. सुब्रमण्यन)

प्रबंध निदेशक

डीआइएन: 06818313



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



डी दत्त एंड कम्पनी
कंपनी सचिव

कारपोरेट गर्वनेंस संक्रान्त का शंसापत्र

सेवा में,
बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
के सभी सदस्य

हमने ३१ मार्च २०१६ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (कंपनी) की कॉर्पोरेट गर्वनेंस की शर्तों का अनुपालन परीक्षित किया है जो कि भारत लोक उद्यम, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसके कार्यालय ज्ञापन के अनुसार लागू किया गया है।

कंपनी किसी प्रतिष्ठित स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। गाइडलाइन्स का पैर २.३ के तहत गैर सूचीबद्ध सीपीएसई कारपोरेट गाइडलाइन्स के बाद के अध्यायों का अनुपालन करेंगे जो कि आवश्यक है, बीसीपीएल गैर सूचीबद्ध सीपीएसई होने के नाते केंद्रीय सरकारी क्षत्र उपक्रम के लिए कारपोरेट गर्वनेंस की गाइडलाइन्स २०१० के लिए अनुपालित है।

कारपोरेट गर्वनेंस की शर्तों का अनुपालन कंपनी की प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेकेटरीज ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित कारपोरेट गर्वनेंस इज गाइडेंस नोट के तहत किया गया है और कारपोरेट गर्वनेंस की दिशा निर्देशों की शर्तों का कंपनी द्वारा प्रक्रिया एवं कार्यनवन के निरिक्षण तक सिमित था। यह न ही एक लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय है।

हमारी राय और निदेशकों और प्रबंधन द्वारा सुचना के प्रस्तुतीकरण और स्पष्टिकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपरोक्त कारपोरेट गर्वनेंस गाइडलाइन्स की सभी शर्तों केवल बोर्ड और उसकी समितियों के गठन को छोड़कर बाकि सबका का अनुपालन किया है।

हम आगे बताते हैं कि यह अनुपालन न ही कंपनी के भविष्य दृष्टि का और न ही दक्षता और प्रभावशीलता जो कि कंपनी के कार्यों में प्रबंधन की रही है का आश्वासन है।

स्थान : कोलकाता
दिनांक : २७.०५.२०१६

डी दत्ता एंड कंपनी के लिए

हस्ता
देबब्रता दत्त



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



फार्म सं. एओसी 2

कंपनी एक्ट, 2013 के सेक्षन 134 के सब सेक्षन (3) की क्लॉज़ (एच) के तहत और कंपनी (एकाउंट्स) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के तहत

कांट्रैक्ट्स/अर्जेमेंट्स के विवरण के फार्म के प्रकटीकरण के लिए/ कंपनी एक्ट 2013 के सेक्षन 188 के सब सेक्षन (1) में निहित संबंधित व्यक्तियों के साथ कंपनी के द्वारा प्रवेश में निहित तीसरे प्रतिबंध के अंदर कुल लेन देन का हिसाब।

1	असामान्य अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का व्यौरा	वर्ष 2015 16 के दौरान कोई संबंधित पार्टी के लेनदेन नहीं हुए
2	असामान्य महत्वपूर्ण अनुबंध या लेन देन की व्यवस्था का व्यौरा	वर्ष 2015 16 के दौरान कोई संबंधित पार्टी के लेनदेन नहीं हुए

बोर्ड के लिए और बोर्ड की तरफ से

हस्ता/-

(पीएम चंद्रय्या)

निदेशक (वित्त)

डीआइएन: 06970910

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 27 मई 2016

हस्ता/-

(ई. ए. सुब्रमण्यन)

प्रबंध निदेशक

डीआइएन: 06818313



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



**मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी
द्वारा वित्तीय बयान का प्रमाण पत्र / घोषणा**

हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमने 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय वक्तव्यों और नकदी प्रवाह के बयान की समीक्षा की है।

- (i) इस विवरण में किसी प्रकार का झूठ बयान या कोई भी तथ्य या भ्रमित बयान सम्मिलित नहीं है।
- (ii) यह विवरण एक साथ लेखा मानकों, लागू कानूनों और नियमों के साथ कंपनी के मामलों के एक सच्चे और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।
- (iii) हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार वर्ष 2015 16 के दौरान कंपनी ने कोई भी ऐसे लेनेदेन नहीं किया जो धोखाधड़ी, आचार कंपनी की संहिता के अवैध हैं।
- (iv) हम वित्तीय रिपोर्टिंग को स्थापित करने और आंतरिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता से मूल्यांकन किए हैं और हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को यह बताया है कि डिजाइन या इस तरह के आंतरिक नियंत्रण के संचालन में कमी, यदि कोई हो, जिनसे हम वाकिफ हैं उसे सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
- (v) हम लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को यह संकेत दे चुके हैं,
 - क) वर्ष 2015 16 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन
 - ख) वर्ष 2015 16 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उसे वित्तीय वक्तव्यों के नोट में बताया गया है, और



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



ग. कोई कर्मचारी और प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति का वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के धोखाधड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका या भागीदारी न हो इसके लिए हम और जागरूक हो गए हैं।

हस्ता/
पीएम चंद्रश्या
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/
ई. ए. सुब्रमण्यन
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 27 मई 2016



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता

(भारत सरकार का उपक्रम)



फार्म सं. एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 92 (3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार

I पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

i	सीआइएन	U24299WB1981GOI033489
ii	पंजीकरण तिथि	27 मार्च 1981
iii	कंपनी का नाम	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
iv	कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी	सरकार का उपक्रम, शेयर द्वारा साभरबद्ध
v	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एवं संपर्क पता	6, गणेश चंद्र एवेन्यु कोलकाता-700013 टूर्नामेंट: +91-033 2237-1525 / 1526 / 7667
vi	क्या कंपनी सूचीबद्ध है ?	नहीं
vii	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के नाम, पते, संपर्क सूत्र यदि हो तो ।	नहीं

II प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल वार्षिक आवर्त में कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों का व्यौरा

क्र. सं.	प्रमुख उत्पाद/सेवाओं के नाम एवं विवरण	एनआइसी कोड (उत्पाद/सेवाएं)	% कंपनी के कुल आवर्त का %
1	कास्मेटिक एवं होम प्रोडक्ट	2023-साबुन, डिटरजेंट, सफाई, पॉलिस निर्माण, सुगंधी, प्रसाधन के निर्माण	30%
2	फार्मास्यूटिकल्स	210- फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय केमिकल, वनस्पतिक, उत्पाद के निर्माण ।	64%
3	औद्योगिक केमिकल्स	202-अन्य केमिकल उत्पादों का निर्माण	6%

*राष्ट्रीय औद्योगिक श्रेणीकरण – सांख्यिकी एवं प्रोग्राम लागूकरण मंत्रालय के अनुसार

III होल्डिंग, सबसिडियरी एवं संबंधित कंपनियों के विवरण:

क्र. सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआइएन/जीएलएन	होल्डिंग सब्सिडियर संघ का	शेयर प्रतिशत	लागू धारा
1			लागू नहीं है ।		



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



IV. शेयरधारण का उपक्रम (इक्विटी शेयर पूँजी का ब्लैकअप का कुल इक्विटी के हिसाब से प्रतिशत

i) श्रेणी के उपक्रम में शेयर धारण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में शेयर की संख्या				वर्ष के अंत में शेयर की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयर का%	डीमैट	फिजिकल	कुल	शेयर का%	
क. प्रोग्रेसर्स	शून्य								
(1) भारतीय									
क) व्यवित्तिगत/एवचयूएफ	शून्य								
ख) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार	शून्य	769604	769604	100	शून्य	769604	769604	100	शून्य
I) राष्ट्रपति के नाम केंद्रीय सरकार									
II) सरकारी नामित (क) श्री. आर.के. मण्णो, निदेशक, औषध विभाग (निदेशक, बीसीपीएल),									
2 शेयर धारणा और									
(ख) श्री ए. के. कर्ण, अपर सचिव औषध विभाग									
1 शेयर धारणा									
ग) बॉडीज कापरेट	NIL								
घ) डैकैफआई									
इ.) अन्य कोई...									
उप योग (क) (1)	NIL	769604	769604	100	769604	769604	100	NIL	
(2) विदेशी	शून्य								
a) अप्राची भारतीय व्यवित्तिगत									
b) अन्य व्यवित्तिगत									
c) बॉडीज कापरेट.									
d) बैंक/एफआई									
e) अन्य कोई...									
उप योग (ट) (2)	शून्य								
प्रोग्रेसर के कुल शेयर	शून्य								
(A)=(A)(1)+(A)(2)	शून्य	769604	769604	100		769604	769604	100	शून्य
ख. प्रदिलक शेयर्स	शून्य								
(1) संस्थाएं									
a) म्यूस्युल फंड									
b) डैकैफआई									
C) केंद्रीय सरकार									
d) राज्य सरकार									
e) वेचर कैपिटल फंड									
f) इंश्योरेस कंपनी									
g) एफआइआइएस									
h) फोरन वेचर									
कैपिटल फंड									
i) अन्य (उल्लेख करें)									
उप योग (B)(1):	शून्य								
(2) गैर संस्थाएं	शून्य								
a) बॉडीज कापरेट									
i) भारतीय									
ii) विदेशी									
b) व्यवित्तिगत									
i) व्यवित्तिगत शेयर धारणा सामान्य शेयर									
पूँजी रु.1 तक	शून्य								
ii) व्यवित्तिगत शेयर धारणा रु. 1लाख से अधिक									
c) अन्य (उल्लेख करें)									
उप योग(B)(2):	शून्य								
कुल प्रदिलक शेयर धारणा	शून्य								
(B)=(B)(1)+(B)(2)									
C. कस्टडीयन द्वारा जीडीआर एवं एडीआर के शेयर	शून्य								
कुल योग (A+B+C)	शून्य	769604	769604	100	शून्य	769604	769604	100	शून्य



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता

(भारत सरकार का उपक्रम)



(ii) प्रमोटर्स के शेयर

क्र. सं.	शेयरधारक के नाम	वर्ष के आरंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			वर्ष के दौरान शरेधारिता में बदलाव %
		शेयर की सं.	कं. के कुल शेयर के %	कुल शेयर के% आबद्ध	शेयर की सं.	कं. के कुल शेयर के %	कुल शेयर के % शेयर आबद्ध	
1	भारत का राष्ट्रपति	769604	100	शून्य	769604	100	शून्य	शून्य
	कुल	769604	100	शून्य	769604	100	शून्य	शून्य

(iii) प्रमोटर के शेयरधारण में परिवर्तन (परिवर्तन नहीं होने पर उल्लेख करें)

क्र. सं..	वर्ष के आरंभ में शेयर होल्डिंग	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग			
		शेयर की संख्या	कं. के कुल शेयर के %	शेयर की संख्या	कं. के कुल शेयर के %
1	वर्ष के प्रारंभ में दिनांक के क्रम से वृद्धि/ह्रास (शेयरधारण, वर्ष के दौरान, कारण का उल्लेख		शून्य		
2	वितरण/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी इत्यादि)				
3	वर्ष के अंत में				

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों के शेयरधारण का क्रम (निदेशक, प्रमोटर, सीडीआर एवं एडीआर शेयर धारकों को)

क्र. सं	शीर्ष 10 शेयरधारकों के प्रत्येक	वर्ष के अंत में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर छोड़कर	
		शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयर के %	शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयर के %
1	वर्ष के प्रारंभ में दिनांक के क्रम से वृद्धि/ह्रास (शेयरधारण, वर्ष के दौरान, कारण का उल्लेख		शून्य		
2	वितरण/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी इत्यादि)				
3	वर्ष के अंत में या अलग का दिनांक यदि वर्ष के दौरान अलग हो ।				

(v) केएमपी एवं निदेशक के शेयरधारण

क्र. सं	केएमपी एवं प्रत्येक निदेशक के लिए	वर्ष के अंत में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर छोड़कर	
		शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयर के %	शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयर के %
	वर्ष के प्रारंभ में		2 शेयर (सरकारी नामित)	0.00026	2 शेयर (सरकारी नामित)
	दिनांक के क्रम से वृद्धि/ह्रास (शेयरधारण, वर्ष के दौरान, वितरण/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी इत्यादि).		शून्य		
	वर्ष के अंत में		2 शेयर (सरकारी नामित)	0.00026	2 शेयर (सरकारी नामित)



बंगाल केमिकल्स इंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



V कर्ज

रुपये लाख में

व्याज बकाया / उपार्जित लेकिन भ्रगतान के लिए देय सहित कंपनी की क्रणग्रस्तता

	सुरक्षित क्रृष्ण जमा को छोड़कर	असुरक्षित क्रृष्ण	जमा	कुल कर्ज
वित्तीय वर्ष के शुरुआत में कर्ज				
i) मूल राशि	82.48	12,952.00		13,034.48
ii) देय क्रृष्ण परन्तु चुकाया नहीं गया	285.52	5,267.87		5,553.39
iii) अर्जित क्रृष्ण पर देय नहीं	368.00	94.46		94.46
कुल (i+ii+iii)		18,314.33		18,682.33
वित्तीय वर्ष के दौरान क्रणग्रस्तता में परिवर्तन				
जमा	7.21	1,263.25	NIL	1,270.46
कमी		Nil	Nil	NIL
शुद्ध परिवर्तन	7.21	1,263.25		1,270.46
वित्तीय वर्ष के अंत में क्रणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूल राशि	82.48	12,952.00		13,034.48
ii) देय क्रृष्ण परन्तु चुकाया नहीं गया	292.73	6,531.13		6,823.86
iii) अर्जित क्रृष्ण पर देय नहीं	Nil	94.45		94.45
कुल (i+ii+iii)	375.21	19,577.58		19,952.79

VI निदेशक और कुंजी प्रबंधनीय करमचारियों का वेतन

A. प्रबंध निदेशक, प्रार्कालिक निदेशक/कंपनी सचिव का वेतन:

रुपए लाख में

क्रम	पारिश्रमिक विवरण	एमझी/इल्यूनी/सीएस के नाम			कुल राशि
		श्री ई. ए. सुब्रह्मण्यन प्रबंध निदेशक & सीईओ	श्री पीरम चंद्रराया निदेशक (वित) & सीएफओ	श्री सतीश कुमार कंपनी सचिव	
1	सकल वेतन				
	(a) इनकम टैक्स 1961 की घारा 17(1) के तहत वेतन	13.15	11.99	3.05	28.19
	(b) इनकम टैक्स 1961 की घारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	1.55	1.48	0	3.03
	(c) इनकम टैक्स 1961 की घारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ				
2	स्टाफ आशाल				
3	स्टेट इवियटी				
4	कमीशन लाभ का %			शृंखल	
5	अन्य (विवरित)				
	अन्य कृपया विवरित करें				
	कुल (A)		14.70	13.47	3.05
	अधिनियम के अनुसार अधिकारी सीमा	लागू नहीं, निदेशक रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औपचार्य विभाग			31.22
		द्वारा निश्चित वेतनमान पर नियुक्त किये जाते हैं			

B. अन्य निर्देशकों को पारिश्रमिक:

क्रम	पारिश्रमिक विवरण	निदेशक के नाम	कुल राशि
1	वीआईएफआर नामित निदेशक	श्री अनिल गुरा	
	(a) वोई और वोई स्टरीय समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए फीस	45000	45000
	(b) कमीशन		
	(c) अन्य कृपया विवरित करें		
	कुल (1)		
2	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक		
	वोई स्टरीय समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए फीस		
	(b) कमीशन		
	(c) अन्य कृपया विवरित करें		
	कुल (2)		
	कुल (B)=(1+2)	50000	50000
	कुल प्रबंधनीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा.	कंपनी (वित्ती एंड पारिश्रमिक) नियम 2014 के अनुसार एक लाख रुपए प्रति मीटिंग	



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता

(भारत सरकार का उपक्रम)



VII

जुर्माना / दंड / अपराध समझौता आदि

प्रकार	कंपनी एक्ट की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना / दंड / गलतियों में वृद्धि के विवरण	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएल टी कॉर्ट)	अपील की गयी (यदि कोई हो तो विवरण दे)
A. कंपनी					
जुर्माना					शून्य
दंड					
गलतियां					
B. निदेशक					
जुर्माना					शून्य
दंड					
गलतियां					
C. अन्य दोषी अधिकारीगन					
जुर्माना					शून्य
दंड					
गलतियां					

बोर्ड की तरफ से

(पी एम चंद्रया)

निदेशक (वित्त)

डीआईएन : 06970910

(ई ए सुब्रमनियम)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 06818313

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 27 मई 2016



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता



(भारत सरकार का उपक्रम)

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की वित्तीय विवरण की तैयारी वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। वैधानिक अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त ऑडिटर अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके तहत 27 मई 2016 को की गई उनके ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक की गई है।

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से धारा 143 (6) (ख) के वित्तीय बयान के अधिनियम के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण का एक अनुपूरक लेखा परिक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों की कार्यप्रणाली कागजात के लिए उपयोग के बिना और लेखा अभिलेखों में से कुछ की एक चयनात्मक परीक्षा को छोड़कर किया गया है। मेरी द्वारा कि गई महत्वपूर्ण लेखा परिक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया जो सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट करने के लिए पूरक पर किसी भी टिप्पणी को जन्म दें।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

की तरफ से

स्थारन: कोलकाता

दिनांक: 8 जुलाई, 2016

(प्रवीण कुमार)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक
एंड पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड – II
कोलकाता



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



BHATTACHARYA DAS & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Kolkata

2, Garstin Place, (4th Floor)
Kolkata: 700 001
Tel/Fax : 2213 -7668
Tel: 2248-3020
E-mail:
bhattacharyadas@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय बयान पर रिपोर्ट

हमने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय वक्तव्यों जिसमें 31 मार्च, 2016 तक का बैलेंस शीट, लाभ और हानि के बयान, समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है उसका लेखा परीक्षण किया।

वित्तीय स्टेटमेंट्स के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी एक्ट 2013 के धारा 134 (5), के तथ्यों के आधार पर वित्तीय विवरण की तैयारियां जो कि एक वित्तीय बयान कि वित्तीय स्थिति के एक सञ्ची और निष्पक्ष दृश्य देती है और वित्तीय प्रदर्शन और लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के नकदी प्रवाह जो आम तौर पर कंपनियों (लेखा) अधिनियम 2014 की धारा 133 नियम 7 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक सहित भारत में स्वीकार्य है, इन सब के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव भी शामिल है और धोखाधड़ी को रोकने और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए, उनकी पहचान, और निर्णय करने के लिए उचित लेखांकन नीतियों की आवेदन और अनुमान है कि उचित और विवेकपूर्ण और डिजाइन कर रहे हैं, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के रखरखाव यह सुनिश्चित करने के लिए सटीकता और लेखा अभिलेखों की पूर्णता प्रभावी ढंग से काम कर रही है, जो कि वित्तीय विवरण की तैयारी और से प्रासंगिक है एवं सामग्री गलत बयानों से सच्चा और निष्पक्ष दृश्य दर्शाता है, चाहे वो गलती से हो या जानबूझकर।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



BHATTACHARYA DAS & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Kolkata

2, Garstin Place, (4th Floor)
Kolkata: 700 001
Tel/Fax : 2213 -7668
Tel: 2248-3020
E-mail:
bhattacharyadas@gmail.com

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय बयान पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपने लेखा परीक्षा का आयोजन निर्दिष्ट अंकेक्षण पर मानक के अनुरूप किए हैं अर्थात् 143 (10) अधिनियम के तहत। उन मानकों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा प्रदर्शन के लिए उचित आश्वासन और योजना प्राप्त करें जिससे कि वित्तीय बयान सामग्री ग़लत बयान से मुक्त रहे।

एक लेखा परीक्षा प्रदर्शन प्रक्रियाओं में राशि और वित्तीय बयान में खुलासे के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है, वित्तीय बयान की ग़लत बयान के जोखिम के आकलन, चाहे वो गलती हो या धोखाधड़ी, उन रिस्क को आंकना आडिटर के अनुसार कंपनी के आर्थिक विवरण की तैयारी एवं प्रस्तुति जो परिस्थितियों के अनुसार सटीक हो। एक ऑडिट यह भी मूल्यांकन करता है कि आर्थिक नीतियों तथा उसकी विवेचित आर्थिक आंकड़े जो प्रबंधन द्वारा दिए गए हैं साथ ही साथ इस आर्थिक विवरण का भौतिक प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन सही हो।

हम विश्वास करते हैं कि ऑडिट अभिलेख जो हमें प्राप्त हुए है वह हमारे ऑडिट के लिए एवं आर्थिक विवरणों के ऊपर लेखाराय के लिए पर्याप्त एवं यथोचित आधार है।

लेखापरीक्षीय राय:

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गए स्पष्टीकरण के अनुसार और पैरा सं. 3 (ई), (एच) और (र) में हमारी टिप्पणियों के अधीन अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट,



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



BHATTACHARYA DAS & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Kolkata

2, Garstin Place, (4th Floor)
Kolkata: 700 001
Tel/Fax : 2213 -7668
Tel: 2248-3020
E-mail:
bhattacharyadas@gmail.com

पूर्वोक्त आर्थिक विवरण में दिए गए कानून के अनुसार सूचना एवं तथ्य जो एक आदर्श एवं उत्तम प्रस्तुति आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार जो भारत में मान्य हैं दिए गए हैं।

- क. कंपनी की गतिविधियां जो बैलेंस शीट में, 31 मार्च 2016 को, और
- ख. लाभ एवं हानि खाता के विवरण में वित्त वर्ष के अंतर्गत पूरे लाभ या हानि, तथा
- ग. कैश फलो विवरण के बारे में जो वित्त वर्ष के अंतिम दिनांक तक कैश फलो की स्थिति है।

तथ्यों का महत्व

1. हमने मुंबई कारखाने के वित्तीय बयान का लेखापरीक्षा नहीं किया था जो कि कंपनी के वित्तीय विवरण में शामिल है एवं मुंबई कारखाना का वित्तीय विवरण वहां के शाखा लेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षित की गई है और हमारे विचार में वित्तीय एवं अन्य तथ्यों का विवरण पूर्णतः उन शाखा के ऑडिटर्स रिपोर्ट पर आधारित है। इस संदर्भ में हमारे विचार महत्वपूर्ण नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

1. कंपनी एकट के सेक्षण 143 (5) के अनुसार हम लोगों ने लेखा परीक्षा का कार्यप्रणाली पालन के सुझाव के बाद अनुबंध --। प्रस्तुत किया है, जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश पर एक बयान है, जिससे उसके संदर्भ में उठाए गए कदम और खातों और कंपनी की वित्तीय विवरण पर उसका प्रभाव शामिल है।
2. कंपनी के ऑर्डर (ऑडिटर्स रिपोर्ट) 2016 (ऑर्डर) केंद्रीय सरकार द्वारा कम्पनीज एकट 2013 के सेक्षण 143 के अनुसार हमने अनुबंध ॥ बनाया जिसमें ऑर्डर के पैरा 3 एवं 4 उल्लिखित तथ्यों का व्यौरा है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



BHATTACHARYA DAS & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Kolkata

2, Garstin Place, (4th Floor)
Kolkata: 700 001
Tel/Fax : 2213 -7668
Tel: 2248-3020
E-mail:
bhattacharyadas@gmail.com

3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित के रूप में हमारा रिपोर्ट:

- a. हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किया जो आडिट के लिए आवश्यक थे।
- b. हमारी राय में कंपनी में कानून के तहत खाता बरकरार रखा जा रहा है जो उन किताबों के हिसाब से हमने परीक्षण किया और हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त हुआ जहां हम नहीं जा सके।
- c. कंपनी के अन्य शाखा ऑफिस के ऑडिट कंपनी एक्ट के सेक्शन 143 (8) के अनुसार शाखा ऑडिटर्स द्वारा ऑडिट कराकर हमारे पास भेजे गए हैं जिसके आधार पर हमने यह रिपोर्ट तैयार की है।
- d. बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि खाता विवरण, कैश फ्लो विवरण जो इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं उनमें कम्पनी के अन्य शाखाओं के ऑडिट रिपोर्ट भी सम्मिलित है।
- e. हमारे विचार से उपरोक्त या संलग्न आर्थिक विवरण जो एकाउंटिंग स्टैर्न्ड कंपनी एक्ट के सेक्शन 133 का रूल नंबर 7, 2014 में प्रकटित है, भारत सरकार द्वारा दिया अनुदान रूपये 2470 लाख, रूपये 2,000 लाख तथा रूपये 629 लाख प्राप्त किये गए बकाया वेतन, भीआरएस पेमेंट तथा क्यूसी एवं आर एंड डी प्रणाली को क्रमशः अलग से नहीं रखा गया है और ऐसे जमा पर ब्याज का भी निर्धारण नहीं किया जा सकता है और इसीलिए अनुदान एकाउंट में इसको क्रेडिट नहीं किया गया है। ऐसे जमाओं पर अर्जित ब्याज को कंपनी के मुनाफे के रूप में समझा गया है। यह प्रावधान सरकारी अनुदान के लेखा पद्धति के एएस 12 के अनुरूप नहीं है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



BHATTACHARYA DAS & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Kolkata

2, Garstin Place, (4th Floor)
Kolkata: 700 001
Tel/Fax : 2213 -7668
Tel: 2248-3020
E-mail:
bhattacharyadas@gmail.com

अनुदान,

- f. लिखित प्रस्तुती के आधार पर जो हमें निदेशकों से 31 मार्च 2016 को मिला हैं जिसका अनुमोदन निदेशक बोर्ड द्वारा जिसमें कोई भी निदेशक कंपनी एक्ट के 164 (2) के अनुसार 31 मार्च 2016 तक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है।
- g. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्यासिता के लिए और इस तरह के नियंत्रण के संचालन प्रभावशीलता के लिए कृपया अनुबंध III के रूप में अलग रिपोर्ट को देखें।
- h. व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ग्राहकों से एडवांस, जमा वसूली, जमा रिफंडेबल और भारत सरकार से प्राप्त योजना और गैर योजना ऋण के संबंध में सभी शेष राशि अपुष्ट है, जो कि हानि का कारण बन सकता है (राशि प्राप्य नहीं)
- i. कंपनी भारतीय सरकार द्वारा पूर्णतः नियोजित है अतः कंपनी को निवेशकों के शिक्षा एक्ट सुरक्षा फंड के लिए किसी भी राशि का हस्तांतरण नहीं करना होता है।
- j. गत वर्ष की कैग की टिप्पणी के बावजूद स्थापना और स्रोत की पहचान के बिना कंपनी ने 10.42 करोड़ रुपए की एफडीआर निकाली और इस तरह की समय से पहले निकालने के परिणाम स्वरूप, कंपनी को 0.56 करोड़ रुपए का व्याज नुकसान उठाना पड़ा।

भट्टाचार्य दास एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 307077E

2, गार्स्टिन प्लेस, (चतुर्थ तल)
कोलकाता, 27 मई, 2016.

-

हस्ता/
सीए अंजन शी
सहभागी
सदस्यता सं. 052870



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



BHATTACHARYA DAS & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Kolkata

2, Garstin Place, (4th Floor)
Kolkata: 700 001
Tel/Fax : 2213 -7668
Tel: 2248-3020
E-mail:
bhattacharyadas@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में अनुबंध-।

(जैसा कि पैरा-4 रिपोर्ट के रूप में अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं को दर्शाया गया)

वर्ष 2015-16 के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के संबंध में कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) निर्देश के तहत रिपोर्ट

क्र.सं.	निर्देश	उठाए गए कदम एवं ऑडिटर का जवाब	एकाउंट्स तथा आर्थिक विवरण के ऊपर प्रभाव
1.	कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और पट्टे के लिए स्पष्ट स्वामित्व / लीज डीड है या नहीं ? यदि नहीं तो, कृपया फ्री होल्ड एरिया एवं लीज होल्ड एरिया जिनका स्वामित्व या लीज डीड नहीं है उनका उल्लेख करें।	कंपनी के पास कुल 99.46 एकड़ जमीन है जिसमें 37.48 एकड़ जमीन पट्टे पर दिया गया है। 14.18 एकड़ पट्टाधूत जमीन के संबंध में लीज डीड एवं टाइटल डीड 6.29 एकड़ फ्रीहोल्ड जमीन का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। 8.29 एकड़ फ्रीहोल्ड जमीन के संबंध में बीएलआर के प्रमाणित प्रतिलिपि के रूप में दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।	उचित प्रकटीकरण खाते में दर्ज किया गया और लीज किराया का हिसाब भी एकाउंट्स में सही से दर्शाया गया।
2.	कृपया बताएं कि किसी भी तरह के अधित्यजन/डेव्हूट्स के संबंध में /ऋण/ व्याज आदि पर कोई छूट दी गई है। यदि हाँ, कारण बताएं एवं शामिल राशि का ब्यौर दें।	वर्ष के दौरान कोई भी अधित्यजन/डेव्हूट्स के संबंध में /ऋण/ व्याज नहीं की गई।	इसका वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
3.	क्या तीसरे पार्टियों से प्राप्त सम्पत्ति एवं सरकारी और अन्य अधिकारियों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियां का उचित रिकार्ड रखा गया है।	किसी भी तरह की संपत्ति तीसरे पार्टी के पास नहीं है और कोई संपत्ति उपहार के रूप में सरकार और अन्य प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुई।	इसका वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



BHATTACHARYA DAS & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Kolkata

2, Garstin Place, (4th Floor)
Kolkata: 700 001
Tel/Fax : 2213 -7668
Tel: 2248-3020
E-mail:
bhattacharyadas@gmail.com

**वर्ष 2015-16 के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के संबंध में कंपनियों अधिनियम
2013 की धारा 143 (5) अतिरिक्त निर्देश के तहत रिपोर्ट**

क्र.सं.	निर्देश	उठाए गए कदम एवं ऑडिटर का जवाब	एकाउंट्स तथा आर्थिक विवरण के ऊपर प्रभाव
1.	अतिक्रमित जमीन का उल्लेख करें दाखिल एवं अतिक्रमण को हटाये जाने के लिए कंपनी द्वारा उठाये कदमों की व्याख्या करे।	इस तरह की कंपनी का कोई भी जमीन किसी के दखल में नहीं है।	इसका वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
2.	क्या कोई भी सब्सिडी की प्राप्ति/अदायगी भारतीय सरकार से मिले हुए राशि का समुचित लेखा जोखा, क्लेम के अनुसार सम्मिलित किया गया है ?	वर्तमान वित्तीय वर्ष में कंपनी ने किसी भी तरह का सब्सिडी प्राप्त नहीं किया है।	इसका वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

भट्टाचार्य दास एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 307077E

2, गार्स्टिन प्लेस, (चतुर्थ तल)
कोलकाता, 27 मई, 2016.

-

हस्ता/
सीए अंजन शी
सहभागी
सदस्यता सं. 052870



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



BHATTACHARYA DAS & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Kolkata

2, Garstin Place, (4th Floor)
Kolkata: 700 001
Tel/Fax : 2213 -7668
Tel: 2248-3020
E-mail:
bhattacharyadas@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में अनुबंध-॥
(जैसा कि पैराग्राफ 2 के अन्य वैधानिक रेगुलेटरी न्यामक जरूरतों के अनुसार)

- | (a) कंपनी की अचल संपत्ति का उचित रिकॉर्ड मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण बनाया गया है।
- & वर्ष के दौरान अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा आयोजित किया गया और कोई भी सामग्री विसंगति नहीं पायी गयी।
- & 14.18 एकड़ पट्टाधृत जमीन के संबंध में लीज डीड एवं टाइटल डीड 6.29 एकड़ फ्रीहोल्ड जमीन का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। 8.29 एकड़ फ्रीहोल्ड जमीन के संबंध में बीएलआर के प्रमाणित प्रतिलिपि के रूप में दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
- | वर्ष के दौरान माल का स्टॉक का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा सत्यापित किया गया। हमारे विचार में, कंपनी के आकार और इसकी व्यापार को देखते हुए सत्यापन की आवृत्ति उचित अवधि पर हो रही है। भौतिक सत्यापन के दौरान कोई भी सामग्री विसंगति नहीं देखी गई जैसे कि रिकार्ड में है।
- | कंपनी एकट के सेक्षण 189 के अनुसार कंपनी ने दूसरे कंपनियों को किसी भी तरह का लोन सिक्योरड या अनसिक्योर्ड स्वीकार नहीं किया है।
- | अन्य कंपनियों के लिए ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा की अनुपस्थिति में धारा 185 व 186 के प्रावधान लागू नहीं होते।
- | हमको दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने धारा 73 से 76 कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के किसी भी अन्य प्रासंगिक के तहत किसी भी तरह डिपाजिट नहीं प्राप्त किया या।



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



BHATTACHARYA DAS & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Kolkata

2, Garstin Place, (4th Floor)
Kolkata: 700 001
Tel/Fax : 2213 -7668
Tel: 2248-3020
E-mail:
bhattacharyadas@gmail.com

- | कंपनी द्वारा केंद्रीय सरकार के कंपनी अधिनियम की धारा 148 के उप धारा (1) के अनुसार सभी लागत रिकॉर्ड रखे हैं।
- | (a) कंपनी संबंधित ऑर्थारिटी के पास वैधानिक गतिविधियों के बकाया राशि प्रोविडेंट फंड निवेशक के शिक्षा एवं सुरक्षा फंड, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेल्स एवं अन्य वैधानिक जमा राशियों को जमा करने में नियमित है। कुछ उपवादों को छोड़कर जहां पर वित्तीय कठिनाई रही है। 31 मार्च 2016 तक वर्ष के 6 महीने के दौरान कोई भी वैधानिक बकाया नहीं था केवल 418.37 लाख रुपये कोलकाता और मुंबई की संपत्तियों के संबंध में मुनसिपैलिटी टैक्स बाकी है।
हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी का अनुबंध –ए में उल्लिखित को छोड़कर कोई भी बकाया सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स या सर्विस टैक्स या कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी या वैट या सेल्स नहीं है।
- | खातों में दर्ज रिकार्ड और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों के लिए देय राशि में बकाया अदायगी में चूक नहीं की है। हालांकि, कंपनी ने भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के निम्न ऋण की अदायगी में चूक की है।

क्र. सं.	विवरण	मूलधन (रुपये लाख में)	उपचित एवं बाकी ब्याज (रुपये लाख में)
1	भारत सरकार - योजना ऋण	8,518.00	4,159.25
2	भारत सरकार - गैर योजना ऋण	2,310.00	2,284.49
3	पश्चिम बंगाल सरकार - अवधि ऋण	82.48	292.73



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



BHATTACHARYA DAS & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Kolkata

2, Garstin Place, (4th Floor)
Kolkata: 700 001
Tel/Fax : 2213 -7668
Tel: 2248-3020
E-mail:
bhattacharyadas@gmail.com

9. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी आईपीओ के माध्यम से और एफपीओ (ऋण लिखत सहित) से कोई पैसा नहीं उठाई है और इस प्रयोजन के लिए कोई सावधि ऋण का आवेदन नहीं किया गया है।
10. दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा ऑडिट प्रणाली के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने किसी भी तरह की फ्रॉड अथवा गलती इस वित्त वर्ष के दौरान नहीं की है।
11. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी अधिनियम की अनुसूची वी के साथ धारा 197 के प्रावधान के तहत प्रबंधकीय पारिश्रमिक अपेक्षित मंजूरी अनिवार्य के अनुसार प्रदान की गई है।
12. कंपनी एक निष्ठि कंपनी नहीं है इसलिए यह क्लाउस इस पर लागू नहीं होता।
13. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर और कंपनी के रिकार्डों की परीक्षण के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुसार संबंधित पार्टियों से किसी भी तरह का लेनदेन नहीं किया गया।
14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी वर्ष के दौरान किसी भी तरह की तरजीही आवंटन या शेयरों के प्राइवेट प्लेसमेंट या पूरी तरह या आंशिक रूप से नहीं की है।
15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने इसके निदेशकों या उसके साथ जुड़ा हुआ व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह का गैर नकद लेनदेन नहीं किया है।



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



BHATTACHARYA DAS & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Kolkata

2, Garstin Place, (4th Floor)
Kolkata: 700 001
Tel/Fax : 2213 -7668
Tel: 2248-3020
E-mail:
bhattacharyadas@gmail.com

16. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है।

भट्टाचार्य दास एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 307077E

2, गार्स्टिन प्लेस, (चतुर्थ तल)
कोलकाता, 27 मई, 2016.

हस्ता /
सीए अंजन शी
सहभागी
सदस्यता सं. 052870



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



BHATTACHARYA DAS & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Kolkata

2, Garstin Place, (4th Floor)
Kolkata: 700 001
Tel/Fax : 2213 -7668
Tel: 2248-3020
E-mail:
bhattacharyadas@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में अनुबंध-III (अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर पैरा-2-रिपोर्ट के रूप में)

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च 2016 तक हमने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण हमारी लेखा परीक्षा के साथ उस तारीख को समाप्त हुए कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संयोजन में किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित करने और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड कंपनी आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक आंतरिक वित्तीय की लेखा परीक्षा पर गाइडेंस नोट में कहा गया है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण भारत (आईसीएआई) के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए गाइडेंस नोट्स के तहत अधिक से अधिक स्थापित हो।

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इन जिम्मेदारियों में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव भी शामिल है और धोखाधड़ी को रोकने और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए, उनकी पहचान, और निर्णय करने के लिए उचित लेखांकन नीतियों का आवेदन और अनुमान है कि उचित और विवेकपूर्ण और डिजाइन कर रहे हैं, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के रखरखाव यह सुनिश्चित करने के लिए सटीकता और लेखा अभिलेखों की पूर्णता प्रभावी ढंग से काम कर रही है, जो कि वित्तीय विवरण की तैयारी और से प्रासंगिक है एवं सामग्री गलत बयानों से सच्चा और निष्पक्ष दृश्य दर्शाता है।



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



BHATTACHARYA DAS & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Kolkata

2, Garstin Place, (4th Floor)
Kolkata: 700 001
Tel/Fax : 2213 -7668
Tel: 2248-3020
E-mail:
bhattacharyadas@gmail.com

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हम वित्तीय रिपोर्टिंग ("गाइडेंस नोट") और लेखा परीक्षा पर मानक, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए पर आंतरिक वित्तीय की लेखापरीक्षा और गाइडेंस नोट के अनुसार हमने लेखा परीक्षा नियंत्रण का आयोजन किया और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित किए हुए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का एक लेखा परीक्षा और दोनों जो लागू हैं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षा उन मानकों और गाइडेंस नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना के अनुरूप के बारे में कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा गया है, इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित किए गए हैं, तो उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण करें।

हमारा लेखा परीक्षा प्रदर्शन प्रक्रियाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर बयान में खुलासे के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर हमारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उन रिस्क को आंकना है जो ऑडिटर के अनुसार कंपनी के आर्थिक विवरण की तैयारी एवं प्रस्तुति की परिस्थितियों के अनुसार सटीक हों। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है जो ग़लत बयान के जोखिम के आकलन, चाहे वो गलती हो या धोखाधड़ी से प्राप्त हुए हों।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे ऑडिट के एवं आर्थिक विवरण पर राय के लिए, ऑडिट अभिलेख जो हमने प्राप्त किया है वह पर्याप्त एवं यथोचित आधार है।



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



BHATTACHARYA DAS & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Kolkata

2, Garstin Place, (4th Floor)
Kolkata: 700 001
Tel/Fax : 2213 -7668
Tel: 2248-3020
E-mail:
bhattacharyadas@gmail.com

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

आम तौर पर सामान्य स्वीकृत लेखाकीय सिद्धांतों के प्रयोजनों के अनुसार कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहर से लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की नीतियां और प्रक्रिया भी इसमें शामिल हैं।

- (1) उचित विस्तार से, सही और काफी लेनदेन और कंपनी की संपत्ति के स्वभाव को प्रतिबिंबित, अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है;
- (2) उचित आश्वासन दिया है कि लेन-देन को आम तौर पर आवश्यक प्रदान की प्राप्तियों और कंपनी की व्यय स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी की अनुमति के लिए दर्ज की जा रही है, जो कि केवल प्रबंधन और कंपनी के निदेशक प्राधिकरण के अनुसार ही है; और (3) रोकथाम या अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या कंपनी की संपत्ति के समय का पता लगाने कि वित्तीय विवरण पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, उसके लिए उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

आंतरिक वित्तीय के निहित सीमित नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग

हमारे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के निहित सीमाओं मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रण की संभावना सहित गलत बयान त्रुटि के लिए धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकता है उसका पता नहीं लगा सकते। इसके अलावा, भविष्य अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमानों के जोखिम के अधीन हैं क्योंकि स्थितियों में बदलाव की अपर्याप्त या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन कम हो सकती हैं।



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



BHATTACHARYA DAS & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Kolkata

2, Garstin Place, (4th Floor)
Kolkata: 700 001
Tel/Fax : 2213 -7668
Tel: 2248-3020
E-mail:
bhattacharyadas@gmail.com

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी मामलों में, 31 मार्च 2016 के रूप में वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को प्रभावी ढंग से रिपोर्टिंग करने के लिए अधिक वित्तीय रिपोर्टिंग भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए लेखा परीक्षा पर गाइडेंस नोट के तहत आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार द्वारा स्थापित मानदंड नियंत्रित करता है।

भट्टाचार्य दास एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 307077E

2, गार्स्टिन प्लेस, (चतुर्थ तल)
कोलकाता, 27 मई, 2016

हस्ता/
सीए अंजन शी
सहभागी
सदस्यता सं. 052870



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



BHATTACHARYA DAS & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Kolkata

2, Garstin Place, (4th Floor)
Kolkata: 700 001
Tel/Fax : 2213 -7668
Tel: 2248-3020
E-mail:
bhattacharyadas@gmail.com

31 मार्च, 2016 तक विवादित रूप में देय राशि का विवरण

(खातों में प्रावधान नहीं)

क्रान्तुन का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (रूपए लाख में)	जिस अवधि के लिए देय राशि से संबंधित	फोरम जहां विवाद लंबित है
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	41.82	जुलाई 1997 से जून, 2001	अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता
		36.49	जुलाई 2001 से अप्रैल, 2003	अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता
		21.41	मार्च, 1985 से जुलाई 1986	आयुक्त (अपील), कोलकाता
		10.94	अप्रैल 1988 से मार्च, 1990	अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता
		41.06	जुलाई, 1987	आयुक्त (अपील), कोलकाता
बिक्री कर	केन्द्रीय बिक्री कर	21.42	2003-2004	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		292.5	2004-2005	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		440.53	2005-2006	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		294.97	2006-2007	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		16.36	2008-2009	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		5.63	2009-2010	अपीलीय प्राधिकरण
		92.13	2010-2011	अपीलीय प्राधिकरण
	मूल्य वर्धित कर	3.01	2011-12	अपीलीय प्राधिकरण
		2.22	2012-13	अपीलीय प्राधिकरण
		119.58	2004-2005	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		101.61	2005-2006	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		49.52	2006-2007	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		265.27	2007-2008	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		629.83	2008-2009	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		205.66	2009-2010	अपीलीय प्राधिकरण
		88.21	2010-2011	अपीलीय प्राधिकरण
		93.45	2011-12	अपीलीय प्राधिकरण
		42.29	2012-2013	अपीलीय प्राधिकरण



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



2015-16 के वार्षिक लेखा पर लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ पर उत्तर

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
1	हम लोगों को आवश्यकता अनुसार तथ्य एवं स्पष्टीकरण प्रबंधन से मिल गए हैं जो हमारे जानकारी एवं विश्वास के आधार पर ऑडिट के उद्देश्य के लिए जरुरी थे।	कोई टिप्पणी नहीं
2	हमारे विचार से कानून द्वारा जरूरी लेखा जोखा के तथ्य आदि जो कंपनीद्वारा सुरक्षित रखे गए थे तथा अन्य रिट्स आदि ऑडिट के उद्देश्य से रखे गए थे वह सही है हालांकि हम लोगों ने कंपनी के अन्य शाखाओं का विजिट नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
3	कंपनी के अन्य शाखाओं के कंपनी एक्ट के सेक्शन 143 (8) के अनुसार ब्रांच के ऑडिटरों द्वारा किए गए ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास भेजे गए थे जिसका उपयोग हमने इस रिपोर्ट में तैयार किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
4	बैलैंस शीट, लाभ एवं हानि खाता विवरण, कैश फ्लो विवरण जो इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं उनमें कम्पनी के अन्य शाखाओं के ऑडिट रिपोर्ट भी सम्मिलित है।	कोई टिप्पणी नहीं
5	हमारे विचार से उपरोक्त या संलग्न आर्थिक विवरण जो एकाउंटिंग स्टैन्डर्ड, कंपनी एक्ट के सेक्शन 133 का रूल नंबर 7, 2014 अपवाद भारत सरकार द्वारा दिया अनुदान रूपये 2470 लाख, रूपये 2,000 लाख तथा रूपये 629 लाख प्राप्त किये गए, बकाया वेतन, भीआरएस पेमेंटथा क्यूसी एवं आर एंड डी प्रणाली को क्रमशः अलग से नहीं रखा गया है और ऐसे जमा पर ब्याज का भी निर्धारण नहीं किया जा सकता है और इसीलिए अनुदान एकाउंट में इसको क्रेडिट नहीं किया गया है। ऐसे जमाओं पर अर्जित ब्याजको कंपनी के मुनाफे के रूप में समझा गया है। यह प्रावधान सरकारी अनुदान के लेखा पद्धति के एएस 12 के अनुरूप नहीं है।	ऐतिहासिक रूप से सन 2007 08 से कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त इन अनुदानों के लिए कोई अलग बैंक खाता नहीं रखा है। इसके अलावा आज की दिनांक में केवल भीआरएस के लिए प्राप्त अनुदान का शेष बैंक में एफडीआर के रूप में रखा है।
6	लिखित प्रस्तुती के आधार पर जो हमें निदेशकों से 31 मार्च 2016 को मिला है जिसका अनुमोदन निदेशक बोर्ड द्वारा जिसमें कोई भी निदेशक कंपनी एक्ट के 164 (2) के अनुसार 31 मार्च 2016 तक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
7	कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के लिए और इस तरह के नियंत्रण के संचालन प्रभावशीलता के लिए कृपया अनुबंध III के रूप में अलग रिपोर्ट को देखें।	कोई टिप्पणी नहीं



बंगाल केमिकल एंड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
8	व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ग्राहकों से एडवांस, जमा वसूली, जमा रिफंडेबल और भारत सरकार से प्राप्त योजना और मैर योजना ऋण के संबंध में सभी शेष राशि अपुष्ट हैं, जो कि हानि का कारण बन सकता है (राशि प्राप्य नहीं)	प्रबंधन ने शेष बकाया के लिए विभिन्न डेवर्ट्स एवं क्रेडिटर्स को पत्र भेजे परंतु पार्टियों से अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ।
9	कंपनी भारतीय सरकार द्वारा पूर्णतः नियोजित है अतः कंपनी को निवेशकों के शिक्षा एक्ट सुरक्षा फंड के लिए किसी भी राशि का हस्तांतरण नहीं करना होता है।	कोई टिप्पणी नहीं
10	गत वर्ष की कैग की टिप्पणी के बावजूद स्थापना और स्रोत की पहचान के बिना कंपनी ने 10.42 करोड़ रुपए की एफडीआर निकाली और इस तरह की समय से पहले निकालने के परिणाम स्वरूप, कंपनी को 0.56 करोड़ रुपए का व्याज नुकसान उठाना पड़ा।	कंपनी 13.50 % व्याज पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से 25 करोड़ रुपये कैश क्रेडिट लिमिट के रूप में उठा रही थी, जबकि इन एफडीआर पर कंपनी सिर्फ 8 से 9% व्याज ही पा रही थी। कंपनी ने बोर्ड से अनुमोदन एवं मंत्रालय को सूचना के बाद, जुलाई 2015 से इन एफडीआर को कैश क्रेडिट एकाउंट में डाल दिया गया ताकि व्याज बचे।
11	कंपनी अचल संपत्ति का उचित रिकॉर्ड मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण बनाई हुई है। वर्ष के दौरान अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा आयोजित किया गया और कोई भी सामग्री विसंगति नहीं पाया गया। 14.18 एकड़ पट्टाधृत जमीन के संबंध में लीज डीड एवं टाइटल डीड 6.29 एकड़ फ्रीहोल्ड जमीन का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। 8.29 एकड़ फ्रीहोल्ड जमीन के संबंध में बीएलआर के प्रमाणित प्रतिलिपि के रूप में दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
12	वर्ष के दौरान माल का स्टॉक का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा सत्यापित किया गया। हमारे विचार में, कंपनी के आकार और इसकी व्यापार को देखते हुए सत्यापन की आवृत्ति उचित अवधि पर हो रही है। भौतिक सत्यापन के दौरान कोई भी सामग्री विसंगति नहीं देखी गई जैसे कि रिकार्ड में है।	कोई टिप्पणी नहीं
13	कंपनी एकट के सेक्षण 189 के अनुसार कंपनी ने दूसरे कंपनियों को किसी भी तरह का लोन सिक्योरड या अनसिक्योर्ड स्वीकार नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
14	अन्य कंपनियों के लिए ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा की अनुपस्थिति में धारा 185 व 186 के प्रावधान लागू नहीं होते।	कोई टिप्पणी नहीं
15	हमको दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने धारा 73 से 76 कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के किसी भी अन्य प्रासंगिक के तहत किसी भी तरह डिपाजिट नहीं प्राप्त किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
16	कंपनी द्वारा केंद्रीय सरकार के कंपनी अधिनियम की धारा 148 के उप-धारा (1) के अनुसार सभी लागत रिकॉर्ड रखे हैं।	कोई टिप्पणी नहीं



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब												
17	<p>कंपनी संबंधित और्थारिटी के पास वैधानिक गतिविधियों के बकाया राशि प्रोविडेंट फंड निवेशक के शिक्षा एवं सुरक्षा फंड, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेल्स एवं अन्य वैधानिक जमा राशियों को जमा करने में नियमित है। कुछ उपवादों को छोड़कर जहां पर वित्तीय कठिनाई रही है। 31 मार्च 2016 तक वर्ष के 6 महीने के दौरान कोई भी वैधानिक बकाया नहीं था केवल 418.37 लाख रुपये कोलकाता और मुंबई की संपत्तियों के संबंध में मुनिसिपैलिटी टैक्स बाकी है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी का अनुबंध –ए में उल्लिखित को छोड़कर कोई भी बकाया सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स या सर्विस टैक्स या कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी या वैट या सेल्स नहीं है।</p>	कोई टिप्पणी नहीं												
18	<p>खातों में दर्ज रिकार्ड और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिवेंचर धारकों के लिए देय राशि में बकाया अदायगी में चूक नहीं की है। हालांकि, कंपनी ने भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के निम्न ऋण की अदायगी में चूक की है।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>मूलधन (रुपये लाख में)</th> <th>उपचित एवं बाकी ब्याज (रुपये लाख में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>भारत सरकार – योजना ऋण</td> <td>8,518.00</td> <td>4,159.25</td> </tr> <tr> <td>भारत सरकार – गैर योजना ऋण</td> <td>2,310.00</td> <td>2,284.49</td> </tr> <tr> <td>पश्चिम बंगाल सरकार – अवधि ऋण</td> <td>82.48</td> <td>292.73</td> </tr> </tbody> </table>	विवरण	मूलधन (रुपये लाख में)	उपचित एवं बाकी ब्याज (रुपये लाख में)	भारत सरकार – योजना ऋण	8,518.00	4,159.25	भारत सरकार – गैर योजना ऋण	2,310.00	2,284.49	पश्चिम बंगाल सरकार – अवधि ऋण	82.48	292.73	कोई टिप्पणी नहीं
विवरण	मूलधन (रुपये लाख में)	उपचित एवं बाकी ब्याज (रुपये लाख में)												
भारत सरकार – योजना ऋण	8,518.00	4,159.25												
भारत सरकार – गैर योजना ऋण	2,310.00	2,284.49												
पश्चिम बंगाल सरकार – अवधि ऋण	82.48	292.73												
19	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी आईपीओ के माध्यम से और एफपीओ (ऋण लिखत सहित) से कोई पैसा नहीं उठाई है और इस प्रयोजन के लिए कोई सावधि ऋण का आवेदन नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं												
20	दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा ऑडिट प्रणाली के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने किसी भी तरह की फ्रॉड अथवा गलती इस वित्त वर्ष के दौरान नहीं की है।	कोई टिप्पणी नहीं												
21	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी अधिनियम की अनुसूची वी के साथ धारा 197 के प्रावधान के तहत प्रबंधकीय पारिश्रमिक अपेक्षित मंजूरी अनिवार्य के अनुसार प्रदान की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं												
22	कंपनी एक निद्वि कंपनी नहीं है इसलिए यह क्लाउड इस पर लागू नहीं होता।	कोई टिप्पणी नहीं												



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
23	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर और कंपनी के रिकार्डों की परीक्षण के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुसार संबंधित पार्टियों से किसी भी तरह का लेनदेन नहीं किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं
24	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी वर्ष के दौरान किसी भी तरह की तरजीही आवंटन या शेरारों के प्राइवेट प्लेसमेंट या पूरी तरह या आंशिक रूप से नहीं की है।	कोई टिप्पणी नहीं
25	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने इसके निदेशकों या उसके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह का गैर नकद लेनदेन नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
26	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं

हस्ता/-
(ई. ए. सुब्रमण्यन)
प्रबंध निदेशक



बंगाल केमिकल्स2 एंड फार्मस्यूरटिकल्सस लिमिटेडकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



31 मार्च 2016 तक तुलन पत्र

रुपये लाख में

विवरण	नोट	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
इक्विटी और देयता शेयरधारकों के फड़:			
शेयर पूँजी	3	7696.04	7696.04
संचय और अधिशेष	4	18357.31	(17444.14)
			10661.27
गैर मौजूदा देनदारियां :			
लॉन्ग टर्म उधार	5	19858.34	18587.87
अन्य लंबी अवधि की देनदारियां	6	444.49	495.40
लॉन्ग टर्म प्रावधान	7	1813.20	1698.77
			22116.03
वर्तमान देनदारियां:			
लघु अवधि की उधारी	8	1881.68	2557.30
व्यापार देनदारियां	9	4541.78	4301.89
अन्य चालू देनदारियां	10	4330.46	4486.01
लघु अवधि के प्रावधान	11	159.85	222.99
			10913.77
कुल देयता		22368.53	22602.13
संपत्ति			
गैर-चालू संपत्ति:			
अचल संपत्ति:			
मूर्त संपत्ति	12	9736.38	4316.00
प्रगति कार्य में पूँजी	13	5718.20	10922.93
			15454.58
लॉन्ग टर्म ऋण और अग्रिम	14		28.28
वर्तमान संपत्ति :			
माल	15	1463.29	1428.46
व्यापार स्वीकार योग्य	16	2632.94	1441.40
नकद और नकद समकक्ष	17	1865.37	3698.48
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	18	476.21	539.33
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	19	447.86	230.70
			6885.67
कुल संपत्ति		22368.53	22602.13

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1

लेखा पर नोट्स 2

ऊपर उल्लेख नोट्स वित्तीय विवरण का एक अभिन्न हिस्सा हैं

अब तक के सन्दर्भ में हमारी रिपोर्ट

भट्टाचार्य दास एंड कंपनी के लिए बोर्ड

के तरफ से

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(एफआरएन. 307077E)

हस्ता हस्ता हस्ता

(अंजन शी)

(पीएम चंद्रया)

(ई ए सुब्रमनियन)

सहभागी निदेशक

(वित्त) प्रबंध

निदेशक

सदस्यता सं. 052870

हस्ता हस्ता

स्थान: कोलकाता सतीश

कुमार

(एस. सेनगुप्ता)

दिनांक: 27 मई 2016 कंपनी

सचिव एजीएम

(वित्त)



बंगाल केमिकल्स2 एंड फार्मास्यूरटिकल्सस लिमिटेडकाता

(भारत सरकार का उपक्रम)



31 मार्च 2016 पर समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण

रुपये लाख में

विवरण	नोट	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
आय			
संचालन (सकल) से राजस्व	20	9623.37 804.20	4958.63 375.13
कम: एक्साइज ड्यूटी			
संचालन से राजस्व (नेट)		8819.17	4583.50
अन्य आय	21	2457.13	1969.95
कुल आय		11276.30	6553.45
खर्च			
कञ्जे माल की खपत	22	5589.80	3532.05
इनवेंटरी में परिवर्तन	23	40.22	(507.62)
कर्मचारी लाभ व्यय	24	2351.89	2856.80
वित्त लागत	25	1641.99	1536.63
अन्य खर्च	26	2170.45	1583.20
मूल्यहास	12	395.02	360.61
कुल खर्च		12189.37	
अतिरिक्त साधारण आय से पहले के घाटे		(913.07)	(2808.22)
असाधारण आय	2.4		1076.17
लाभ / (हानि) टैक्स से पहले		(913.07)	(1732.05)
टैक्स. एक्सधर्पेस		-	-
लाभ / (हानि) टैक्स से बाद		(913.07)	(1732.05)
प्रति शेयर आय (वैसिक एंड डार्फ्टेटेड रूपए में)		(118.64)	(225.06)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1

लेखा पर नोट्स 2

ऊपर उल्लेख नोट्स वित्तीय विवरण का एक अभिन्न हिस्सा हैं

अब तक के सन्दर्भ में हमारी रिपोर्ट

भट्टाचार्य दास एंड कंपनी के लिए बोर्ड

के तरफ से

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(एफआरएन. 307077E)

हस्ता हस्ता हस्ता

(अंजन शी)

(पीएम चंद्रश्या)

(ई ए सुब्रमनियन)

सहभागी निदेशक

(वित्त) प्रबंध

निदेशक

सदस्यता सं. 052870

हस्ता हस्ता

स्थान: कोलकाता सतीश

कुमार

(एस. सेनगुप्ता)

दिनांक: 27 मई 2016 कंपनी

सचिव

एजीएम

(वित्त)



बंगाल केमिकल्स2 एंड फार्मस्यूरटिकल्सस लिमिटेडकाता



(भारत सरकार का उपक्रम)

31 मार्च 2016 पर समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट

रुपये लाख में

विवरण	वर्ष 2015-16 के लिए	वर्ष 2014-15 के लिए
क) प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाहः		
शुद्ध (हानि) असामान्य मदों और कर से पहले (i)	(913.07)	(2808.22)
समायोजन		
मूल्यहास और परिशोधन	395.02	360.60
(मुनाफा) / विक्री पर नुकसान / आस्तियों के बंद के बारे में	(0.18)	(0.19)
वित्तीय लागत	1641.99	1536.63
व्याज आय	(167.09)	(180.82)
गुण से किराये	(993.04)	(930.52)
अन्य लोग	(258.15)	(302.03)
प्रावधान वापस लिखे रहने की आवश्यकता नहीं	(954.50)	(41.27)
संदिग्ध प्राप्तियों, क्रृष्ण और अग्रिम के लिए प्रावधान	106.26	370.71
अन्य (लाइव स्टॉक लिखे बंद)	1.26	0.46
पूर्व अवधि समायोजन	(59.69)	(58.89)
	(288.13)	(872.46)
	1201.20	1935.76
आपरेटिंग कार्यशील पूंजी बदलने से पहले के घाटे (iii)=(i + ii)		
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
संचालन संपत्ति में वृद्धि/कमी का समायोजन:		
इन्वेंटरी	(34.83)	(617.44)
प्राप्य व्यय	(944.77)	(769.27)
लघु अवधि के क्रृष्ण और अग्रिम	229.82	269.69
लंबी अवधि के क्रृष्ण और अग्रिम	(3.45)	6.87
अन्य चालू परिसंपत्तियां	(60.58)	36.12
	(813.80)	(1074.03)
संचालित देनदारी में वृद्धि और कमी का समायोजन		
चुकता व्यय	712.91	725.42
अन्य चालु देनदारी (अन्य देय)	(155.55)	(72.87)
लघु अवधि के प्रावधानों	(63.14)	(160.21)
लंबी अवधि के प्रावधानों	114.43	371.20
असाधारण मद		1076.17
	(v)	
संचालन से नकद प्राप्ति (vi) = (iii+iv+v)	608.84 (1406.36)	1939.71 (1070.08)
संचालित गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (क)	(1406.36)	(1070.08)
ख. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो:		
अचल सम्पत्तियों पर पूंजीगत व्यय, सीडब्ल्यूआईपी सम्मिलित	(611.93)	(116.21)
बैंक बैलेस नकद और नकद समकक्ष नहीं माना गया		
-परिपक्व	1769.81	(552.63)
किरायेदारों से जमा	(50.91)	96.51
प्राप्त व्याज	167.09	52.89
निवेश की संपत्ति से किराये की आय	798.88	951.84
अन्य (क्लेम)	220.57	315.04
अन्य आय		74.38
निवेश गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (ख)	2293.51	821.82



बंगाल केमिकल्सो एंड फार्मास्यूशटिकल्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)



ग. वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो :				
लॉन्ना टर्म उधार	(675.62)		700.00	
लघु अवधि की उधारी	(274.84)		28.59	
वित्तीय लागत			(470.98)	371.76
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (ग)		(950.46)		257.61
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि /(कमी) (क+ख+ग)		(63.30)		9.35
साल की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष		216.79		207.44
साल की अंत में नकद और नकद समकक्ष		153.49		216.79
नकद और नकद समकक्ष का मिलान				
बैलेंस शीट के अनुसार नकद और नकद समकक्ष (नोट 16 से संदर्भ लें)		1865.37		3698.48
घटा: जैसे की एएस 3 कैश फ्लो विवरण में परिभाषित है नकद और नकद समतुल्य में टर्म डिपाजिट को नहीं लिया साल की अंत में नकद और नकद समकक्ष		1711.88 153.49		3481.69 216.79
सम्मिलित				
(क) नकदी	2.98		5.68	
(ख) चेक	2.55		3.21	
(ग) चालू खाते में बैंक शेष	147.96		207.90	

भट्टाचार्य दास एंड कंपनी के लिए बोर्ड

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(एफआरएन. 307077E)

हस्ता हस्ता हस्ता

(अंजन शी)

सहभागी निदेशक

सदस्यता सं. 052870

हस्ता हस्ता

स्थान: कोलकाता सतीश

दिनांक: 27 मई 2016 कंपनी

के तरफ से

(पीएम चंद्रया)

(वित्त) प्रबंध

(ई ए सुब्रमनियन)

निदेशक

कुमार

सचिव एजीएम

(एस. सेनगुप्ता)

(वित्त)



1.0 वर्ष 2015-16 के महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार:

प्रस्तुत वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 (एक्ट) और कंपनी अधिनियम 2014 (एकाउंट्स) के कंपनी के नियम सं. 7 अधिनियम के प्रावधानों (यथासंसोधित) को मिलाकर जीएएपी के प्रासांगिक प्रावधानों को मिलाकर यह वित्तीय विवरण तैयार किया गया है। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के तहत उपचय के आधार पर तैयार किया गया है। लेखा नीतियां लगातार लागू किए गए हैं केवल जहां पर नई लेखा नीतियां अपनाई गई हों या एक मौजूदा लेखा मानक के लिए एक संशोधन के उपयोग में अब तक लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो तो। वित्तीय विवरण भारतीय रूपय में प्रस्तुत की जाती है लाख में निकटतम रूपया में पूर्णांकित।

1.2 प्राक्कलन का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को स्वीकारीय लेखांकन नीतियों के अनुसार बनाना चाहिए। हिसाब, मान्यतायें सत्पत्ति और देनदारियों, निर्भरशील देनदारियों के प्रकटीकरण वित्तीय विवरण के दिनांक तक, और बताये हुए राजस्व और खर्चों को, प्रभावित कर सकता है।

लेखांकन हिसाब समय समय पर बदल सकता है। सही परिणाम भी उस हिसाब से बदल सकते हैं। प्रबंधन की जानकारी में आनेवाले किसी भी परिस्थिति से संबंधित हिसाब को बदला जा सकता है। एक अवधि में हुये अनुमनों में परिवर्तन को वित्तीय विवरण में दर्शाया गया है और अगर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण है तो उनका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण के नोटों में किया गया है।



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



1.3 चालू/गैर चालू संपत्ति एवं देयता का वर्गीकरण

सभी परिसम्पत्तियां और देनदारियों को कंपनी के परिचलन सामान्य चक्र के अनुसार चालू/गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिसम्पत्तियां

एक परिसंपत्ति चालू तभी मानी जाती है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को भी संतुष्ट कर पाएँ :

- (i) संपत्ति की वसूली होने की उम्मीद या बिक्री या क्षय के लिए आशायित, कंपनी के सामान्य संचालन चक्र में हो;
- (ii) मुख्य रूप से कारोबार के लिए रखा गया हो;
- (iii) रिपोर्टिंग के तारीख से 12 महीने के अंदर वसूल होना; और
- (iv) यह नकद व नकद समतुल्य है जब तक यह आदान प्रदान या रिपोर्टिंग तारीख के बाद कम से कम 12 महीने के लिए एक दायित्व व्यवस्थित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने से प्रतिबंधित है.

देयता

देयता चालू तभी मानी जाती है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को भी संतुष्ट कर पाएँ:

- (i) इसके कंपनी के सामान्य संचालन चक्र में ही होने की उम्मीद हो;
- (ii) मुख्य रूप से कारोबार के लिए रखा गया हो;
- (iii) रिपोर्टिंग के तारीख से 12 महीने के अंदर ही सम्पूर्ण हो जाए; और
- (iv) देनदारियों की शर्तें, प्रतिपक्ष के विकल्प, इक्वटी उपकरणों को जारी कर इसकी खानापूर्ति आदि इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं कर सकती।

चालु सम्पत्ति और चालु देनदारियों वित्तीय सम्पत्ति और वित्तीय देनदारियों के वर्तमान भाग से जुड़ी होती है। बाकी सभी सम्पत्तियों को अचल रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संचालन चक्र:

संचालन चक्र प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्ष में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है।



1.4 अचल संपत्ति:

(क) प्रत्यक्ष सम्पत्ति

- (i) वास्तविक संपत्तियों को अधिग्रहण या निर्माण के लागतपर निर्धारित किया जाता है और सम्पत्ति के पुनर्मूल्यांकनका मूल्य जोड़कर संचित मूल्यहास और हानि का मूल्य घटाकर इसमें निहित होता है। एक वास्तविक अचल सम्पत्ति का मूल्य उसके क्रय मूल्य, आयात प्रभार, और अन्य बिना वापसी वाले कर या लेविस और उस सम्पत्ति को उपयोग करने लायक बनाने में लगे खर्च आदि को मिलाकर निर्धारित किया जाता है। कोई भी व्यापारिक डिसकाउन्ट या छूट को क्रय मूल्य से घटा दिया जाता है। उनको पाने में भुगतान किये अग्रिमों को तुलन पत्र में बाकी के रूप में दिखाया जाता है, और इसे लम्बी अवधि ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत दिखाया जाता है, और जिन सम्पत्तियों को समय के पूर्व इस्तेमाल नहीं कर सकते उन्हें 'प्रगति में कार्य' में दिखाते हैं।
- (ii) वास्तविक सम्पत्ति पर लगे हुए बाद के खर्चों को पूंजी के साथ जोड़ दिया जाता है, अगर उससे भविष्य में उसकी क्रियाशीलता के आधार पर लाभ होने की आशा हो तो।
- (iii) निर्माण समय के दौरान में शुरू होने तक लगे हुए किसी भी खर्च को पूंजी के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है।

(ख) अप्रत्यक्ष संपत्ति

- (i) अप्रत्यक्ष संपत्तियां बैंड ट्रेडमार्क और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि को कहते हैं, जो कि परिशोधन से कम पर आकी जाती है, और यदि कोई हानि हो तो उसे हटा दिया जाता है। एक अप्रत्यक्ष सम्पत्ति की कीमत उसके क्रय मूल्य, आगत प्रभार, अन्य बिना वापसी वाले टैक्स और कर, उसको कार्य उपयोग बनाने में लगे खर्च आदि को मिलाकर आंका जाता है। किसी भी प्रकार के व्यापारिक छूट या रियायत को घटा दिया जाता है। इन अप्रत्यक्ष सम्पत्तियों को पाने में लगे अग्रिमों को तुलन पत्र में बाकी के रूप में रखा जाता है और इसे लम्बी अवधि ऋण और अग्रिमों में दिखाया जाता है और समय के पहले इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हुए सम्पत्तियों के खर्च को अप्रत्यक्ष सम्पत्तियों को प्रगति के भाग के अन्तर्गत दिखाया जाता है।
- (ii) इसमें बाद में हुए खर्चों को सम्पत्ति के मूल्य के साथ तभी जोड़ा जाता है, जबकि उससे भविष्य में कोई आर्थिक लाभ होने की सम्भावना हो।



1.5 सेनवेट (CENVAT):

- (i) माल के क्रय मूल्य से सेनवेट से होने वाले लाभ को घटा दिया जाता है। माल की खपत उसी प्रकार से की जाती है।
- (ii) अचल संपत्तियों से संबंधित सेनवेट क्रेडिट के मूल्य को उन अचल संपत्तियों के मूल्य से घटा दिया जाता है, जो कि सम्पत्ति को उसके क्रय मूल्य के दो सालों तक या उसके इस्तेमाल में लाने तक समय तक वितरित कर दिया जाता है।

1.6 मूल्यहास/ परिशोधन:

अवमूल्यन किसी सम्पत्ति की कीमत, या कीमत में लगे घटित मूल्य या बचे हुए मूल्य से घटे हुए मूल्य को कहते हैं। वर्ष के दौरान प्राप्त किए हुए वास्तविक सम्पत्ति के क्षेत्र में (जमीन और कार्यपूँजी में लागत को छोड़कर) परिशोधन या मूल्यहास को स्ट्रेट लाइन के आधार पर चार्ज किया जाता है और उन सम्पत्तियों पर जो कि 1 अप्रैल 2014 से पहले प्राप्त किए गए हो या वे जो कि 1 अप्रैल 2014 तक बाकी उपयोग काल के अन्तर्गत आते हों। इनका उपयोग कम्पनी अधिनियम 2013 के भाग सी से अनुसूची II के अनुसार माना जाता है।

अप्रत्यक्ष अचल संपत्तियों का परिशोधन उनसे संबंधित उपयोगिता के आधार पर स्ट्रेट लाइन के अनुसार किया जाता है, और यह कंपनी के उस सम्पत्ति के इस्तेमाल के दिन से जोड़ा जाता है।

1.7 उधार ऋण लागत:

जरूरी सम्पत्ति के निर्माण या अधिग्रहण में लगने वाले उधार ऋण लागत, उन सम्पत्तियों के पूँजीकरण के दिन तक उस सम्पत्ति के पूँजी के रूप में माना जाता है। यह वह सम्पत्ति है जो इस्तेमाल होने के पहले जरूरी समय लेती है। इसके अलावा बाकी सभी उधार ग्रहण के खर्च को लाभ हानि खाता में दिखाया जाता है।



1.8 देयता

पूंजीगत तथा परम्परागत क्रय सम्बन्धी देयता को समाप्त रूप से आवक पर्ची अन्दर दाखिल होने की तारीख के आधार पर शामिल किया गया है।

1.9 परिसंपत्ति की हानि:

परिसंपत्ति की हानि तब स्वीकृत होती है जब हानि का संकेत हो। इस तरह के संकेत से परिसंपत्तियों की वसूली राशि का अनुमानित है और यदि इस तरह के आकलन इसकी वहन राशि से कम है, तो वहन राशि वसूली योग्य राशि से कम है।

1.10 निवेश:

- (i) वसूली जिसमें आशायित हो कि उनके निवेश तारीक से बारह महीने से अधिक नहीं जाकर तत्कालित वसूल हो उन्हें मौजूदा निवेश के तौर पर वर्गीकृत किया गया। अन्य सभी निवेश लंबी अवधि के निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (ii) सभी निवेश की लागत प्रारंभिक मान्यता के रूप में मापा जाता है। खरीद मूल्य और सीधे कारण अधिग्रहण प्रभार जैसे कि दलाली, फीस और कर्तव्य सभी लागत में शामिल हैं। यदि निवेश पूरी तरह या आंशिक रूप से अधिग्रहण हो जिसे शेरर या अन्य प्रतिभूतियों के मुद्दे से हासिल कर लिया जाता है, तो अधिग्रहण लागत जारी प्रतिभूतियों के उचित मूल्य है। यदि निवेश किसी संपत्ति के बदले में प्राप्त किया जाता है तो अधिग्रहण के ऊपर दिए गए संपत्ति के उचित मूल्य के संदर्भ द्वारा या निवेश के उचित मूल्य के संदर्भ द्वारा इनमें से जो भी अधिक रूप से स्पष्ट हो उसे अधिग्रहण कर किया जाता है।
- (iii) मौजूदा निवेश लागत और एक व्यक्ति निवेश के आधार पर निर्धारित उचित मूल्य का कम से कम वित्तीय विवरण में दर्शाया जाता है। लंबी अवधि के निवेश लागत पर किये जाते हैं। हालांकि, मूल्य में कमी के लिए प्रावधान निवेश के मूल्य में अस्थायी अलावा अन्य गिरावट पहचान करने के लिए किया जाता है।
- (iv) एक निवेश के निपटान पर, इसकी वहन राशि और शुद्ध निपटान प्राप्त आय के बीच का अंतर दिखाना या लाभ हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।



1.11 सरकारी अनुदान:

i) **पूंजी दान /सब्सिडी:** विशिष्ट परिसंपत्तियों से संबंधित पूंजी अनुदान / सब्सिडी परिसंपत्तियों के सकल मूल्यों से कम किया जाता है परियोजना पूंजी सब्सिडी के लिए पूंजी अनुदान आरक्षित के खाते में जमा किया जाता है एवं अपेक्षित शर्ते पूरी होने तक रखा जाता है।

ii) **राजस्व अनुदान / सब्सिडी**

क) भारत सरकार की ओर से प्राप्त सहायक अनुदान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन को लाभ और हानि खाते के माध्यम से संबंधित लागत से मिलाया जाता है। अप्रयुक्त अनुदान मौजूदा दायित्वों के अंतर्गत दिखाए जाते हैं।
ख) अन्य सभी राजस्व अनुदान लाभ और हानि खाते में जमा किये गये हैं।

1.12 राजस्व मान्यता:

(i) सामान्य गतिविधियों के दौरान माल की बिक्री से राजस्व में मान्यता प्राप्त होती है जब माल में संपत्ति, या सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं उनके स्वामित्व के पुरस्कार ग्राहकों के लिए स्थानांतरित तथा विचार की राशि में मौजूद कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो जो कि माल की बिक्री साथ ही साथ उनके संग्रह से प्राप्त हो। राजस्व में उत्पाद शुल्क और बिक्री कर / मूल्य वर्धित कर शामिल तथा व लागू छूट और भत्ते से निवल है।

(ii) ग्राहकों से बिक्री वापसी उसी वर्ष में लेखांकित की जाती है।

(iii) रॉयल्टी, माइलस्टोन पेयमेंट, टेक्निकल नो हाउ एरेंजमेंट्स, विशिष्टता और पेटेंट सेटलमेंट और लाइसेंसिंग व्यवस्था से प्राप्त आय प्रासंगिक समझौते की शर्तों के अनुसार एक प्रोद्धवन आधार पर लिया जाता है। किसी भी गैर प्रतिस्पर्धा शुल्क एक सीधी रेखा के आधार पर समझौते की अवधि से अधिक मान्यता प्राप्त है।

(iv) निर्यात प्रोत्साहन को आय के रूप में पहचाना जाता है जब किए गए निर्यात के संबंध में योजना की शर्तों के अनुसार क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो और जहां प्रासंगिक निर्यात आय का अंतिम संग्रह के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण अनिश्चितता न बनी हुई है।

--



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



(v) निपटारे पर लाभ / निवेश की विक्री को जिस अवधि में निवेश बेचा / निपटारा किया उस अवधि की आय माना जाता है।

(vi) आय प्राप्त करने का अधिकार की स्थापना होने उपरांत ही लाभांश आय को मान्यता प्राप्त है। ब्याज आय खाता बकाया राशि को ध्यान में रखकर एक समय अनुपात के आधार पर माना जाता है एवं ब्याज दर लागू रहता है। आयोजित ऋण प्रतिभूतियों पर छूट या प्रीमियम परिपक्षता की अवधि में अर्जित की है।

(vii) किरायदारों के साथ समझौतों पर संपत्ति के भाड़े से प्राप्त किराया आय प्रोद्धवन आधार पर स्वीकार किया जाता है।

1.13 विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुदान:

विदेशी मुद्रा में लेन देन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, के अलावा का लेखा जोखा जिस दिन लेन देन हुआ उसी दिन की तारीख विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा में लेन देन जो फॉरवर्ड आगे ठेके के द्वारा कवर की तुलना में अन्य विदेशी मुद्रा प्राप्तियां / देनदारियां वर्ष के अंत विनिमय दरों में अनुवाद कर रहे हैं। इस तरह के लेन देन से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि लाभ और हानि खाते में समायोजित किये जाते हैं। विदेशी मुद्रा ऋण वर्ष के अंत विनिमय दरों में मूल्यवान हैं। यदि आगे से कोई बकाया अनुबंध हो तो प्रचलित विनिमय दर पर बैलेंश शीट की तारीख के रूप में बहाल कर दे।

1.14 भंडार:

अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन, लागत या शुद्ध वसूली, जो कम हो, उसके आधार पर किया जाता है (ट्रेड मूल्य का 16 % घटा कर)। कच्छा माल, पैकिंग सामान और पुर्जे लगत पर मूल्यांकित किये जाते हैं प्रगति पर कार्य की लागत में सामान की लागत पर 30% की दर से श्रम लागत जोड़ने के तरीके से किया जाता है। बल्क अंतिम स्टॉक के मामले में कच्चे माल की लागत का 41% अपरीय लागत में जोड़ा जाता है। कच्चे माल तथा पैकिंग सामग्री के स्टॉक का मूल्यांकन पहले आया पहले जाये के आधार पर किया जाता है और स्टोर्स और पुर्जों को भारित औसत लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है।



1.15 नकद और नकद समकक्ष :

- (i) नकद और बैंक बैलेंस का बैंक में नकदी, हाथ में नकदी, हाथ में चेक, बैलेंस शीट तारीख से 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि के साथ डीमांड डिपोजिट और बैंक में जमा राशि ।
- (ii) नकदी प्रवाह के विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समकक्ष, जिसमें नकदी और बैंक बैलेंस का बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध जमा सम्मिलित है

1.16 अनुसंधान और विकास लागत:

उत्पादों के विकास के लिए किए गए अनुसंधान और विकास लागत व्यय के रूप में खर्च होता है । नई या बेहतर सामग्री के डिजाइन और परीक्षण से संबंधित हैं जो विकास की लागत, प्रोडक्ट और प्रक्रियाओं या नए क्षेत्रों में मौजूदा उत्पादों के लिए एक अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं तब कंपनी निम्न सभी का प्रदर्शन कर सकते हैं :

- (i) यह परिसंपत्ति के विकास को पूरा करने के लिए तकनीकी रूप से शक्य है और यह बिक्री / उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा ।
 - (ii) यह उम्मीद है कि इस तरह के विकास पूरा हो जाएगा और इसे बिक्री/उपयोग में लाया जाएगा ।
 - (iii) यह उम्मीद है कि ऐसी संपत्ति से भविष्य में आर्थिक लाभ उत्पन्न होगी ।
 - (iv) इस तरह के विकास को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं ।
 - (v) यह विकास के दौरान मज़बूती से परिसंपत्ति के कारण व्यय को मापने के लिए संभव है ।
- पूंजी स्वभाव के रूप में अनुसंधान और विकास व्यय को अचल संपत्ति में जोड़ दिया जाता है । एक परिसंपत्ति के रूप में विकास व्यय की प्रारंभिक पहचान के बाद, लागत मॉडल परिसंपत्ति की आवश्यकता के अनुसार लागू किया जाता है जो किसी भी जमा परिशोधन और संचित हानि घाटा से कम हो । विकास लागत के मूल कीमत सालाना हानि के परीक्षण के लिए इस्तेमाल होता है ।

1.17 कर्मचारी लाभ:

- (i) **भविष्य निधि:** कंपनी द्वारा प्रशासित भविष्य निधि न्यास में कर्मचारी भविष्य निधि के लिए कंपनी निर्दिष्ट मासिक योगदान देता है । भविष्य निधि न्यास द्वारा प्रत्येक वर्ष के लाभार्थियों के लिए देय न्यूनतम ब्याज सरकार द्वारा अधिसूचित है । विश्वास और अधिसूचित ब्याज दर के संबंधित निवेश पर रिटर्न के बीच यदि कोई कमी हो तो कंपनी उसको पूरा करने का दायित्व है ।



(ii) उपदान: कंपनी का उपदान की दिशा में एक दायित्व है जो कि पात्र कर्मचारियों का एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना है। सेवानिवृत्ति से निहित कर्मचारी, सेवायोजन के दौरान मौत या कर्मचारी के वेतन और रोजगार के कार्यकाल में रोजगार की समाप्ति पर योजना एक मुश्त राशि भुगतान प्रदान करता है। निहित सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर होता है। कंपनी बैलेंस शीट की तारीख में एक स्वतंत्र मुंशी द्वारा निर्धारित बीमांकिक वैल्यूएशन के अनुसार उपदान के प्रति दायित्व प्रदान करता है।

(iii) अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति / छुट्टी वेतन: कंपनी की नीति के अनुसार, पात्र पत्ते कर्मचारियों द्वारा संचित किया जा सकता है और भविष्य के समय को आगे बढ़ाया जिसे या तो सेवा के दौरान उपयोग किया जा सके, या भुनाया जाए। नकदीकरण सेवा के दौरान किया जा सकता है जैसे सेवानिवृत्ति / जल्दी सेवानिवृत्ति पर, योजना की वापसी पर, इस्तीफा पर और या कर्मचारी की मौत पर। लाभ के मूल्य वरिष्ठता और कर्मचारी के वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तदनुसार कंपनी का दायित्व है कि इस अवधि में इस तरह मुआवजा अनुपस्थिति के लिए जिसमें कर्मचारी पात्रता कि वृद्धि करता है उसका रिकार्ड बनाये। कंपनी बैलेंस शीट की तारीख में एक स्वतंत्र मुंशी द्वारा निर्धारित बीमांकिक वैल्यूएशन के अनुसार उपदान के प्रति दायित्व प्रदान करता है।

1.18 पट्टे

(i) कंपनी जहां एक पट्टेदार है

परिसंपत्तियों के पट्टों, जिसके तहत सभी जोखिम और स्वामित्व का पुरस्कार प्रभावी ढंग से पट्टादाता द्वारा बनाए रखा जाता है उन्हें ऑपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग पट्टों के तहत लीज भुगतान पट्टा अवधि से अधिक एक सीधी लाइन के आधार पर एक व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं।



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



(ii) कंपनी जहां एक पट्टादाता है

पट्टे जिसमें कंपनी को काफी हृद तक सभी जोखिमों और संपत्ति के स्वामित्व का लाभ का स्थानांतरण नहीं होता उन्हें ऑपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग पट्टों के अधीन संपत्ति तय की हुई संपत्ति में शामिल किए गए हैं। लीज आय पट्टा अवधि के ऊपर एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्राप्त है। मूल्यहास सहित लागत, एक व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं। प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसे की कानूनी खर्च, दलाली लागत, इत्यादि लाभ हानि के विवरण में तुरंत दर्शाया जाता है।

1.19 सेंगर्मेंट रिपोर्टिंग:

कंपनी अपनाये लेखांकन नीतियों के साथ वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और पेशी के लिए अपने क्षेत्र की जानकारी को अनुरूप देता है और कंपनी ने तीन प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड अर्थात् रसायन, औषधि और प्रसाधन सामग्री और घरेलू उत्पादों को पहचाना है।

1.20 आय पर कर :

(i) वर्तमान आयकर सहित कर लागू कर की दर और कर कानून को इस्तेमाल करके गिना जाता है। यदि अतिरिक्त करों के लिए कोई देयता हो तो आकलन पूरा होने पर प्रदान / चुकाया जाता है।

(ii) समय के अंतर पर स्थगित आयकर तुलन पत्र की तारीख से अधिनियमित या स्वतंत्र अधिनियमित कर की दर और कर कानून को इस्तेमाल करके किया गया। अनवशोषित हास के अलावा अन्य मदों के मतभेद समय के लिए आगे बढ़े आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता प्राप्त है और केवल हृद तक संचित हानि एक उचित निश्चित है कि परिसंपत्तियों भविष्य में महसूस किया जा सकता है। हालांकि यदि वहां अनवशोषित हास या घाटों को आगे लाया गया हो आस्थगित कर परिसंपत्तियों सिर्फ तभी पहचाना जाता है जब परिसंपत्तियों का एहसास करने के लिए उपलब्ध पर्याप्त भविष्य योग्य आय की आभासी निश्चितता हो। प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में उनकी वसूली के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है।



1.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों:

(i) प्रावधान : एक प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होती है जब कंपनी ने पिछले घटना के एक परिणाम के रूप में एक वर्तमान दायित्व हो ; दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए संसाधनों की एक बहिर्वाह आर्थिक लाभ के लिए आवश्यक हो जाएगा और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की राशि का बनाया जा सकता है । प्रावधान अपने वर्तमान मूल्य के लिए रियायती नहीं हैं और रिपोर्टिंग की तारीख में दायित्व व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक सबसे अच्छा अनुमान के आधार पर निर्धारित हैं। इसे प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख में समीक्षा की जाती है और मौजूदा सबसे अच्छा अनुमान को प्रतिविवित करने के लिए समायोजित है।

(ii) आकस्मिक देयताएं: आकस्मिक देयता एक संभव दायित्व है जो कि अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होती है जिसका अस्तित्व कंपनी के नियंत्रण से परे घटी घटना या एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के गैर घटना से पुष्टि की जाएगी या वर्तमान दायित्व जो कि स्वीकृत नहीं है क्योंकि यह संभव नहीं कि संसाधनों की एक बहिर्वाह दायित्व व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक हो । एक आकस्मिक देयता भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में उठता है जहां कि दायित्व स्वीकृत नहीं होती क्योंकि यह मज़बूती से नहीं मापा जा सकता है । कंपनी एक दल के दायित्व को नहीं पहचान पाता है लेकिन वित्तीय विवरण में इसका खुलासा भी करता है ।

(iii) आकस्मिक संपत्ति: आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में मान्यता प्राप्त नहीं हैं । हालांकि, आकस्मिक परिसंपत्तियों लगातार मूल्यांकन है और यदि यह लगभग निश्चित है कि आर्थिक लाभ का अन्तर्वाह बढ़ेगा तो इस अवधि में परिसंपत्ति और संबंधित आय में परिवर्तन को मान्यता प्राप्त होगा ।

1.22 पूर्व अवधि और प्रीपेड लेन देन और असाधारण आइटम:

(i) आय / व्यय पूर्व अवधि और प्रीपेड खर्चे से संबंधित अगर 25000 रुपये से अधिक न हो तो उसे वर्तमान वर्ष का आय / व्यय माना जाता है ।

(ii) लाभ और हानि खाते के विवरण में असाधारण आइटम को उस अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि का एक हिस्सा दर्शाया गया है । हरएक असाधारण आइटम के प्रकृति और राशि को लाभ और हानि खाते के विवरण में अलग से दर्शाया गया है जिससे कि उसका प्रभाव वर्तमान लाभ हानि पर देखा जा सके ।



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



1.23 प्रति शेयर आय:

बुनियादी आय / (हानि) प्रति शेयर की गणना इक्विटी शेयरधारकों के इस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के कारण उस अवधि के दौरान शुद्ध लाभ / (हानि) को विभाजित करके होता है। इस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस इश्यू और शेयर विभाजन की घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है। मन्दित कमाई / (हानि) प्रति शेयर की गणना के प्रयोजन के लिए इक्विटी शेयरधारकों के कारण अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और सभी के मन्दित संभावित इक्विटी शेयरों के कारण इस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित किया जाता है। अवधि की शुरुआत में मन्दित संभावित इक्विटी शेयरों को परिवर्तित समझा जाता है, जब तक वो बाद की तारीख में जारी न किए गए हो तब तक।



2.0 खातों पर नोट

1. भारत सरकार द्वारा बीआरपीएसई योजना के तहत दिए गए कोषों के उपयोग का वर्णन:

क) दिनांक 31 03 2006 को योजना एवं गैर योजना ऋण कोष में क्रमशः रु. 3816.00 तथा रु. 4326.67 लाख थे। जिसमें से भारत सरकार ने बीआरपीएसई की स्कीम के तहत वर्ष 2006 07 में 01.04.94 से 31.03.05 तक योजना मद में एकत्रित रु. 3404.00 लाख एवं गैर योजना ऋण कोष में एकत्रित रु. 3765.67 लाख को माफ कर दिया था। उक्त रकम को पूंजी संचय खाते में भेज दिया गया तथा शेष रकम के योजना एवं गैर योजना ऋण मद में क्रमशः रु. 412.00 लाख तथा रु. 561.00 लाख को अनारक्षित ऋण के रूप में दर्शाया गया। इसके बाद भारत सरकार ने वर्ष 2006 07 में योजना ऋण के मद में रु. 700.00 लाख दिए, जिसे इसी मद में दर्शाया गया। बी०आर०पी०ए०स०ई० योजना के अनुमोदन के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2007 08 कुल रु. 13,719.00 के कोष दिए। उनका व्यौरा निम्नानुसार है –

शेयर पूंजी	रु. 5,500.00 लाख
व्याज – मुक्त योजना ऋण	रु. 2,000.00 लाख
(निकाले जाने की पहली वर्षगांठ से प्रारम्भ पांच किश्तों में पुनर्प्रदेय)	
व्याज – मुक्त गैर योजना ऋण	रु. 1,749.00 लाख
(निकाले जाने की पहली वर्षगांठ से प्रारम्भ पांच किश्तों में पुनर्प्रदेय)	
सहायता अनुदान ^{वी.आर.एस.}	रु. 2,000.00 लाख
अनुदान (बकाया वेतन हेतु)	रु. 2,470.00 लाख

भारत सरकार ने वर्ष 2008 09, 2009-10, 2010-11 & 2011-12 में बीआरपीएसई योजना के तहत योजना ऋण 2000.00 लाख, 2940.00 लाख, 2000.00 लाख & 60 लाख रूपये क्रमशः दिए। वर्ष 2010 11 के दौरान 170 लाख रूपये योजना के तहत भुगतान किया गया।



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



इसके अलावा, वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार द्वारा 700.00 लाख रुपये ब्याज की राशि योजना ऋण के तहत दी गई ।

ख) योजना एवं गैर योजना के तहत दिए गए ऋणों का उपयोग :

योजना ऋण के कुल शेष 10642.00 लाख रुपये (गत वर्ष 9942.00 लाख रुपये), इक्कीटी फंड 5500 लाख रुपये (गत वर्ष 5500 लाख रुपये) और अनुसंधान एवं विकास के लिए 629 लाख रुपये का अनुदान (गत वर्ष 629 लाख रुपये) में से कंपनी ने योजना ऋण का निम्नानुसार अनुसूचि मदों पर उपयोग किया है :-

(रुपये लाख में)

विवरण	प्लांट एवं मशीनरी	बिल्डिंग	कुल	कार्य प्रगति में पूँजी	कुल योग
मानिकतल्ला फैक्टरी	706.57	4822.75	5529.32	4149.98	9679.30
पानिहाटी फैक्टरी	1346.02	1699.93	3045.95	99.11	3145.06
कानपुर फैक्टरी	0.00	107.82	107.82	1387.90	1495.72
मुख्यालय	0.00	0.00	0.00	81.21	81.21
कुल	2052.59	6630.50	8683.09	5718.20	14401.29

ग) अनुदानों का उपयोग :

इस वर्ष के दौरान बीसीपीएल के कार्मिकों के वेतन संशोधन 1997 वेतन स्तर (प्रभावी 01.01.1999 से 31.03.2007 तक) का निपटारा (पी.एफ. मद में रु. 150.23 लाख तथा त्यौहार अग्रिम एवं विशेष अग्रिम मद में 148.36 लाख रुपये) और भारत सरकार द्वारा अधिकृत 1709.15 लाख रुपये जमा किया गया है। बाकी का आंकड़ा सुलह के अधीन है। 31.03.2014 तक इस खाता में 760.85 लाख रुपये (गत वर्ष 760.85 लाख रुपये) है।

31.03.2016 तक भारत सरकार द्वारा प्रदत्त बीआरएस (ऐक्सग्रेशिया, आनुतोषिक तथा छुद्वी वेतन सहित) के रूप में 1471.00 लाख रुपये (गत वर्ष 1386.84 लाख रुपये) मद के कुल 2000 लाख रुपये में से चुकाया गया है जो कि वर्ष 2007-08 में प्राप्त किया गया था, जो सुलह के अधीन है। कंपनी के खाते में 31.03.2016 तक शेष 529 लाख रुपये (गत वर्ष 613.16 लाख रुपये) है।



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



घ) वर्ष के अंत में बैंकों के साथ अल्पावधि सावधि ब्याज सहित जमा राशि 1711.88 लाख रुपए (गत वर्ष 3481.69 लाख रुपए) उपरोक्त अल्पावधि जमा की गई राशि उपलब्ध योजना ऋण से की गई है।

2.2 पूँजीगत संचल खाता

एचपीएलसी व्यवस्था को पाने के लिए सरकारी अनुदान के रूप में 7 लाख रुपये मिले। मशीन में हुए मूल्यहास को पूँजी जमा से घटाया गया। साल में 0.10 लाख रुपये मूल्यहास लगा (पिछले वर्ष 0.10 लाख रुपये)। 31 मार्च 2016 को ग्रान्ट की शेष राशि 0.40 लाख रुपये है (गत वर्ष 0.50 लाख रुपये) है। पूँजी के अधिपत्र राशि के योजना ऋण के 3404.00 लाख रुपये और गैर योजना ऋण के 3765.67 लाख रुपये को साल 2006 में स्वीकृत बीआरपीएसई स्कीम के अनुसार पूँजी जमा खाता में स्थानांतरित किया गया। भारत सरकार द्वारा मिले ग्रांट 629.00 लाख रुपये की राशि को क्यूसी और आर उएण्ड डी ब्लॉक से इस खाते से स्थानांतरित किया गया।

2.3 अचल सम्पत्ति पर मूल्यहास

प्रबंधन ने सारे इकाइयों में अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया और इस तरह के सत्यापन में विसंगतियों को ठीक से खातों की पुस्तकों में दिखाया गया है।

2.4 (a) गैर हिसाबी एफडीआर:

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंकों में शेष राशि की प्राप्ति पर पुष्टीकरण पाने के उपरांत, कंपनी ने पाया कि इंडियन बैंक में 1076.17 लाख रुपये की एफडीआर है जिसे 2014-15 में खाते में दर्शाया गया था। बाद में एफडीआर को समय से पहले ही भुनाया गया एवं वर्ष 2015-16 के खाते में समय से पहले भुनाने के लिए जुर्माना राशि भी दर्शाया गया। आगे, बोर्ड और मंत्रालय के निर्देशों पर कंपनी ने स्वतंत्र ऑडिट फर्म की सेवाएं ली ताकि एफडीआर और अन्य संबंधित मुद्दों के स्रोत की जांच हो सके। ऑडिट फर्म ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 की बैठक में बोर्ड को प्रस्तुत की।



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



(b) पुराने अनधियाचित देनदारियों का लेखा जोखा:

वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने देनदार और लेनदारों की शेष राशि की जांच करने के कार्य शुरू किया है और इसके लिए कंपनी ने स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म नियुक्त किया जो कि संडी क्रेडिटर्स में पुराने अनधियाचित देनदारियों का जांच कर सके। उनकी रिपोर्ट के आधार पर, वर्ष 2015-16 की वार्षिक लेखा को अंतिम रूप देने के दौरान आवश्यक समायोजन / लिखने पीछ हिसाब कर लिया गया है।

(iii) एएस 15 के तहत कर्मचारी लाभ

- क) i) कंपनी पीएफ ट्रस्ट द्वारा बनाए रखा एक छूट प्राप्त भविष्य निधि है।
ii) वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में कंपनी को भविष्य निधि के लिए नियोक्ता के अंशदान के रूप में 75.12 लाख रुपये (गत वर्ष 83.27 लाख रुपये) मिले हैं।
iii) और साथ ही वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में कंपनी को ईपीएस 95 के योगदान के रूप में 59.58 लाख रुपये (गत वर्ष 50.94 लाख रुपये) मिले हैं।
- ख) वर्ष के अंत में किया एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में उपदान और अवकाश नकदीकरण के संबंध में परिभाषित लाभ योजना / दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ स्वीकार किया गया। वित्तीय विवरण में उन कर्मचारी लाभ के विवरण नीचे दिये गये हैं :



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



(रुपये लाख में)

क्र.स.	विवरण	उपदान (गैर वित्त पोषित)		अवकाश भुनाना (गैर वित्त पोषित)		द्वितीय यात्रा रियायत (गैर वित्त पोषित)	
		2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
1	बैलेंस शीट में प्रदर्शित राशि						
	दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1502.18	1289.85	407.57	408.92		-
2	उद्घाटन एवं दायित्वों का संतुलन बंद करने की सुलह						-
	प्रारंभिक जमा	1502.18	1289.85	407.57	408.92	-	-
	लाभ का भुगतान	232.79	481.35	112.45	133.46	23.39	-
	एकचुरियल लाभ/(हानि)	96.56	(212.33)	(140.68)	1.35	-	-
	जमा शेष	1405.62	1502.18	548.25	407.57	19.17	-
3	लाभ और हानि खाता में मान्यता प्राप्त व्यय						-
	एकचुरियल लाभ/(हानि)	96.56	(212.33)	(140.68)	1.35	-	-
4	एकचुरियल मान्यताओं						-
	मोर्टेलिटी टेबल	2006-08	2006-08	2006-08	2006-08	2006-08	-
	सेवानिवृत्ति आयु	58&60yrs	58 yrs	58&60yrs	58 yrs	58&60yrs	-
	छोड़ने की दर	प्रति वर्ष 2%	प्रति वर्ष 2%	प्रति वर्ष 2%	प्रति वर्ष 2%	प्रति वर्ष 2%	-
	द्वूट की दर	7.80% वार्षिक	7.98% वार्षिक	7.80% वार्षिक	7.98% वार्षिक	7.80% वार्षिक	-
	महंगाई का दर	12.50% वार्षिक	12.50% वार्षिक	12.50% वार्षिक	12.50% वार्षिक	-	-

बीमांकिक मूल्यांकन नहीं किया गया था

ग. कंपनी के वित्तीय रूग्ण होने के कारण बीसीपीएल के कर्मचारियों 2007 वेतनमान के वेतन संशोधन को लागू नहीं किया जा सकता है और इस तरह के प्रावधान इन खातों में नहीं दर्शाएग गए हैं।



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



2.6 विभाग का रिपोर्ट-प्राथमिक विभाग की सूचना इस प्रकार है:-

(रुपये लाख में)

विवरण	केमिकल्स		फार्मास्यूटिकल्स		कॉस्मेटिक एवं एच.पी.		अन्य		कुल	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व										
बाहरी बिक्री	570.38	338.18	5612.79	2751.09	2636.00	1494.23	-	-	8819.17	4583.50
अन्य आय	1.25	46.78	7.20	23.89	1.02	0.84	2447.66	1898.44	2457.13	1969.95
कुल राजस्व	571.63	384.96	5619.99	2774.98	2637.01	1495.07	2447.66	1898.44	11276.29	6553.45
परिणाम										
सेगमेंट परिणाम	677.60	428.42	6687.67	3485.21	3131.51	1892.96	-	-	10476.97	5806.59
व्याज व्यय	155.29	151.20	1232.44	1137.85	254.27	247.57	-	-	1642.00	1536.62
मूल्यहास	71.43	74.42	235.17	188.61	56.40	80.59	32.04	16.98	395.03	360.60
प्रावधान	(21.00)	42.92	(206.60)	349.14	(97.02)	189.63	37.57	-	(324.63)	581.69
अन्य साधारण पदार्थ	-	-	-	-	-	-	-	(1076.17)	-	(1076.17)
कर के पूर्व लाभ	(311.70)	(312.00)	(2308.88)	(2385.83)	(708.13)	(915.68)	2378.05	1881.46	(913.08)	(1732.05)
कर										
कर के बाद लाभ	(311.70)	(312.00)	(2308.88)	(2385.83)	(708.13)	(915.68)	2378.05	1881.46	(913.08)	(1732.05)
अन्य सूचना										
परिसंपत्ति सेगमेंट	1537.96	1771.57	10747.32	10864.25	1529.07	3198.34	8554.16	6767.99	22368.51	22602.15
परिसंपत्ति में वृद्धि	0.34	9.08	5699.98	109.51	5.02	42.24	111.33	8.54	5816.66	169.37
सेगमेंट देयता	2270.98	2535.63	15869.71	15549.89	2257.85	4577.75	12631.24	9686.96	33029.79	32350.23

2.7 लेखा मानक -18 के अनुसार संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन के खुलासे लेखा मानक में परिभाषित नीचे दिए गए हैं:-

श्री ई. ए. सुब्रमण्यन - प्रबंध निदेश 05.02.2014 से प्रभावी

श्री पी. एम. चंद्रस्या निदेशक (वित्त) 25.11.2014 से प्रभावी



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



निदेशकों का वेतन:

(रुपये लाख में)

विवरण	श्री ई. ए. सुब्रमण्यम प्रबंध निदेशक		श्री पीएम चंद्रग्या निदेशक (वित्त)	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
वेतन	11.93	11.19	10.89	3.69
पीएम में अनुदान	1.22	1.18	1.10	0.36
अनुलाभ	1.55	1.25	1.48	0.37
कुल	14.70	13.62	13.47	4.42

निदेशक जिनको कंपनी ने आवास और कार प्रदान किया है उनसे जरूरत अनुसार रिकवरी की गयी है।

2.8 लेखांकन स्तर-49 के अनुसार लीज का पट्टेदार के रूप में प्रकटीकरण

लीज कार्यान्वयन (पट्टेदार के रूप में) इन विवरण में लीज भाड़े को आय के रूप में दिया गया है
(रुपये लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15
a) अवधि के दौरान लीज भाड़े को आय के स्वरूप	809.91	930.52
b) लीज भाड़ा (कार्यालय की जगह में):-		
सकल मूल्य	1104.82	1104.82
कुल मूल्यहास	269.10	268.74
लाभ हानि खाते में मूल्यहास	16.95	17.29

2.9 कंपनी एक रुग्ण यूनिट है और आयकर कानून के तहत हानि एवं अनअवशोषित मूल्यहास की रकम मूल्य बाकी रखी है। प्रबंधन को ऐसा महसूस होता है कि भविष्य में अधिशेष के आधार पर इस हानि की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इस नजरिये से, प्रबंधन, सावधानी पूर्वक, डेर्फड टैक्स सम्पत्ति को लेखांकन स्तर 22 के अनुसार 'आय पर टैक्स के लिए' अग्रिम हानि और अनअवशोषित अवमूल्यन से अलग रखा है।

2.10 निकासी और नये एजेंट को रांची, रायपुर, अहमदाबाद, नागपुर, इंदौर, विजयवाड़ा एवं यमुना नगर में नियुक्त किया गया है। इन सात सी एवं एफ एजेंट के प्रबंध द्वारा निगमित रूप से प्रमाणित किया गया है।

2.11



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



- 2.11 वर्ष 2007-08 के दौरान, श्री एस. कर (कार्य प्रबंधक) के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इस धोखाधड़ी के प्रभाव को खाता में नहीं दिखाया गया क्योंकि इस मामले पर अभी भी न्यायिक फैसला आना बाकी है।
- 2.12 क्रियाशील प्रयत्नों के अनुसार, तीन साल से ज्यादा 31.03.2016 तक के उधार को खाते में दिखाया गया है।

2.13 स्टॉक, विक्रय एवं कच्चा माल खपत का विवरण

a) तैयार माल एवं विक्रय के लिये बना हुआ माल:-

(रुपये लाख में)

माल के प्रकार	शुरुआती मूल्य		समापन मूल्य		विक्रय मूल्य	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
केमिकल्स:						
अलम फेरिक	15.03	8.34	7.65	15.03	408.94	507.33
फार्मास्यूटिकल्स:						
यूथेरिया	42.54	15.88	10.70	42.54	346.65	616.59
एक्यूआ टायसिटिस	6.47	0.58	3.20	6.47	50.43	49.53
अन्य	168.32	21.95	306.79	168.32	5976.20	604.50
कास्मेटिक एवं होम प्रोडक्ट:						
कैंट हेयर आयल	148.19	10.23	91.73	148.19	603.04	670.30
फिनोल	85.09	132.76	167.04	85.09	1357.90	1265.90
नैपथलीन बाल	48.87	1.74	31.68	48.87	33.30	363.09
अन्य	102.85	61.84	69.32	102.85	846.91	881.39
समाप्त थोक (फिनोल)	75.79	23.31	7.65	75.79	-	-
कुल	693.15	276.63	695.76	693.15	9623.37	4958.63

b) प्रगति कार्य:-

(रुपये लाख में)

माल के प्रकार	शुरुआती मूल्य		समापन मूल्य		विक्रय मूल्य	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
फार्मास्यूटिकल्स	102.38	13.10	40.55	102.38	-	-
कास्मेटिक & एच पी	1.81	-	20.80	1.81	-	-
अन्य	104.19	13.10	61.35	104.19	-	-



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



c) कच्चा और पैकिंग माल खपत का ब्रक अप :-

(रुपये लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15
क्रूड इग्नस & एक्स्ट्राक्ट्स	1278.77	541.41
कार्बनिक रसायन और विलायक	1659.31	438.97
अकार्बनिक रसायन और विलायक	932.10	88.45
आयल, वेजीटेबल्स & मिनरल्स	475.03	763.11
खनिज	258.30	440.21
पैकिंग सामग्री	652.95	678.44
अन्य	333.34	581.46
कुल	5589.80	3532.05

2.14 अनुपलब्ध आकस्मिक देयताएँ:

क. आकस्मिक देयताएँ

- (i) बिक्री कर अधिनियम के तहत : 2764.20 लाख रुपये (गत वर्ष- 2636.91 लाख रुपये)
- (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत: 151.72 लाख रुपये (गत वर्ष-Rs.153.93 लाख रुपये)
- (iii) ठेकेदार / मकान मालिक / कर्मचारियों द्वारा अदालतों में लंबित दावा मध्यस्थता/: 318.09 लाख रुपये (गत वर्ष- 439.79 लाख रुपये)
- (iv) कंपनी के बदले जारी किये गारंटी पर बैंक को दिया गया काउंटर गारंटर 30.18 लाख रुपये (गत वर्ष- 7.65 लाख रुपये)
- (v) ऋण के रूप में कंपनी के खिलाफ दावा स्वीकार नहीं:- शून्य

2.15 पूंजी खाता में दर्शाए जानेवाले कांट्रैक्टका शेष मूल्य और अनुपब्धता

पूंजी खाता में दर्शाए जानेवाले कांट्रैक्टका शेष मूल्य और अनुपब्धता 2930.43 लाख रुपये (गत वर्ष 5663.34 लाख रुपये)

2.16 गणना का अधार और प्रति शेयर घटा हुआ आय इस प्रकार है :

(रुपये लाख में)

	2015-16	2014-15
लाभ हानि खाता के अनुसार टैक्स के बाद लाभ/हानि	(913.07)	(1732.05)
शेयरों की संख्या का भारित औसत (संख्या में)	769604	769604
मूल एवं घटा हुआ प्रतिशेयर आय (रुपये में)	(118.64)	(225.06)



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



2.17 निम्नवर्गीय उद्योग के नाम जिसके प्रति कंपनी दायी है, जो कि तुलनपत्र में 30 दिन से ज्यादा से बाकी है

क्र.	पार्टियों के नाम	क्र सं.	पार्टियों के नाम
1	अपर्णा कार्बन प्राइवेट लिमिटेड	2	अशोक कुमार राज कुमार
3	बालाजी इंटरनेशनल	4	बनिता पैकेजिंग इंडस्ट्रीज
5	जे.एम.ट्रेडर्स	6	एएसएल प्लास्टिक
7	पी.बी.होलोटेक	8	एस.डी एंड कं.
9	शिव शक्ति व्यापार निगम	10	एस आर पैकेजिंग
11	तारचेम प्राइवेट लिमिटेड	12	मंगलम प्लास्टिक
13	बॉक्स वर्क्स	14	मार्डन पेपर पैक
15	भावेश प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड.	16	मेक्सवर्थ इंटरप्राइज
17	प्रिंट होम	18	टी एम ठाकुर फार्मास्यूटिकल्स लैब
19	अपर्णा इंडस्ट्रीज	20	बॉम्बे कार्बन एंड मेटकैप्स प्रा. लिमिटेड
21	पर्ल पॉलिमर	22	सविता केमिकल्स
23	श्री गुरुकृपा चुंगी सेवा		

उपरोक्त सूचना कंपनी के पास मौजूद सूची के आधार पर पार्टियों के संबंध में उस हद तक की कई है, जिन्हें छोटे पैमाने पर और सहायक उपक्रमों के रूप में हो।

2.18 वर्ष 2015-16 के दौरान, विभिन्न प्रावधानों के हिसाब किताब नीचे दिए गए हैं:-

(रुपये लाख में)

विवरण: प्रावधान-	शुरुआती मूल्य	अतिरिक्त	उपयोग/ वापसी	समापन मूल्य
उपदान	1502.18	136.23	232.79	1405.62
लीभ वेतन	407.57	253.13	112.45	548.25
छुट्टी यात्रा रियायत	0.00	19.17	0.00	19.17
फ्रिंज बेनिफिट टैक्स	12.01	शून्य	12.01	शून्य
संदिग्ध ऋण	338.41	शून्य	246.77	91.64
संदिग्ध अग्रिम	341.74	शून्य	166.71	175.03
स्लो और नान मूविंग इन्वेंटरी	11.00	शून्य	शून्य	11.00
दावा वस्ली	89.43	37.57	शून्य	127.00
कुल	2702.34	446.10	770.73	2377.71



बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



2.19 पिछले वर्ष के आंकड़े फिर से वर्गीकृत और पुनः व्यवस्थित किये गए, जहां भी जरूरत पड़ा वर्तमान वर्ष से तुलना किया गया।

अभिज्ञान के लिए हस्ताक्षर

भट्टाचार्य दास एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन.307077ई)

बोर्ड की तरफ से

हस्ता
(अंजीन शी)
सहभागी
सदस्यता सं. 052870

हस्ता
(पी.एम. चंद्रघ्या)
निदेशक (वित्त)

हस्ता
(ई.ए. सुब्रमण्यम)
प्रबंध निदेशक

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 27 मई 2016

हस्ता
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव

हस्ता
(एस. सेनगुप्ता)
सहायक जनरल प्रबंधक(वित्त)



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



3 पूँजी शेयर

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक	रुपये लाख में
क. अधिकृत पूँजी 800000 इक्विटी शेयर्स 1000 रुपए प्रत्येक	8000	8000	
ख. जारी सदस्यता और चुकता पूँजी: 769604 इक्विटी शेयर्स 1,000/ रुपए पूरी तरह से चुकित	7696.04	7696.04	
कुल चुकता शेयर पूँजी	7696.04	7696.04	

3(क) बकाया शेयरों की संख्या की सुलह

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
साल की शुरुआत में बकाया शेयरों की संख्या अतिरिक्त : वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	769604	769604
वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या	769604	769604

3(ख) 5% से अधिक शेयरों को निर्दिष्ट रखने वाले शेयरधारकों के शेयरों की संख्या

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक		
शेयर धारण की संख्या	शेयर धारण का %	शेयर धारण की संख्या	शेयर धारण का %	
भारत के माननीय राष्ट्रपति और उनके प्रत्याशियों वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या	769604 769604	100 100	769604 769604	100 100

4 भंडार और अधिशेष

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक	रुपये लाख में
क. पूँजी राजस्व प्रारंभिक शेष घटाव : वर्ष के दौरान कटौती / स्थानान्तरण सरकार की ओर से अधिग्रहीत अचल संपत्ति पर मूल्यहास	7,799.17 0.10	7,799.27 0.10	
जमा शेष (क)	7,799.07	7,799.17	
ख. अधिशेष / (घाटा) डेबिट पी एंड एल खाते में शेष राशि: प्रारंभिक शेष कम: समायोजन (नोट -2.3 एंड नोट 12 के सन्दर्भ में) जोड़ें: वर्ष के लिए घाटा	(25,243.31)	(24,725.27) 1,214.11 (1,732.05) (25,243.31)	
जमा शेष (ख)	(913.07) (26,156.38)		
कुल (क+ख)	(18,357.31)		(17,444.14)



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मसीट्रिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



5 लंबी अवधि के उधार

रुपये लाख में

विवरण		31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
अवधि ऋण			
(i) सुरक्षित			
पश्चिम बंगाल सरकार की विक्री कर		82.48	82.48
उपरोक्त पर अर्जित ब्याज और बकाया		292.73	285.52
अचल संपत्ति का गिरवी द्वारा सुरक्षित			
(ii) असुरक्षित			
क. भारत सरकार --योजना ऋण		10642.00	10642.00
भारत सरकार योजना ऋण पर अर्जित ब्याज		4246.64	3391.01
दिनांक	ब्याज दर	ऋण	ऋण चूक
30.09.05	17.00%	130.00	130.00
06.03.06	17.00%	112.00	112.00
08.08.06	17.00%	350.00	350.00
20.10.06	14.50%	350.00	350.00
27.12.07	शून्य	2,000.00	2,000.00
30.12.08	शून्य	1,000.00	1,000.00
19.03.09	शून्य	1,000.00	1,000.00
03.06.09	शून्य	1,000.00	800.00
23.12.09	शून्य	490.00	392.00
28.01.10	शून्य	950.00	760.00
15.03.10	शून्य	500.00	400.00
20.05.10	शून्य	2,000.00	1,200.00
02.12.11	शून्य	60.00	24.00
04.03.15	11.50%	700.00	-
		<u>10,642.00</u>	<u>8,518.00</u>
ख. भारत सरकार गैर योजना ऋण			
भारत सरकार गैर योजना ऋण पर अर्जित ब्याज		2310.00	2310.00
30.03.06	17.00%	500.00	500.00
30.03.06	17.00%	61.00	61.00
30.03.07	शून्य	<u>1749.00</u>	<u>1749.00</u>
		<u>2310.00</u>	<u>2310.00</u>
कुल		19858.34	18587.87

सभी ऋण वर्षगांठ तारीखों पर 5 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय हैं।

6 अन्य लंबी अवधि की देनदारियां

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
किरायदारों से डिपाजिट	444.49	495.40
कुल	444.49	495.40

7 लंबी अवधि प्रावधान

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	1813.20	1698.77
कुल	1813.20	1698.77



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मसीटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



8 अल्पकालिक ऋण

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक	रुपये लाख में
सुरक्षित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से कार्यशील पूँजी ऋण	1881.68	2557.30	
कुल	1881.68	2557.30	

नोट : समग्र सीमा के अतिरिक्त नकदी ऋण खाते कच्चा माल, डब्ल्यूआईपी, तैयार माल और प्राप्तियों और कंपनी के अन्य सभी वर्तमान आस्तियों का दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित है।

9 प्राप्य व्यय

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक	रुपये लाख में
लघु सूक्ष्म औद्योगिक इकाई	91.57	154.12	
अन्य	4450.21	4147.77	
कुल	4541.78	4301.89	

10 अन्य चालु देयताएं

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक	रुपये लाख में
ऋण पर अर्जित ब्याज पर देय नहीं	94.45	94.45	
एमएसएमई पर अर्जित ब्याज	46.17	43.59	
सी एंड एफ के सिक्यूरिटी डिपाजिट पर अर्जित ब्याज	6.54	7.93	
अन्य देनदारियां :			
वैधानिक देयताएं	363.90	278.10	
व्यय और दूसरों के लिए देयता	1939.82	2316.59	
कर्मचारियों और अन्य लोगों को देय	98.13	121.79	
अप्रयुक्त ग्रांट-इन-एड	1289.84	1374.01	
डिपाजिट रिफंडेबल	491.61	224.22	
अन्य		25.32	
कुल	4330.46	4486.01	

11 अलापकालीन प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक	रुपये लाख में
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	159.85	210.98	
फ्रिंज बेनिफिट टैक्स देय	-	12.01	
कुल	159.85	222.99	



बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



12 अचल संपत्ति (मूर्त)

रुपये लाख में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक	
	01-04-15 तक	जमा	बिक्री/समायोजन	31-03-16 तक	01-04-15 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/समायोजन	31-03-16 तक	31-03-16 तक	01-04-15 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पूर्ण स्वामित्व भूमि पट्टाधूत भूमि फ्रीहोल्ड बिल्डिंग विनिर्माण गैर-विनिर्माण कार्यालय की इमारत रासायनिक मशीनरी जनरल मशीनरी कंप्यूटर कूलर, फ्रिज और एसी मुद्रण उपकरणों फायर उपकरणों फर्नीचर फिटिंग मशीन और उपकरण लाइव स्टॉक लाइब्रेरी में किताब	124.74 4 63.55 4873.02 72.68 35.14 1410.68 186.75 1659.59 767.35 10.32 9.25 84.07 65.69 6.44 2.99 87.37 31.11 7.63 3.99 14.12			124.74 63.55 391.01 171.49 (0.09) 0.10 562.50 5721.20 49.08 210.35 337.04 1357.69 446.64 819.67 1682.04 756.25 19.92 74.47 32.67 42.27 0.33 6.11 1.47 1.52 59.45 74.31 5.23 26.93 6.37 0.20 3.79 4.53 11.04	- 562.50 49.08 210.35 337.04 1357.69 446.64 819.67 1682.04 756.25 19.92 74.47 32.67 42.27 0.33 6.11 1.47 1.52 59.45 74.31 5.23 26.93 6.37 0.20 3.79 4.53 11.04	124.74 63.55 5721.20 1019.67 141.26 1348.38 446.64 490.53 1049.60 12.90 28.63 0.33 0.33 1.47 1.57 16.65 5.23 4.78 7.63 0.20 0.20 5.58	124.74 63.55	124.74 63.55	124.74 63.55	
कुल	6685.97	5816.65	1.26	12501.36	2369.97	395.12	0.11	2764.98	9736.38	4316.00
गत वर्ष	6519.24	169.34	2.61	6685.97	3225.38	360.61	1216.02	2369.97	4316.00	3293.81

13 पूंजीगत कार्य में प्रगति

रुपये लाख में

विवरण	01-04-15 तक	जोड़	समायोजन/ (घटाव)	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2016 के दिन तक
इमारत	5803.82	113.08		3896.89	2020.01
पी एंड एम	1945.15	252.49	85.98	706.57	1405.09
सिविल	2294.82	37.61	-	939.43	1393.00
इलेक्ट्रिकल	836.57	60.01		77.69	818.89
ब्याज खर्च	6.18	81.21	6.18		81.21
अन्य	36.39	8.67	28.50	16.56	-
कुल	10922.93	553.07	120.66	5637.14	5718.20
गत वर्ष	10973.40	47.94	(51.65)	(46.76)	10922.93



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मसीट्रिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



14 दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक	रुपये लाख में
कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से घटाए आयकर	28.28	24.83	
कुल	28.28	24.83	

15 इन्वेंट्री

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक	रुपये लाख में
क. कच्चे माल और पैकिंग सामग्री:			
क. कच्चे माल	418.74		332.65
ख. पैकिंग सामग्री	234.34		239.95
कच्चे माल और पैकिंग सामग्री (क)	653.08		572.60
ख. तैयार माल और डब्ल्यूआईपी			
इन्वेंट्री:			
क. तैयार माल	695.77		693.15
ख. कार्य में प्रगति	61.35		104.19
ग. स्टोर और स्पेयर पाट्स	64.09	69.52	
घटाव : स्लो गैर चालू और अन्य के लिए प्रावधान	11.00	53.09	11.00
तैयार माल और डब्ल्यूआईपी इन्वेंट्री (ख)	810.21		856.86
कुल (क + ख)	1463.29		1428.46

16 प्राप्य व्यय

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक	रुपये लाख में
(असुरक्षित)			
६: महीने से अधिक			
अच्छा माना गया	284.06	288.03	
संदिग्ध माना	91.64	338.41	
अन्य (६: महीने से कम)			
घटाव: संधिग्रह ऋण के लिए प्रावधान			
कुल	1463.29		1428.46



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



17 नकद और नकद समतुल्य

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
क. नकद और नकद समतुल्य		
(i) नकद	2.98	5.68
(ii) चेक	2.55	3.21
(iii) बैंक शेष चालू खाते में टर्म डिपाजिट में	147.96 1711.88	207.90 3481.69
कुल	1865.37	3698.48

18 लघु अवधि के ऋण और अग्रिम

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
असुरक्षित, अच्छा माना		
सुरक्षा जमा वसूली	229.64	226.37
आपूर्तिकर्ता / परियोजना अग्रिम के लिए अग्रिम प्रीपेड खर्चे	236.28 9.05	110.45 15.31
बैंधानिक देय, ड्यूटी, & कर का अग्रिम भुगतान	176.27 651.24	528.94 881.07
घटाव: संदिग्ध एडवांस के लिए प्रावधान	175.03	341.74
कुल	476.21	539.33

19 अन्य चालू संपत्तिया

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
किराया और अन्य प्राप्य	384.96	190.81
घटाव: दावों प्राप्तियों के लिए प्रावधान	127.00	89.43
	257.96	101.38
आयकर और अन्य जमा	160.27	103.98
अन्य	29.63	25.34
कुल	447.86	230.70



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



20 संचालन से आय

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
उत्पादों की विक्री #	9623.37	4958.63
ट्रेडिंग सामग्री की विक्री	-	-
घटाव: एक्साइज झूटी	9623.37	4958.63
कुल	804.20	375.13
कुल	8819.17	4583.50

2663.51 लाख रुपए (2014-15 में 656.42 लाख रुपए) ऋण लाइसेंसिंग उत्पादन भी शामिल हैं

21 अन्य आय

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
क. ब्याज आय		
बैंक जमा पर	167.09	180.82
अन्य ब्याज	-	-
ख. अन्य गैर ऑपरेटिंग आय :		
सम्पत्ति से किराया	167.09	180.82
अन्य		
प्रबधन जिनका रिटेन बेक की अव्यक्तता नहीं है	993.04	930.52
अचल संपत्तियों की विक्री पर नुकसान	258.15	376.90
	954.5	41.27
	0.18	0.19
	2205.87	1348.88
अनुदान साहयता (भारत सरकार से प्राप्त वी आरएस के लिए)	84.17	440.25
कुल	2457.13	1969.95

22 उपभोगित माल की लागत

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
प्रारंभिक स्टॉक –		
कच्चा माल	332.65	297.96
पैकिंग सामग्री	239.95	168.97
	572.60	466.93
जमा: कच्चे माल का क्रय		
कच्चे माल	5001.70	3115.18
पैकिंग सामग्री (उत्पादन)	647.84	511.10
मालभाड़ - आवक	21.37	11.44
	5670.28	3637.72
कम: समापन स्टॉक	(418.74)	(332.65)
कच्चे माल	(234.44)	(239.95)
पैकिंग सामग्री (उत्पादन)		(572.60)
कुल	5589.80	3532.05



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मसीट्रिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



23 तैयार माल और कार्य में प्रगति की सूची में परिवर्तन

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
क. तैयार माल: प्रारंभिक स्टॉक कम: अंतिम स्टॉक (वृद्धि/ कमी)	693.15 695.77 104.19 61.35 कुल	276.63 693.15 13.09 104.19 42.84 40.22 (416.52) (91.10) (507.62)

24 कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ खर्च

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
वेतन & मजदूरी	1539.72	1566.27
पीएफ के लिए अंशदान और अन्य फंड	138.04	139.89
कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ	486.41	614.80
कर्मचारी कल्याण खर्च	103.55	95.59
अनुदान सहायता भारत सरकार से प्राप्त	84.17	440.25
कुल	2351.89	2856.80

25 वित्तीय लागत

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
बैंक के लिए ब्याज	263.35	337.41
भारत सरकार पर ब्याज योजना	774.41	701.77
भारत सरकार पर ब्याज गैर योजना	407.63	363.85
पश्चिम बंगाल बिक्री कर ऋण पर ब्याज	7.21	7.22
अन्य पर ब्याज	189.39	126.38
कुल	1641.99	1536.63



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



26 अन्य खर्च

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
क. विनिर्माण व्यय बिजली और ईंधन मरम्मतः कार्यशाला एवं यंत्र इमारत अन्य बीमा फैक्टरी उत्पादन अन्य व्यय	190.32 29.25 11.15 21.94 11.21 66.65	157.60 14.68 24.35 69.52 6.99 21.01
उप योग [क]	330.52	294.15
ख. प्रशासनिक व्यय दर और कर प्रावधान और राईट-ऑफ व्यावसायिक फीस अन्य के लिए किराए लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक [संदर्भ. नोट 26(a)] विविध खर्च [संदर्भ. नोट 26(b)] पूर्व अवधि व्यय [संदर्भ. नोट 26(c)]	132.93 107.52 25.94 23.07 2.38 335.01 (14.70)	75.26 371.17 35.55 3.83 1.76 271.58 87.98
उप-योग [ख]	612.15	847.13
ग. बिक्री व्यय बिक्री कर सम्पर्क एवं वितरण आयोग फ्रेट चार्जेस अन्य बिक्री ओवरहेइस	194.69 582.31 345.16 105.62	2.75 169.75 174.26 95.16
उप-योग [ग]	1227.78	441.92
कुल (क+ ख+ ग)	2170.45	1583.20

26 (क) लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक और व्यय

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
मुफ्त ऑडिट	1.36	1.36
टैक्स ऑडिट फीसना #	0.29	0.20
प्रमाणन शुल्क	0.43	-
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.3	0.20
कुल	2.38	1.76

टैक्स ऑडिट कंपनियों टैक्स कंसल्टेंट्स के द्वारा



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मसीयूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उपक्रम)



26 (ख) विविध व्यय

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
विज्ञापन, प्रेस और प्रचार	27.58	30.35
छपाई और स्टेशनरी	14.96	13.47
डाक	3.27	1.81
वेबसाइट रखरखाव और इंटरनेट प्रभार	2.42	1.8
टेलीफोन	12.69	10.46
वाहन चल रहा है और रखरखाव का खर्च	25.87	19.57
बैंक प्रभार एवं आयोग	3.21	20.07
कानूनी विस्तार	10.48	1.76
मनोरंजन का खर्च	6.51	4.43
पुस्तकों और पत्रिकाओं	0.36	0.4
मेम्बरशीप सदस्यता	0.67	0.45
सेवा कर	2.92	0.61
किराए पर ब्रोकरेज	6.63	10.87
भरने की फीस	11.25	2.81
यात्रा खर्च	65.14	36.52
सुरक्षा सेवा प्रभार	105.59	90.87
उपहार और दान	0.01	0.02
विविध व्यय	35.45	25.31
कुल	335.01	271.58

26 (ग) प्रायर पीरियड आइटम्स

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2016 के दिन तक	31 मार्च 2015 के दिन तक
नेट डेबिट आइटम		
एसटीडी और ऋण पर व्याज	8.87	94.82
दर, कर और शुल्क	134.80	4.49
वेतन, मजदूरी व पीएफ	7.59	1.57
अन्य	34.49	23.03
उप-योग [क]	185.75	123.91
नेट डेबिट आइटम		
भाइ	33.74	-
बिक्री	59.51	-
किराया	11.40	35.93
विविध लेनदार और एलडी	50.79	-
पूंजीगत डब्ल्यू आई पी	25.81	-
अन्य	19.20	-
उप-योग [ख]	200.45	35.93
कुल (क+ ख+ ग)	(14.70)	87.98



निदेशक मंडल, ऑडिटर्स & बीसीपीएल के वरिष्ठ अधिकारी

हमारे घरेलू उत्पाद



हमारे प्रसाधन उत्पाद



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

6, गणेश चंद्र एवेन्यू, कोलकाता - 700013

फोन: (19) 033-2237 1525-1526, फैक्स: (91) 033-2225 7697